फरवरी 2016

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

प्रबंध सम्पादक
बृजेश कुमार

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
शिवानी वर्मा
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
अल्पना राठौर
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

मध्यप्रदेश की झांकी, गणतंत्र दिवस परेड, नई दिल्ली

इस अंक में

खास खबरें : जनता और सरकार मिलकर बनायेंगे स्वर्णिम मध्यप्रदेश 3
आयोजन : प्रगतिशील और मेहनती किसान बना सकते हैं मध्यप्रदेश को विश्व में प्रथम 6
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान हितैषी 8
सम्मान : मध्यप्रदेश शासन के समग्र पोर्टल को ई-गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार 11
अच्छी पहल : इंदौर खुले में शौच से मुक्त होने वाला प्रदेश का पहला और देश का दूसरा जिला 12
पंचायत दर्पण : नाम के अनुरूप ही काम कर रहा है पंचायत दर्पण 14
योजना : प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम : प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से लाभांवित... 22
विशेष लेख : ग्रामीण सड़कों के ई-प्रबंध में मध्यप्रदेश सबसे आगे 27
पर्यावरण : आदर्श ग्राम के लिये आवश्यक जलवायु परिवर्तन चेतना 30
साक्षात्कार : हाईटेक हुईं ग्राम पंचायतें 32
पंचायत : पंचायती राज और स्वयंसेवी संगठन 34
खेती-किसानी : समुचित मृदा प्रबंधन क्यूँ आवश्यक है? 36
साक्षात्कार : आदर्श गाँव की मिसाल बछकाल 39
सिंहस्थ : अध्यात्म, संस्कृति और सामाजिक समरसता की परंपरा 41

आयुक्त की कलम से...

प्रिय पाठको,

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मन में सदैव प्रदेश की समृद्धि और प्रदेशवासियों के सुख की आकांक्षा रहती है। विकास के लिए समर्पित मुख्यमंत्री ने रतलाम में गणतंत्र दिवस समारोह में सुदृढ़ और स्वर्णिम मध्यप्रदेश निर्माण का संकल्प लिया तथा प्रदेशवासियों से भी सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री के सम्बोधन को हम 'खास खबरें' स्तम्भ में प्रकाशित कर रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की मंशानुरूप खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं, इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है कि मध्यप्रदेश को चौथी बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री निवास पर किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें किसानों तथा खाद्यान्न उत्पादन में कृषि की उन्नति के लिये किसानों को सहयोग देने वाले मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया। इसे हम 'आयोजन' स्तम्भ में प्रकाशित कर रहे हैं।

प्रदेश में ई-गवर्नेंस को लेकर अनेक पहल की गई हैं, जिन्हें अन्य राज्यों ने भी लागू किया है। इन्हीं में से मध्यप्रदेश शासन के समग्र पोर्टल को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार तथा उत्कृष्ट कार्य के लिये वर्ष 2015-16 के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस खबर को हमने 'सम्मान' स्तंभ में शामिल किया है।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत मध्यप्रदेश अग्रणी भूमिका में है। विगत दिनों इन्दौर जिला खुले में शौच से मुक्त होने वाला प्रदेश का पहला जिला घोषित किया गया, इस समाचार को हम अच्छी पहल स्तंभ में प्रकाशित कर रहे हैं।

पंचायतों के कार्य, डाटा, वित्त व्यवस्था से संबंधित समस्त कार्यों को एक क्लिक पर उपलब्ध कराया है पंचायत दर्पण ने। पंचायत स्तर तक ई-गवर्नेंस की प्रभावी पहल सबसे पहले मध्यप्रदेश में ही की गई। इस अंक में पंचायत दर्पण की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की जा रही है।

अनुसूचित जाति, जनजाति बाहुल्य गाँवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। मध्यप्रदेश में इस योजना से 200 ग्राम लाभांवित होंगे इस जानकारी को हम 'योजना' स्तंभ में प्रकाशित कर रहे हैं। विशेष लेख में इस बार शामिल है "ग्रामीण सड़कों के ई-प्रबंध में मध्यप्रदेश सबसे आगे।" पर्यावरण स्तंभ में चिंता है जलवायु परिवर्तन की, इसी पर केन्द्रित आलेख "आदर्श ग्राम के लिये आवश्यक जलवायु परिवर्तन चेतना" प्रकाशित किया जा रहा है।

मृदा प्रबंधन आज की महती आवश्यकता है इसीलिये मृदा प्रबंधन क्यों और कैसे किया जाए, यह जानिये 'खेती-किसानी' स्तंभ में। 'साक्षात्कार' में बछकाल को आदर्श गाँव की मिसाल बनाने वाली सरपंच से बातचीत। आगामी अप्रैल-मई माह में उज्जैन में सिंहस्थ कुम्भ महापर्व का आयोजन होने जा रहा है। इसी संदर्भ में सिंहस्थ से संबंधित कुछ लेख व जानकारी प्रकाशित की जा रही है 'सिंहस्थ' स्तंभ में।

इस अंक में बस इतना ही। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(बृजेश कुमार)
आयुक्त, पंचायत राज

जनता और सरकार मिलकर बनायेंगे

गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने रतलाम में हुए समारोह में ध्वजारोहण करते हुए परेड की सलामी ली। उन्होंने स्वर्णिम मध्यप्रदेश के निर्माण के लिए सभी प्रदेशवासियों से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि सबके सहयोग से प्रदेश इस वर्ष भी विकास की रफ्तार को बनाये रखेगा। खुशहाली, समृद्धि और सुख-शान्ति का वातावरण बना रहेगा। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से बिजली-पानी बचाने, बेटियों को आगे बढ़ाने और नशामुक्त होने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज, मिलकर प्रदेश के लिए समर्पित होकर अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करें। साथ ही संकल्प लें कि मध्यप्रदेश को देश ही नहीं दुनिया में सबसे समृद्ध राज्य बनायेंगे।

रतलाम जिले को हार्टीकल्चर हब बनायेंगे : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करेगी। रतलाम जिले को हार्टीकल्चर हब बनाया जाएगा। रतलाम को अपनी तरह की स्मार्ट सिटी बनाया जायेगा। इसके विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी।

आज से प्रदेश के सभी जिलों में डायलिसिस सुविधा : मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा अब प्रत्येक जिले में डायलिसिस तथा कैंसर के इलाज की व्यवस्था शुरू की गई है। आज से प्रदेश के सभी जिलों में डायलिसिस सुविधा मिलने लगेगी। बहनों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल के लिए भी प्रत्येक जिला चिकित्सालय में परीक्षण के लिए 'रोशनी क्लीनिक' भी आज से आरंभ किए जा रहे हैं।

स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने का किया आह्वान : मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी नागरिकों से अपने घर और परिवेश को स्वच्छ रखने का संकल्प लेने के साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के महाअभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। दिसम्बर 2015 तक 50 लाख घरों में शौचालयों की सुविधा उपलब्ध करवायी जा चुकी है। सभी 52 हजार गाँवों को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वर्ष 2015 में 1500 ग्रामों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है।

यह वर्ष गरीब कल्याण वर्ष : मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती और अन्त्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी वर्ष होने से

मुख्यमंत्री के सम्बोधन के अन्य बिन्दु

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदानों से प्रेरणा के लिए शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया है।
- मुख्यमंत्री निवास में पृथक-पृथक वर्ग की 36 पंचायतों का आयोजन किया गया, ताकि जनता के जिस वर्ग के कल्याण की योजना बने, वह उनकी सहभागिता और सुझाव से बने।
- स्थानीय संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। साथ ही वन विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है।
- प्रदेश को चौथी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। मैं यह पुरस्कार राज्य के सभी कृषकों को समर्पित करता है।
- फसल बीमा योजना की जानकारी अब संबंधित अमला प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामसभा में देगा।
- फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक-एक छोटी या बड़ी इकाई के लिए प्रयास किए जायेंगे।
- सरकार और समाज मिलकर ही खेती को लाभ का धंधा बना सकते हैं।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में 5 लाख 61 हजार से अधिक परिवारों को लगभग 2500 करोड़ रुपये का ऋण तथा 2500 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।
- अनुसूचित जाति के 10000 से अधिक युवाओं को स्व-रोजगार और कौशल उन्नयन योजनाओं का लाभ दिया गया। विगत वर्ष मुख्यमंत्री छात्रगृह योजना का लाभ भी 50000 अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों ने लिया है।
- प्रदेश की प्रत्येक लाड़ली के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाएं संचालित की हैं। 21 लाख कन्याओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ अब तक मिल चुका है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना में 3 लाख 60 हजार कन्या के विवाह हुए हैं।
- प्रदेश में 5 करोड़ 34 लाख व्यक्तियों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में 1 रुपये किलो की दर से गेहूँ और चावल दिया जा रहा है।

इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इस दौरान गरीबों के कल्याण के कामों में तेजी लाई जायेगी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत भूमिहीन परिवारों को आवासीय पट्टे देने का अभियान चलाया जाएगा।

सरकार हमेशा किसानों के साथ : श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश को चौथी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। कृषकों की समस्याओं के समाधान के लिए कृषि महोत्सव का बहुआयामी प्रयोग सफल रहा है। महोत्सव में 20 हजार 459 ग्राम पंचायतों से सम्पर्क किया गया है। अजा, अजजा के कृषकों को नलकूप, खनन एवं पम्प के लिए 25 हजार के अनुदान को 40 हजार रुपये किया गया। प्रत्येक संभाग में बीज एवं उर्वरकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है। किसानों के लिए वर्ष 2015 भी प्रतिकूल मौसम के कारण कठिनाईपूर्ण रहा। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ हर समय खड़ी रही। फसल क्षति के कारण लगभग 4600 करोड़ रुपये का मुआवजा सीधे किसानों के खाते में जमा किया जा रहा है।

सिंहस्थ कुंभ महापर्व से सारे विश्व में जाएगा शांति का संदेश : मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि मध्यप्रदेश शांति का टापू है। इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए इस वर्ष बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ कुम्भ महापर्व के दौरान विश्व में शांति का संदेश प्रसारित किया जायेगा।

शिक्षा कल्याण कोष बनाया जाएगा : मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि

मुख्यमंत्री ने कीं घोषणाएँ

- **मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान में शून्य प्रतिशत दर पर ऋण दे रही है। लेकिन इस वित्तीय वर्ष से यदि कृषक एक लाख का कर्जा लेगा तो उसे महज अब 90 हजार रुपये ही लौटाना होंगे।**
- **ग्राम सरकारों को अधिकार सम्पन्न बनाने की दिशा में भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीणों को अब ई-ऋण पुस्तिका निर्धारित राशि लेकर प्रदाय की जाएगी। अविवादित नामांतरण तथा अविवादित बँटवारे के प्रकरणों के निराकरण का अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में पट्टा नवीनीकरण की नई नीति बनाई जाएगी।**
- **मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए जनसंख्या के प्रतिशत से अधिक राशि राज्य आयोजना में रखी जा रही है।**
- **प्रदेश में जलाभिषेक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही ड्रिप स्प्रिंक्लर को बढ़ावा दिया जायेगा।**
- **वर्ष 2022 तक प्रत्येक गरीब के पास मकान हो। इस दिशा में सरकार कार्य करेगी।**
- **सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र-छात्राओं को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें पालक की आय सीमा को 54000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 20 हजार रुपये किया गया है।**
- **इस वर्ष से विद्यार्थियों को सायकल के पैसे देने की बजाय सायकल दी जायेगी।**
- **अब प्रत्येक वर्ष 5 लाख बेरोजगारों को विभिन्न योजनाओं में ऋण एवं अनुदान दिया जाएगा।**

सरकार ने सभी वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में शिक्षा कल्याण कोष स्थापित किया जाएगा। मेरिट में आने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार लेपटॉप वितरित करेगी।

वर्ष 2018 तक 40 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य : श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा जल को प्रदेश के दूरस्थ अंचलों तक ले जाने की पहल सफलता की ओर अग्रसर है।

नर्मदा-क्षिप्रा-सिंहस्थ लिंक योजना पूरी हो गई है। इससे सिंहस्थ में भरपूर जल सुलभ होगा। नर्मदा-मालवा-गंभीर लिंक की 2187 करोड़ रुपये की योजना पर कार्य शुरू हो गया है।

योजना से उज्जैन और इन्दौर जिले में 50 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। नर्मदा-कालीसिंध, नर्मदा-पार्वती लिंक योजना पर भी काम किया जा रहा है। वर्ष 2018 तक 40 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य है। गौरतलब है कि पिछले एक दशक में सभी साधनों से प्रदेश में सिंचित कृषि का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 36 लाख हेक्टेयर हो गया है।

राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी - कर्मचारी पुरस्कृत : उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री ने राज्य-स्तरीय पुरस्कार दिया। पुरस्कृत अधिकारियों में डॉ. दिनेश यशवंतराम पेंढारकर मुम्बई, डॉ. सी.एम. त्रिपाठी उज्जैन, डॉ. ललित मोहन पंत इन्दौर, डॉ. गोविन्द सिंह शिवपुरी, डॉ. प्रदीप अग्रवाल जबलपुर, डॉ. भरत वाजपेयी इन्दौर, डॉ. उर्मिला चोयल झाबुआ एवं कु. सुमित्रा किरार अलीराजपुर शामिल हैं।

प्रगतिशील और मेहनती किसान बना सकते हैं

मध्यप्रदेश को विश्व में प्रथम

मध्यप्रदेश को चौथी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अन्नदाताओं के सम्मानस्वरूप किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित इस समारोह में 19 किसानों को सम्मानित करने के साथ खाद्यान्न उत्पादन और उन्नत कृषि में किसानों को सहयोग देने वाले मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील 1000 किसानों को विभिन्न देशों में खेती की उन्नत तकनीक को समझने के लिये अध्ययन भ्रमण पर भेजने की घोषणा की। इस अवसर पर मध्यप्रदेश में कृषि की बेहतरी और किसानों के सहयोग के लिए अनेक घोषणाएं की गयीं।

मध्यप्रदेश को चौथी बार खाद्यान्न उत्पादन में शानदार प्रगति के लिये भारत सरकार के प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 31 जनवरी को अपने निवास पर किसान सम्मान समारोह में प्रदेश के किसानों का सम्मान किया। उन्होंने खाद्यान्न उत्पादन और उन्नत कृषि में किसानों को सहयोग देने वाले मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम किसान-कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किसानों ने अपनी मेहनत से खेती को संभाला और मध्यप्रदेश ने कृषि कर्मण पुरस्कार जीता। मुख्यमंत्री ने किसानों के सुझाव पर बलराम तालाब योजना को परिवर्तित स्वरूप में पुनः लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि छोटी-

छोटी जल संरचनाओं को बढ़ावा दिया जायेगा। नदियों-नालों का पानी खेतों में पहुँचाने के लिए भी योजना बनाई जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि किसी भी खेत को बिना सिंचाई के नहीं रहने देंगे। अब नहरों से सिंचाई के परम्परागत तरीके से अलग पाइप लाइन के माध्यम से खेतों तक पानी पहुँचाया जायेगा ताकि टपक सिंचाई जैसी पद्धति का भी बेहतर उपयोग हो सके। पूरे प्रदेश में पानी के बेहतर प्रबंधन और उपयोग के लिये आधुनिक तकनीकी को बढ़ावा दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने प्रगतिशील 1000 किसानों को विभिन्न देशों में खेती की उन्नत तकनीक को समझने के लिये अध्ययन भ्रमण पर भेजने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मैदानी अधिकारी-कर्मचारियों को हर साल सम्मानित किया जायेगा।

प्रगतिशील किसानों का सलाहकार मंडल बनेगा : श्री चौहान ने कहा कि प्रगतिशील किसानों का सलाहकार मंडल बनाया जायेगा। हर फसल के प्रगतिशील किसानों का सलाहकार मंडल होगा, जो सरकार को नीति और रणनीति बनाने में सलाह देगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के अनुभव और परम्परागत ज्ञान का उपयोग करना चाहती है। उन्होंने किसानों को खेती के अपने अनुभव सुनाये। उन्होंने कहा कि अब किसानों को उद्यानिकी फसलों की ओर जाना होगा। मेहनती किसान मध्यप्रदेश को खेती के क्षेत्र में विश्व में अनुपम उदाहरण बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेती के अलावा पशुपालन और जैविक खेती को भी अपनाना होगा। धीरे-धीरे रासायनिक खाद का उपयोग कम करना होगा। इससे खेती भी बचेगी और धरती भी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 फरवरी को मध्यप्रदेश आयेंगे : श्री चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को उत्कृष्टतम बताते हुए कहा कि अब किसानों को राहत की 25 प्रतिशत राशि तत्काल मिल जायेगी। श्री चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 फरवरी को मध्यप्रदेश आ रहे हैं। प्रदेश के किसानों द्वारा उनका अभिनंदन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल नुकसान को देखते हुए इतिहास में पहली बार 4,500 करोड़ की राहत राशि किसानों के खाते में

पहुँचाई गई और 4,300 करोड़ जल्दी ही फसल बीमा की राशि के रूप में मिलेंगे।

समन्वित उद्यानिकी योजना बनेगी : श्री चौहान ने कहा कि अब एक फसल पर निर्भर रहने का समय नहीं है। उद्यानिकी फसलों को साथ लें और किसानों के समूह बनायें ताकि उन्हें अच्छा बाजार और अच्छे दाम मिल सकें। मुख्यमंत्री ने समन्वित उद्यानिकी योजना बनाने के निर्देश दिये। श्री चौहान ने किसानों को टपक सिंचाई, पॉली हाऊस देने की पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने के लिये कहा। उन्होंने बताया कि अगले तीन सालों में किसानों को स्थाई पम्प कनेक्शन दिये जायेंगे। सोलर पम्प पर किसानों को 85 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि उद्यानिकी फसलों के निर्यात के लिये संस्था के गठन के निर्देश दे दिये गये हैं। हर किसान को सहकारिता का लाभ दिलाया जायेगा। बँटाईदारों को भी संकट में राहत की राशि मिलेगी। सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम एक खाद्य प्र-संस्करण इकाई स्थापित की जायेगी। उन्होंने कहा कि हर मण्डी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय-स्तर पर प्रचलित दरों को दर्शाना जरूरी होगा। फल और फूलों के लिये अलग से मण्डी बनाई जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि किसान, विश्वविद्यालय और सरकार मिलकर एक टीम के रूप में कार्य करेगी।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री प्रेमचंद मीणा ने कहा कि प्रदेश में सर्वाधिक किसान हितैषी निर्णय लिये गये हैं। खेती से जुड़े सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। इसका सकारात्मक प्रभाव खाद्यान्न उत्पादन पर हुआ। प्रमुख सचिव कृषि डॉ. राजेश राजौरा ने बताया कि पिछले एक दशक में प्रदेश ने खेती में अभूतपूर्व प्रगति की है। दस साल पहले खाद्यान्न उत्पादन 123 लाख मीट्रिक टन था, जो अब 321 लाख मीट्रिक टन हो गया है। प्रदेश गेहूँ उत्पादन में देश में दूसरे, धान में सातवें, मक्का में चौथे और कुल खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे स्थान पर आ गया है। सिंचाई पहले 46 लाख हेक्टेयर में होती थी आज 104 लाख हेक्टेयर में हो रही है। किसानों ने अपनी सफलता के पड़ाव गिनाते हुए बताया कि कैसे ज्यादा उत्पादन हासिल किया। मैदानी अधिकारियों ने भी अपने अनुभव सुनाये।

19 किसान और 25 विभाग पुरस्कृत : समारोह में 10 जिलों के 19

किसानों को सम्मानित किया गया। इनमें 'आत्मा' परियोजना में कृषि क्षेत्र के विस्तार के लिये 10 कृषक, जो मुरैना, देवास, नीमच, नरसिंहपुर, हरदा और धार जिले के हैं, को राज्य-स्तरीय पुरस्कार दिया गया। इसी तरह 5 जिलों के 9 कृषक जिला-स्तरीय कृषक पुरस्कार से सम्मानित हुए।

राज्य-स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कृषकों को 50 हजार तथा जिला-स्तरीय पुरस्कार प्राप्त कृषकों को 25 हजार रुपये प्रदान किये गये। समारोह में कृषकों को कृषि उत्पादन में वृद्धि में सहयोग के लिये 25 विभागों, संस्थाओं और कृषि विश्वविद्यालय को भी पुरस्कृत किया गया। इनमें कृषि उत्पादन आयुक्त, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास, जल-संसाधन, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, ऊर्जा, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अभियांत्रिकी, राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, राज्य कृषि विपणन बोर्ड, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, राज्य सहकारी विपणन संघ, कृषि उद्योग विकास निगम, आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, राज्य सहकारी बैंक, जल-ग्रहण विकास कार्यक्रम, जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना, राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ, पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को भी सम्मानित किया गया।

समारोह में कृषि मंत्री श्री गौरीशंकर बिसेन, वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री नंदकुमार सिंह चौहान, एम.पी. एग्रो अध्यक्ष श्री रामकृष्ण सिंह चौहान, बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री रामकृष्ण कुसमारिया, उपाध्यक्ष श्री महेन्द्र यादव, मार्कफेड अध्यक्ष श्री रमाकांत भार्गव, अध्यक्ष राज्य कृषक आयोग श्री बंशीलाल गुर्जर, मध्यप्रदेश किसान संघ अध्यक्ष श्री रामभरोस बसौतिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मदनमोहन नागर, कृषि उपज मण्डी अध्यक्ष श्रीमती श्यामा पाटीदार, मुख्य सचिव श्री अन्टोनी डिसा और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। कृषि संचालक श्री मोहनलाल मीणा ने आभार माना।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय मंत्रि-परिषद द्वारा 13 जनवरी को मंजूर की गई नई फसल बीमा योजना को सही अर्थों में किसान हितैषी बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होने वाले अधिक से अधिक किसानों को इस नीति से कम से कम समय में भरपूर सहायता मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह कई वर्षों से वर्तमान में चल रही फसल बीमा योजनाओं की कमियों को दूर करते हुए उसे सही मायने में किसानों का हित साधने वाली फसल बीमा योजना लागू करने का समय-समय पर आग्रह करते रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश की पहल पर वर्ष 2015 के जून माह में भोपाल में फसल बीमा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी सम्पन्न हुई थी। संगोष्ठी में भाजपा के उपाध्यक्ष और मध्यप्रदेश के प्रभारी श्री विनय सहस्त्रबुद्धे, कृषि लागत और कीमत आयोग के अध्यक्ष डॉ. अशोक विशनदास, केन्द्रीय कृषि मंत्रालय के अपर सचिव श्री ए.के. श्रीवास्तव के अलावा विदेशों के कृषि विशेषज्ञ एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। शिकागो से फसल बीमा विशेषज्ञ श्री जोशुआ मेडसन, अर्जेंटीना के डॉ. मिग्यूल फसको, सिंगापुर के कृषि प्रमुख एशिया पेसिफिक श्री क्रिस्टोफर कोए, जर्मनी से डॉ. लीफ हेल्मफहार्ट और स्विट्जरलेंड की सुश्री हेरिनी कनान और फसल बीमा से जुड़े विषय-विशेषज्ञ एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में चल रही बीमा योजनाओं से अब तक कुल 23 प्रतिशत किसानों को ही लाभ मिलता रहा है। इनकी समीक्षा कर नई बातों को शामिल करके जो नई फसल योजना बनाई गई है वह हर लिहाज से किसानों के हक में बेहतर है। नई योजना में किसानों द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम राशि बहुत कम कर दी गई है। अब किसानों को खरीफ फसलों के लिये बीमित

किसान हितैषी

राशि का मात्र 2 प्रतिशत, रबी फसलों के लिये बीमित राशि के लिये 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के लिये बीमित राशि का सिर्फ 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2010 से प्रभावी संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में प्रीमियम अधिक होने से एक कैप निर्धारित रहती थी, जिससे सरकार द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम राशि कम हो जाती थी। फलस्वरूप किसानों को मिलने वाली दावा राशि भी अनुपातिक रूप से घट जाती थी। नई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 30 हजार बीमित राशि पर 22 प्रतिशत बीमांकित (एक्चुएरियल) प्रीमियम आने पर किसान मात्र 600 रुपये प्रीमियम देगा, जबकि सरकार द्वारा 6000 रुपये का प्रीमियम दिया जायेगा। शत-प्रतिशत नुकसान होने पर किसान को 30 हजार रुपये की पूरी दावा राशि प्राप्त होगी। बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता तो यह जोखिम भी इसमें शामिल है और संबंधित किसान को दावा राशि मिल सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नई फसल बीमा योजना में ओला, जल भराव और लेण्ड स्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा मानने का प्रावधान सर्वथा उचित है। पुरानी योजनाओं में यदि किसान के खेत में जल-भराव हो जाता था, तो किसान को मिलने वाली दावा राशि इस बात पर निर्भर करती थी कि गाँव या गाँव के समूह में नुकसानी कितनी है। इस कारण कई बार नदी-नाले के किनारे या निचले स्थल में स्थित खेतों में नुकसान के बावजूद किसानों को दावा राशि प्राप्त नहीं होती थी। नई योजना में इस विसंगति को दूर किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल कटाई के बाद के नुकसान को भी बीमा योजना में शामिल कर किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया गया है। फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और इस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी।

फसल बीमा योजना की जानकारी देने प्रत्येक गाँव में होगी किसान सभा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 जनवरी को सीहोर जिले के जावर में आयोजित अंत्योदय मेले में कहा कि किसानों को नई फसल बीमा योजना की जानकारी देने के लिये प्रत्येक गाँव में किसान सभा होगी। सभा में उन्हें योजना के प्रति जागरूक किया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2022 तक प्रदेश का कोई भी गरीब आवासहीन नहीं रहेगा।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के 44 लाख किसानों को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने पर 4600 करोड़ की राशि राहत के रूप में दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 3 लाख युवाओं को युवा उद्यमी, युवा स्व-रोजगार और मुद्रा योजना से लाभान्वित किया गया। साढ़े पाँच करोड़ लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। शासकीय अस्पतालों में मुफ्त दवाएँ तथा डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में बुधनी विकासखण्ड खुले में शौच से मुक्त हुआ है। अब पूरे जिले को खुले में शौच से मुक्ति दिलवानी है। उन्होंने प्रभारी मंत्री से कहा कि ग्रामीण आवास मिशन के पट्टा आवंटन में भ्रष्टाचार करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री ने जनसमूह को स्वच्छता एवं बेटी बचाओ का संकल्प दिलवाया। उन्होंने जावर में 2 करोड़ 26 लाख की लागत से निर्मित 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण किया। श्री चौहान ने 46 दिव्यांग को ट्राइसाइकिल वितरित कीं। श्री चौहान ने आष्टा विकासखण्ड के 97 हजार 978 हितग्राहियों को विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं से लाभान्वित किया। उन्होंने 1095 लाख रुपये के 36 कार्यों का लोकार्पण तथा 1566 लाख के 29 कार्यों का भूमि-पूजन किया।

अंत्योदय मेला को राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री श्री रामपाल सिंह एवं विधायक श्री रंजीत सिंह गुणवान ने भी संबोधित किया। मेला में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला मरेठा, विधायक श्री सुदेश राय सहित अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैबिनेट में मंजूर

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13 जनवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दी, जो किसानों के कल्याण के लिए लीक से हटकर एक अहम योजना है।

किसान हितैषी सरकार का नया तोहफा

- केन्द्र सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में एक बड़ा तोहफा दिया। यह योजना खरीफ 2016 से लागू होगी।
- किसानों के लिए बीमा योजनाएं समय-समय पर बनती रही हैं, किंतु इसके बावजूद अब तक कुल कवरेज 23 प्रतिशत हो सका है।
- सभी योजनाओं की समीक्षा कर अच्छे फीचर शामिल कर किसान हित में और नए फीचर्स जोड़कर फसल बीमा योजना बनाई गई है। इस प्रकार यह योजना पुरानी किसी भी योजना से किसान हित में बेहतर है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के अनुसार किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि बहुत कम कर दी गई है।
- वर्ष 2010 से प्रभावी Modified NAIS में प्रीमियम अधिक हो जाने की दशा में एक कैप निर्धारित रहती थी जिससे कि सरकार के द्वारा वहन की जाने वाली प्रीमियम राशि कम हो जाती थी, परिणामतः किसान को मिलने वाली दावा राशि भी अनुपातिक रूप से कम हो जाती थी।

उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में धान की फसल के लिए 22 प्रतिशत Actuarial Premium था। किसान को 30 हजार रुपए के Sum Insured पर कैप के कारण मात्र 900 रुपए और सरकार को 2400 रुपए प्रीमियम देना पड़ता था। किंतु शतप्रतिशत नुकसान की दशा में भी किसान को मात्र 15 हजार रुपए की दावा राशि प्राप्त होती।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 30 हजार Sum Insured पर 22 प्रतिशत Actuarial Premium आने पर किसान मात्र 600 रुपए प्रीमियम देगा और सरकार 6000 हजार रुपए का प्रीमियम देगी। शतप्रतिशत नुकसान की दशा में किसान को 30 हजार रुपए की पूरी दावा राशि प्राप्त होगी। अर्थात् उदाहरण के प्रकरण में किसान के लिए प्रीमियम 900 रुपए से कम होकर 600 रुपए। दावा राशि 15000 रुपए के स्थान पर 30 हजार रुपए।

- बीमित किसान यदि प्राकृतिक आपदा के कारण बोनी नहीं कर पाता तो यह जोखिम भी शामिल है उसे दावा राशि मिल सकेगी।
- ओला, जलभराव और लैण्ड स्लाइड जैसी आपदाओं को स्थानीय आपदा माना जाएगा। पुरानी योजनाओं के अंतर्गत यदि किसान के खेत में जल भराव (पानी में डूब) हो जाता तो किसान को मिलने वाली दावा राशि इस पर निर्भर करती कि यूनिट आफ इंश्योरेंस (गांव या गांवों के समूह) में कुल नुकसानी कितनी है। इस कारण कई बार नदी-नाले के किनारे या निचले स्थल में स्थित खेतों में नुकसान के बावजूद किसानों को दावा राशि प्राप्त नहीं होती थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इसे स्थानीय हानि मानकर केवल प्रभावित किसानों का सर्वे कर उन्हें दावा राशि प्रदान की जाएगी।
- पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान भी शामिल किया गया है। फसल कटने के 14 दिन तक यदि फसल खेत में है और उस दौरान कोई आपदा आ जाती है तो किसानों को दावा राशि प्राप्त हो सकेगी ।
- योजना में टैक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा जिससे कि फसल कटाई/ नुकसान का आकलन शीघ्र और सही हो सके और किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सके। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों की संख्या कम की जाएगी।
- फसल कटाई प्रयोग के आंकड़े तत्काल स्मार्टफोन के माध्यम से अप-लोड कराए जाएंगे।

मध्यप्रदेश शासन के समग्र पोर्टल को

ई-गवर्नेंस का राष्ट्रीय पुरस्कार

मध्यप्रदेश शासन के समग्र पोर्टल को ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार एवं उत्कृष्ट कार्य के लिये वर्ष 2015-16 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार भारत सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग के तत्वावधान में 22 जनवरी को नागपुर में 19वीं ई-गवर्नेंस कांफ्रेंस में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फडनवीस द्वारा दिया गया।

देश के विभिन्न राज्यों द्वारा नामांकित 350 ई-गवर्नेंस परियोजनाओं को कई स्तर पर परखने एवं फील्ड विजिट के बाद समग्र पोर्टल का चयन इस पुरस्कार के लिए किया गया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रमुख सचिव श्री मोहन राव, मिशन संचालक (समग्र) श्री अजीत कुमार, कलेक्टर होशंगाबाद श्री संकेत भोंडवे, उप महानिदेशक (एनआईसी) श्री विनायक राव और संचालक (एनआईसी) श्री सुनील जैन, सुश्री गीता कामठे संयुक्त संचालक, श्री अजय कुलकर्णी (एनआईसी) एवं टीम के अन्य सदस्यों ने प्राप्त किया।

समग्र पोर्टल मध्यप्रदेश शासन की एक अनूठी पहल है। इसका संचालन समग्र मिशन द्वारा किया जा रहा है। इसके माध्यम से विभिन्न विभागों को उनके द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं को एकीकृत, सरलीकृत, पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में इस व्यवस्था का उपयोग सामाजिक न्याय, स्कूल शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।

समग्र पोर्टल पर प्रदेश के परिवार एवं सदस्यों का पंजीयन किया गया है। समस्त पंजीकृत परिवारों को 8 अंक का समग्र परिवार आई.डी. एवं सदस्यों को 9 अंक का समग्र सदस्य आई.डी. उपलब्ध करवाया गया है।

परिवारों को ऑनलाइन पंजीकृत कर उन्हें आई.डी. देने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य है। पोर्टल की सहायता से परिवार एवं सदस्य को पात्रतानुसार योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी लाभांवित परिवारों और हितग्राहियों की जानकारी समग्र पोर्टल पर जन-सामान्य को उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में मध्यप्रदेश में समग्र पोर्टल के जरिये राशन वितरण प्रणाली की व्यवस्था की प्रशंसा की है। अन्य राज्यों द्वारा भी समग्र प्रणाली लागू करने और अपनाने के संबंध में मध्यप्रदेश से संपर्क किया गया है।

इंदौर खुले में शौच से मुक्त होने वाला

प्रदेश का पहला और देश का दूसरा जिला

इंदौर जिले ने स्वच्छता के क्षेत्र में आज एक नया इतिहास रचा। इंदौर जिला (ग्रामीण) पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो गया। लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 जनवरी को एक समारोह में सीटी बजाकर इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस सीटी की गूँज प्रदेश के अन्य जिलों को भी खुले में शौच से मुक्त होने की प्रेरणा देगी। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव मौजूद थे।

लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि खुले में शौच से मुक्त होकर इंदौर जिला प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश में आदर्श जिला बन गया है। इस गौरवमयी सफलता से इंदौर की नयी पहचान कायम होगी। उन्होंने कहा कि इंदौर जिले में खुले में शौच से मुक्ति के लिये हुए कार्य से विश्वास एवं संकल्प की जीत हुई है। सबने मिल-जुलकर एकमत होकर इस अभियान में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह इंदौर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश के लिये गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लगे सभी लोगों को सम्मानित किया जायेगा। इसके लिये अलग से एक कार्यक्रम होगा, जिसमें मैं स्वयं आऊंगा। उन्होंने घोषणा की कि इंदौर जिले में अभियान से जुड़ी वानर सेनाओं को दस-दस हजार रुपये, जिले की सभी ग्राम पंचायतों को दो-दो लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। श्री चौहान ने कहा कि इस अभियान में अपना लेपटॉप नहीं लेकर उसके पैसे से शौचालय बनवाने वाले युवा अरुण मकवाना को लेपटॉप दिलवाया जायेगा। महिला जिसने अपने जेवर गिरवी रखकर शौचालय बनवाया है, उसे जेवर दिलवाये जायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस अभियान में जब तक अपने गाँव के सभी घरों में शौचालय नहीं बन जाते तब तक चप्पल नहीं पहनने का संकल्प लेने वाले सरपंच को चप्पल पहनवाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश का जो भी जिला इंदौर मॉडल का अनुसरण कर पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त होगा उसे भी इसी तरह के पुरस्कार दिये जायेंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि नामांतरण और बंटवारे के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों को भी खुले में शौच से मुक्त करने का अभियान चलाया जायेगा। प्रयास रहेगा कि अगले दो

वर्षों के भीतर प्रदेश का हर जिला पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त हो जाये। उन्होंने कहा कि अब इंदौर शहर को भी खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिये भी पुरजोर प्रयास किये जा रहे हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। नर्मदा को क्षिप्रा से जोड़ने के बाद अब नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना का कार्य भी हाथ में लिया गया है। इससे इंदौर जिले के देपालपुर क्षेत्र के 53 एवं साँवेर के 28 गाँवों में सिंचाई की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वानर सेना बच्चों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रारंभ में प्रदर्शनी का अवलोकन किया। समारोह में अभियान से जुड़े लोगों ने अपने-अपने अनुभव भी सुनाये। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने भी सम्बोधित किया।

खुले में शौच से मुक्त होने वाला पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के बाद इंदौर देश का दूसरा तथा प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इंदौर में आम लोगों ने आगे आकर इस काम में भागीदारी की और स्वयं इसकी माँग की।

जिले की सभी 312 ग्राम पंचायतों के 610 गाँवों में शौचालय बन गये हैं। सभी लोग इन शौचालयों का उपयोग कर रहे हैं। कलेक्टर द्वारा गठित दलों ने इसका प्रमाणीकरण भी किया है। इस कार्य में गाँव के बच्चों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन बच्चों की वानर सेना ने अपने माता-पिता से जिद कर घरों में शौचालय बनवाये और लोगों को खुले में शौच करने से रोका। गांवों की महिलाएँ भी इस काम में पीछे नहीं रहीं। उन्होंने घर-घर जाकर इसकी अलख जगाई। वानर सेना और महिलाओं ने प्रतिदिन सुबह 4 बजे से लगातार इस बात की निगरानी की कि कोई भी खुले में शौच तो नहीं जा रहा।

अभियान में वानर सेना में जिले के 10 हजार से अधिक बच्चों ने भाग लिया है और यह लगातार सक्रिय हैं। महिलाओं ने लोकगीत बनाकर खुले में शौच के विरुद्ध वातावरण बनाया। जन-प्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने ढंग से लोगों को इस बात के लिये प्रेरित किया। कई जगह उन्होंने आर्थिक सहयोग कर लोगों के घर में शौचालय बनवाये। इंदौर जिले में संचालित स्वच्छता संग्राम अभियान में महिलाओं और बच्चों ने पुरुषों से घर पर शौचालय की माँग की। प्रशासन के सहयोग से अथवा खुद के सामर्थ्य से घरों में शौचालय बनाये और पड़ोसियों को भी प्रेरित किया। शौचालय का उपयोग न करने वालों को शौचालय का उपयोग करने के लिये मनाया। गाँव में शर्म यात्राएँ निकाली गईं। शौच के लिए उपयोग होने वाले लोटा, बॉटल को सबके सामने जलाया गया। खुले में शौच से मुक्त होने के बाद गाँवों में गर्व यात्राएँ निकाली गयीं।

देश की 20 में से प्रदेश के सबसे अधिक 3 शहरों का स्मार्ट सिटी के लिये चयन

देश के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिये मध्यप्रदेश के 3 शहरों का चयन भारत सरकार ने किया है। इसके लिये मध्यप्रदेश के 7 शहर के प्रोजेक्ट बनाकर भेजे गये थे। प्रथम चरण के 20 शहरों में मध्यप्रदेश के सबसे अधिक शहरों का चयन हुआ है। मध्यप्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जहाँ से 3 शहरों को चुना गया है। मात्र 5 प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाले राज्य के 3 शहर का स्मार्ट सिटी के रूप में चुना जाना प्रदेश के लिये उपलब्धि है। यह शहर भोपाल, इंदौर और जबलपुर हैं। इसमें इंदौर के राजबाड़ा क्षेत्र, जबलपुर के रानी ताल तथा गोल मार्केट और भोपाल के शिवाजी नगर क्षेत्र को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा। स्मार्ट सिटी की अवधारणा में नागरिकों को सुकून तथा सुलभ सुविधायुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना मुख्य उद्देश्य है। इसमें साफ-सफाई, वाय-फाय सुविधा, मोबाइल पर अन्य नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाना तथा सामुदायिक विकास के लिये पहल विशेष रूप से सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त 24 अन्य बिन्दुओं पर स्मार्ट सिटी के लिये चयनित क्षेत्रों को विकसित किया जायेगा। चयनित नगरों के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये प्रति नगर उपलब्ध करवाये जायेंगे। इसके साथ ही अन्य योजनाओं जैसे अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, मेट्रो परियोजना, रेपिड बस सिस्टम जैसे कार्यक्रमों को जोड़कर क्षेत्र का समग्र विकास किया जायेगा। विकास की प्रक्रिया में सर्वप्रथम चयनित क्षेत्र विकसित किये जायेंगे। यह प्रक्रिया इस प्रकार संचालित होगी कि शहर के अन्य क्षेत्रों का भी चरणबद्ध विकास शुरू हो सके। स्मार्ट सिटी परियोजना में संसाधनों के बेहतर उपयोग, नागरिकों की सहभागिता तथा निजी विकासकर्ताओं की विशेषज्ञताओं को समाहित कर शहरों को विकसित किया जायेगा। केन्द्र सरकार से प्रथम चरण में 2 साल की ग्रांट 200 करोड़ तुरंत प्राप्त होगी। इसके बाद अगले 3 साल में हर साल 100-100 करोड़ की राशि मिलेगी। मध्यप्रदेश की स्मार्ट सिटी के लिये लगभग 5000 करोड़ की योजना बनायी गयी है। इसमें केन्द्र और राज्य सरकार के अलावा शहर के ही संसाधनों को विकसित कर राशि इकट्ठी की जायेगी। स्मार्ट सिटी का प्रस्ताव शहर की आवश्यकता और जनसंख्या को देखते हुए बनाया गया है। इसके लिये नागरिकों का योगदान और सुझाव लिया गया है। स्मार्ट सिटी बनने से नागरिकों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आयेगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में सबसे अधिक स्मार्ट सिटी का चयन हुआ है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि अगले 3 सालों में परिणाम सामने होंगे।

नाम के अनुरूप ही काम कर रहा है

पंचायत दर्पण

पंचायत दर्पण जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पंचायतों में पारदर्शिता बरतने के लिए इसे शुरू किया गया है। इसमें जो जानकारी फीड की गई है वह प्रामाणिक है। एक पंचायत एक खाता के उददेश्य से शुरू हुआ पंचायत दर्पण अब प्रदेश की सभी 23006 ग्राम पंचायतों का डाटा संग्रह किये हुए है। ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनुशासन स्थापित किया जा सके इसलिए यह व्यवस्था लागू की गई। प्रायः यह देखा जाता था कि ग्राम पंचायतों में एक से अधिक खाते होने के कारण यह कभी पता ही नहीं चल पाता था कि ग्राम पंचायत के पास कितनी राशि है और वह किस योजना की है। यही नहीं, ऑडिट में भी गंभीर आपत्तियां आती थीं। क्योंकि खातों की लेजर बनाने की कभी आदत ही नहीं होती थी। इस समस्या को दूर किया एक पंचायत एक खाता के माध्यम से पंचायत दर्पण पोर्टल ने। इसमें सभी प्राप्त एवं व्यय राशि की जानकारी दी रहती है। पोर्टल पर पंचायतों की लेजर व केशबुक उपलब्ध रहती है। इसी कारण ऑडिट के लिये भी सारी उपयोगी जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यही नहीं, ऑडिट के बाद सभी पंचायतों की सीए की ऑडिट रिपोर्ट भी इस वेब पोर्टल पर देखी जा सकती है।

पंचायत दर्पण पोर्टल को और पारदर्शी बनाने के लिए एक अप्रैल 2015 से चेक या नगद भुगतान के स्थान पर सीधे बैंक खाते से खाते में राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई। यह भुगतान व्यवस्था सरपंच एवं सचिव के राशि आहरण व भुगतान के अधिकार को और सुदृढ़ करती है। इस नई व्यवस्था का लाभ यह है कि जिस समय बैंक को भुगतान हेतु स्वीकृति आदेश प्रस्तुत किया जाएगा उसी समय भुगतान हो जाएगा। इस व्यवस्था से अब राशि का तभी भुगतान हो सकेगा, जब

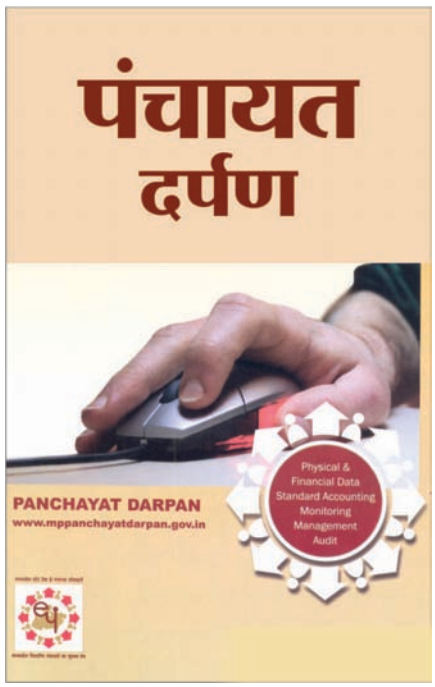

सामग्री या सेवा का मूल्यांकन होकर बिल प्राप्त हुआ होगा। इस कारण ग्राम पंचायतों से राशि वसूली की स्थिति निर्मित नहीं होगी, जबकि पहले चेक जारी होने के बाद कार्य नहीं होने के कारण कई सरपंच एवं सचिवों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता था।

पंचायतों में डाटाबेस क्यों तैयार किया जाए या लोखों के रख-रखाव को व्यवस्थित ढंग से रखा जाए? इसके लिए तेरहवें वित्त आयोग ने अपने प्रतिवेदन में पहली बार जोर देकर कहा था। ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोग ने पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सुझाव न दिये हो। उन्हीं सुझावों में सबसे महत्वपूर्ण सुझाव पंचायतों का डाटाबेस बनाने और लेखों के रख-रखाव से सम्बंधित था। वित्त आयोग के इन्हीं सुझावों और आयोग के ऑब्जरवेशन के बाद भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय ने "प्रिया सॉफ्ट" के नाम से एक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया। यह सॉफ्टवेयर वर्ष 2009 में लागू किया गया था। यह सॉफ्टवेयर पंचायतों को अपने एकाउण्ट के रखरखाव में सहायता के लिए बनाया गया था। काफी हद तक प्लानिंग एवं मॉनीटरिंग की विभिन्न गतिविधियों में यह सॉफ्टवेयर सहायक भी रहा, लेकिन यह सॉफ्टवेयर चूंकि डबल एन्ट्री सिस्टम पर आधारित था इसलिए अपनी जटिलता के कारण इसका क्रियान्वयन ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत राज विभाग ने उल्लेख किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर इंटरनेट एक्सेस की कमी है। इसी कारण ग्राम पंचायत स्तर पर भौतिक रूप से अभिलेखों के संधारण की जटिलता के कारण ही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का ग्राम पंचायत स्तर पर दस्तावेजीकरण नहीं हो पाता है। इसलिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाना चाहिए, जो ग्राम पंचायतों व अन्य कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाईयों के लिए एकाउन्टिंग, रिपोर्टिंग और मॉनीटरिंग जैसी जरूरतों को पूर्ण कर सके। इन सभी जरूरतों को पूर्ण कर रहा है पंचायत दर्पण पोर्टल। इस वेब पोर्टल में उन सभी आवश्यक जरूरतों को शामिल किया गया, जिसकी आवश्यकता पूर्व में महसूस की गई थी। इसके साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि मध्यप्रदेश के गठन के साथ ही पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। मध्यप्रदेश का गठन 1 नवम्बर 1956 को तत्कालीन महाकौशल, छत्तीसगढ़, मध्यभारत, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सब डिवीजन सिरोंज को मिलाकर किया गया था। पूर्व में सभी जगहों पर पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित पृथक-पृथक कानून व्यवस्थाएं प्रचलित थीं। इस कारण ही प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए वर्ष 1962 में

मध्यप्रदेश पंचायत राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त व कारगर बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक संशोधन कर वर्ष 1981 तथा 1990 में नये पंचायत अधिनियम बनाए गए। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप प्रदेश में मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) दिनांक 25 जनवरी 1994 से लागू किया गया है।

राज्य सरकार ने पंचायत राज संस्थाओं के दिन-प्रतिदिन बढ़ती हुई गतिविधियों एवं दायित्वों को ध्यान में रखते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन स्वतंत्र पंचायत राज संचालनालय के गठन का निर्णय 6 दिसम्बर 2007 में लिया गया। यह संचालनालय 1 अप्रैल 2008 से कार्य कर रहा है। आयुक्त पंयायत राज के प्रशासकीय नियंत्रण में जिला स्तर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कार्यरत हैं। विकासखण्ड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, खण्ड पंचायत अधिकारी पदस्थ हैं, क्लस्टर स्तर पर पंचायत समन्वय अधिकारी एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव कार्यरत हैं। पंचायत विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण एवं नियमन के लिए राज्य मंत्रालय में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, तथा अन्य अमला कार्यरत है। यह अमला विभाग की नीतियों के निर्धारण तथा नियमन का कार्य करता है। संचालनालय स्तर पर आयुक्त, अपर संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक, सहायक संचालक एवं अन्य अमला कार्यरत है। यह अमला विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ-साथ मैदानी अमले पर भी प्रशासकीय नियंत्रण रखता है।

पंचायत दर्पण पोर्टल में लॉगइन के लिए ग्राम पंचायत और जनपद स्तर पर अलग-अलग आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पंचायत दर्पण पोर्टल में लॉगइन के लिए ग्राम पंचायत सचिव को अधिकृत किया गया है। उन्हें यह भी समझाइश दी गई कि उनके लिए यूजर नेम एवं पासवर्ड गोपनीय हैं। इसे किसी से साझा न करें। पोर्टल पर जो भी कार्य या एन्ट्री करें। वह अधिकृत एवं सही मानी जाती है, इसलिए एन्ट्री करने से पूर्व उस जानकारी की सत्यता अवश्य जांच लें। ग्राम पंचायत स्तर से लॉगइन के लिए पहले ग्राम पंचायत के एक मात्र बैंक खाते को फ्रीजिंग किया जाता है। फिर उस फ्रीज किये गये बैंक खाते में समस्त योजनाओं की जमा राशि के 1 अप्रैल 2015 की स्थिति में प्रारंभिक शेष की फ्रीज की जाती है। इसके बाद भुगतान प्राप्त करने वाली एजेंसी, लेबर या वेंडर का उनके बैंक खाते सहित रजिस्ट्रेशन किया जाता है। उसके बाद समस्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत, प्रगतिरत या पूर्ण कार्यों की एन्ट्री, उनकी वर्तमान स्थिति एवं उन पर किये गये भुगतान या बिल की एन्ट्री की जाती है। फिर अंत में इलेक्ट्रानिक पेमेंट ऑर्डर (ईपीओ) का जनरेशन कर एजेंसी, लेबर या वेंडर को ई-भुगतान किया जाता है। जनपद स्तर से लॉगइन कर सर्वप्रथम क्लस्टर मुख्यालय बनाना चाहिए। इस बनाये गये क्लस्टर मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का मैप कराया जाता है। फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, पंचायत समन्वयक अधिकारी, उपयंत्री, सहायक यंत्री, खंड पंचायत अधिकारी का रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित क्लस्टर व ग्राम पंचायत से उनकी मैपिंग करायी जाती है। फिर बाद में ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये कार्यों की मॉनिटरिंग कर एन्ट्री पूर्ण करायी जाती है।

पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ही ई-भुगतान किया जाता है। इलेक्ट्रानिक पैमेंट ऑर्डर (ईपीओ) को इस तरह जनरेट किया जाता है :-

बैंक खाते का प्रबंधन - पंचायत दर्पण पोर्टल के इस मॉडयूल में बैंक खाते का प्रबंधन ग्राम पंचायत लॉगइन से बैंक खाता तथा बैलेंस फ्रीज करके किया जाता है।

1. बैंक खाते को फ्रीज करना - प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये एक खाता निर्धारित किया गया है। निर्धारित प्रावधानों के अनुसार इस मॉडयूल में सभी को ग्राम पंचायत के पंच-परमेश्वर योजना के खाते का विवरण पूर्व से दर्ज रहता है। इस विवरण का मिलान अपनी बैंक की पासबुक से करना होता है। बाद में मिलान की स्थिति में पासबुक की छाया प्रति स्केन करके अपलोड करना होता है। उसके बाद बैंक खाते को लॉक

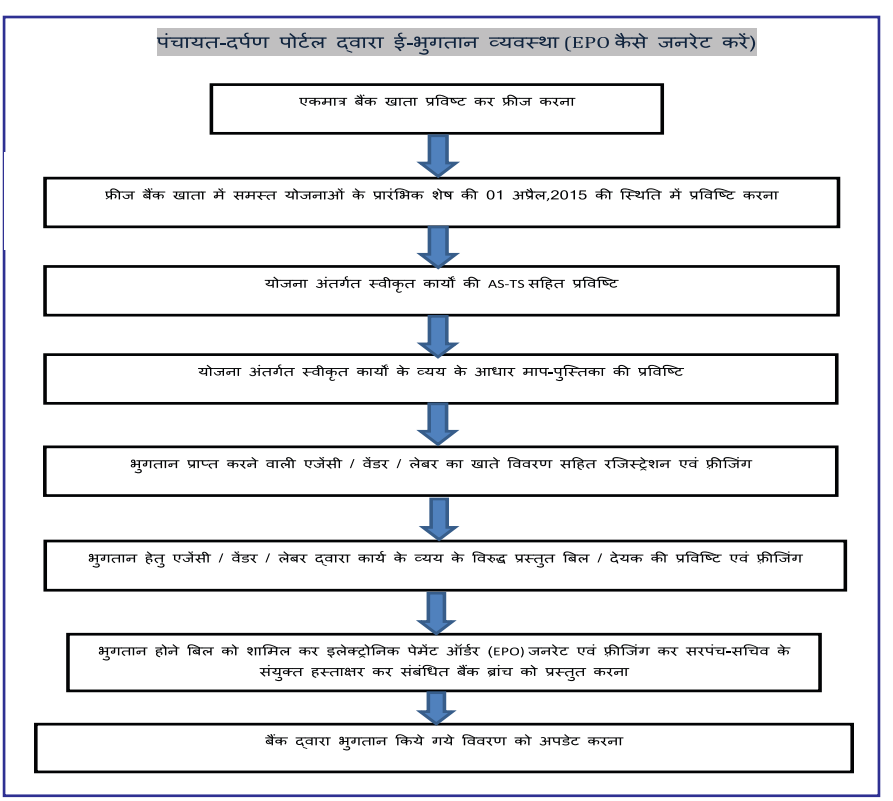

करके फ्रीज करना होता है। यदि पूर्व से पोर्टल पर दर्ज खाते का विवरण आपके बैंक खाते से मिलान नहीं कर रहा है तो अपने वास्तविक खाते का विवरण पोर्टल पर दर्ज कर बैंक पासबुक के पहले पेज को स्केन कर अपलोड करना होता है तथा ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजना होता है। उस रिक्वेस्ट को पंचायतराज संचालनालय द्वारा मान्य किये जाने के बाद ही खाते को लॉक कर फ्रीज किया जा सकता है।

2. ओपनिंग बैलेंस को फ्रीज करना - बैंक खाते को फ्रीज करने के बाद आपको इस मॉडयूल में जाकर आपकी बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल 2015 की स्थिति में योजनावार ओपनिंग बैलेंस दर्ज करना होता है। पोर्टल पर उन सभी संभावित योजनाओं के नाम आपको मिलेंगे, जिनका पैसा आपके बैंक खाते में शेष हो सकता है। यदि आपके पास शेष राशि की योजना इस सूची में सम्मिलित नहीं है तो आप अन्य के रूप में उस योजना का विवरण दर्ज करते हुए उसका ओपनिंग बैलेंस दर्ज कर सकते हैं। अपनी कार्य सुविधा के अनुसार यह उचित होगा कि आप पोर्टल पर दर्ज करने के पहले अपने खाते के कुल बैलेंस का योजनावार विवरण कागज पर तैयार कर लेने के बाद तथा मिलान होने की स्थिति में पोर्टल पर आसानी से दर्ज किया जा सकता है। इस प्रकार ओपनिंग बैलेंस डालते ही आपके ग्राम पंचायत का योजनावार लेजर तैयार हो जाएगा और आपके उपयोग के लिये राशि उपलब्ध रहेगी।

क्लस्टर प्रबंधन - पंचायत दर्पण पोर्टल के इस मॉड्यूल में जनपद पंचायत लॉगइन से क्लस्टर मुख्यालय नियत करते हुए उनके साथ ग्राम पंचायतों को मेप करना होता है।

1. ग्राम पंचायत को क्लस्टर मुख्यालय के रूप में चिन्हित करना - जैसा कि आपको पता है कि आपकी जनपद पंचायत में ग्राम पंचायतों को क्लस्टर में विभाजित कर कलस्टर मुख्यालय द्वारा निर्धारित किया जाता है। क्लस्टर प्रबंधन के अंतर्गत इस माड्यूल के रजिस्टर क्लस्टर ऑप्शन में आपको अपनी जनपद पंचायत की सभी ग्राम पंचायतों की सूची प्राप्त होगी, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत के नाम के सामने एक चेक बॉक्स दिखेगा। इस सूची में जो ग्राम पंचायतें पूर्व से ही क्लस्टर मुख्यालय हैं उनके सामने के चेक बॉक्स में आप एक साथ टिक करके सूची के अंत में दिये गये रजिस्टर सिलेक्टेड ग्राम पंचायत एज क्लस्टर बटन को दबाकर क्लस्टर मुख्यालय निर्धारित करने की यह कार्रवाई पूर्ण करनी होती है। इस प्रक्रिया से आपके द्वारा बनाये गये क्लस्टर की सूची आप लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड क्लस्टर ऑप्शन में देख सकते हैं।

2. ग्राम पंचायतों को क्लस्टर मुख्यालय के साथ मैप करना - क्लस्टर प्रबंधन के इस आप्शन में आपको आपके द्वारा निर्धारित किये गये क्लस्टर मुख्यालय की सूची प्राप्त होती है। आपको इस सूची में से प्रत्येक क्लस्टर को एक-एक करके सिलेक्ट कर उसके साथ उसकी ग्राम पंचायतों को मेप करना होता है। क्लस्टर सिलेक्ट करने पर आपकी जनपद पंचायत की सभी ग्राम पंचायतों की सूची चेक बॉक्स सहित प्रदर्शित होगी। आपके द्वारा सिलेक्ट किये गये क्लस्टर की ग्राम पंचायतों के सामने चेक बॉक्स को टिक करके मेप सिलेक्टड ग्राम पंचायत विथ क्लस्टर ऑप्शन बटन को दबाकर क्लस्टर के साथ ग्राम पंचायतों को मेप करने की कार्रवाई पूर्ण करनी होती है। इसके बाद आप मेप्ड एवं अन मेप्ड ग्राम पंचायतों की सूची इसी माड्यूल में देख सकते हैं।

कर्मचारी प्रबंधन - पंचायत दर्पण पोर्टल के इस मॉड्यूल में जनपद पंचायत लागइन से कर्मचारियों का पंजीयन किया जाता है, उनका कर्मचारी कोड जनरेट कर उन्हें उनकी पंचायत व क्लस्टर से मेप करना होता है।

1. कर्मचारी का पंजीयन - इस मॉड्यूल में कर्मचारी रजिस्ट्रेशन ऑप्शन में जाकर जनपद पंचायत स्तर के कर्मचारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सहायक यंत्री, खण्ड पंचायत अधिकारी, पंचायत समन्वयक अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम रोजगार सहायक को रजिस्टर्ड करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिये संबंधित कर्मचारी का जन्म दिनांक, मोबाइल नम्बर, ई-मेल सहित अन्य विवरण की आवश्यकता होती है। समस्त विवरण दर्ज करने के बाद नीचे दिये गये रजिस्टर कर्मचारी बटन को दबा कर रजिस्ट्रेशन की यह प्रक्रिया पूर्ण करनी होती है। इसी ऑप्शन में आप कभी भी कर्मचारी का मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल अपडेट कर सकते है। इसी ऑप्शन में आपको अपने यहां रजिस्टर्ड किये गये कर्मचारियों की सूची देखने के लिये उपलब्ध रहती है।

2. कर्मचारी कोड जनरेट करना - इस मॉडयूल के कर्मचारी कोड जनरेट ऑपशन में जाकर आपको पंजीकृत कर्मचारी के नाम के सामने प्रदर्शित हो रहे क्रियेट यूजर बटन को दबाकर पंजीकृत कर्मचारी का एम्प्लाई कोड जनरेट करना होता है।

3. कर्मचारी को उसके क्षेत्र के साथ मेप करना - मॉड्यूल के इस ऑप्शन में कर्मचारी का पद नाम, नाम और क्लस्टर व पंचायत सिलेक्ट करके मेप विथ ऑफिस बटन को दबाकर यह कार्रवाई पूर्ण करनी होती है।

वेंडर प्रबंधन - पंचायत दर्पण पोर्टल के इस मॉड्यूल में ग्राम पंचायत लॉगइन से उनके व्यक्तियों का विवरण वेंडर के रूप में दर्ज करना है, जिन्हें ग्राम पंचायत के द्वारा सामग्री, मजदूरी, किराया, वेतन सहित सभी प्रकार के भुगतान किये जाएंगे।

1. वेंडर का पंजीयन - इस मॉड्यूल के रजिस्टर वेंडर ऑप्शन में जाकर उन सभी व्यक्तियों, फर्मों, कर्मचारियों, मजदूरों तथा विभागों का उनके मोबाइल नम्बर तथा पते सहित समस्त चाही गयी जानकारियां दर्ज कर नीचे दिये गये सेव बटन को दबाकर जानकारी सेव करनी होती है।

2. वेंडर के बैंक डिटेल की एन्ट्री - इस मॉड्यूल के रजिस्टर बैंक डिटेल ऑप्शन में जाकर आपके द्वारा सेव किये गये वेंडर के नाम के सामने बैंक एकाउंट विवरण दर्ज कर बटन को दबा कर आने वाले फॉर्म में संबंधित व्यक्ति या फर्म का आईएफएससी कोड दर्ज कर अपडेट बटन दबा कर वेंडर के खाते को फ्रीज करने की यह कार्रवाई पूर्ण करनी होती है।

कार्य प्रबंधन - पंचायत दर्पण पोर्टल के इस मॉड्यूल के वर्क मैनेजमेंट ऑप्शन में

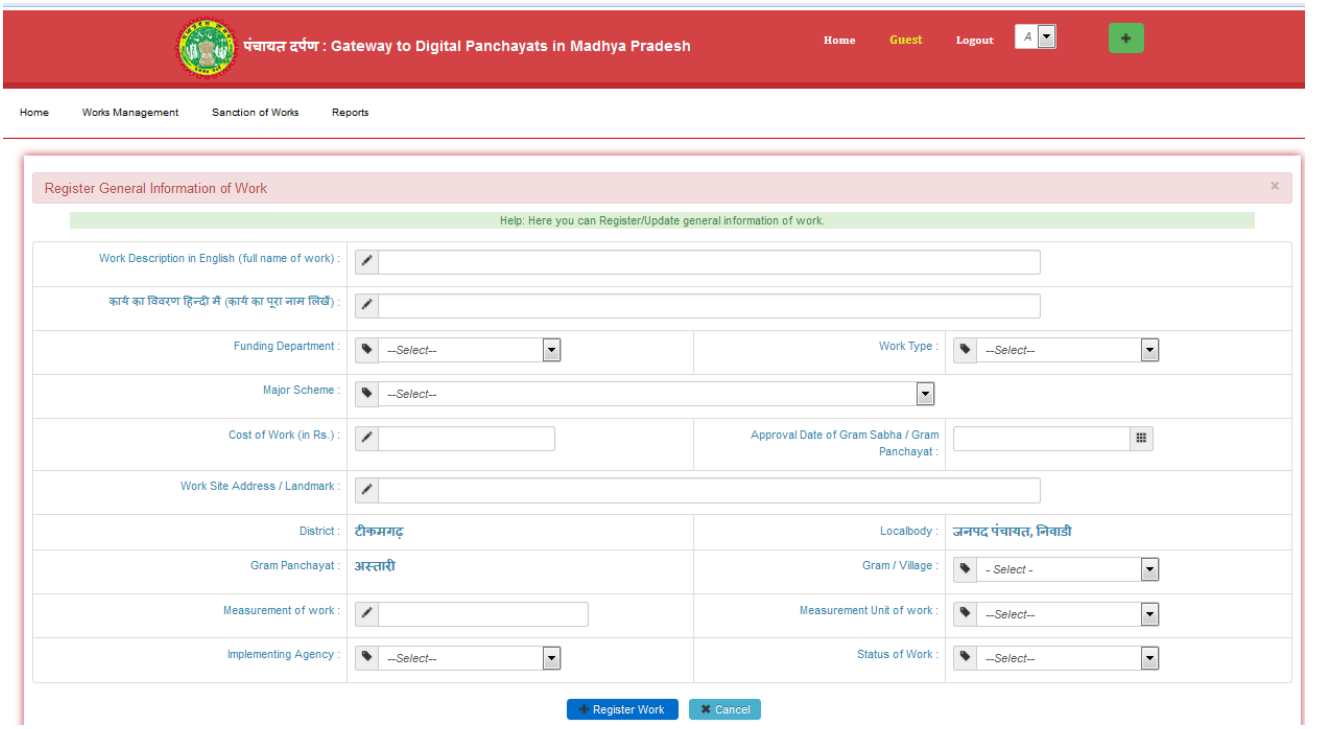

जाकर पंचायत स्तर पर किये गये समस्त पूर्ण, प्रगतिरत, अप्रारंभ कार्यों की एन्ट्री की जाएगी। इसमें किये गये कार्य का विवरण, उसकी लागत, कार्य कन्वर्जेंस (एक से अधिक योजना) से किया गया या नहीं, योजना का नाम, कार्य स्थान, कार्य की माप, कार्यांवित एजेंसी एवं कार्य की स्थिति एन्ट्री कर रजिस्टर वर्क बटन दबाकर सेव करनी होती है।

एन्ट्री किये गये कार्य में सुधार करना एवं सेव वर्क को देखना - सेव किये गये कार्यों को वर्क मैनेजमेंट में दिये गये ऑप्शन में से चुनकर सुधार कर सकते हैं। जब तक कि उसकी तकनीकी स्वीकृति एन्ट्री न की हो। कार्य की तकनीकी स्वीकृति एन्ट्री की जाने की दशा में उसमें सुधार संभव नहीं होता है। इसी प्रकार सेव किये गये वर्क को कभी भी देख सकते हैं।

सेव किये गये कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति तथा उसका स्टेटस एन्ट्री करना।

तकनीकी स्वीकृति - सेव किये गये कार्यों की सूची में दिये गये ऑप्शन टीएस या सेक्शन ऑफ वर्क्स मीनू से कार्य की तकनीकी स्वीकृति, जिसमें उसका प्रकार, जारीकर्ता एजेंसी, योजनावार एवं कम्पोनेंटवार स्वीकृत राशि एन्ट्री कर रजिस्टर टीएस बटन दबाकर सेव करना होता है।

प्रशासकीय स्वीकृति - सेव किये गये कार्यों की सूची में दिये गये ऑप्शन एएस या

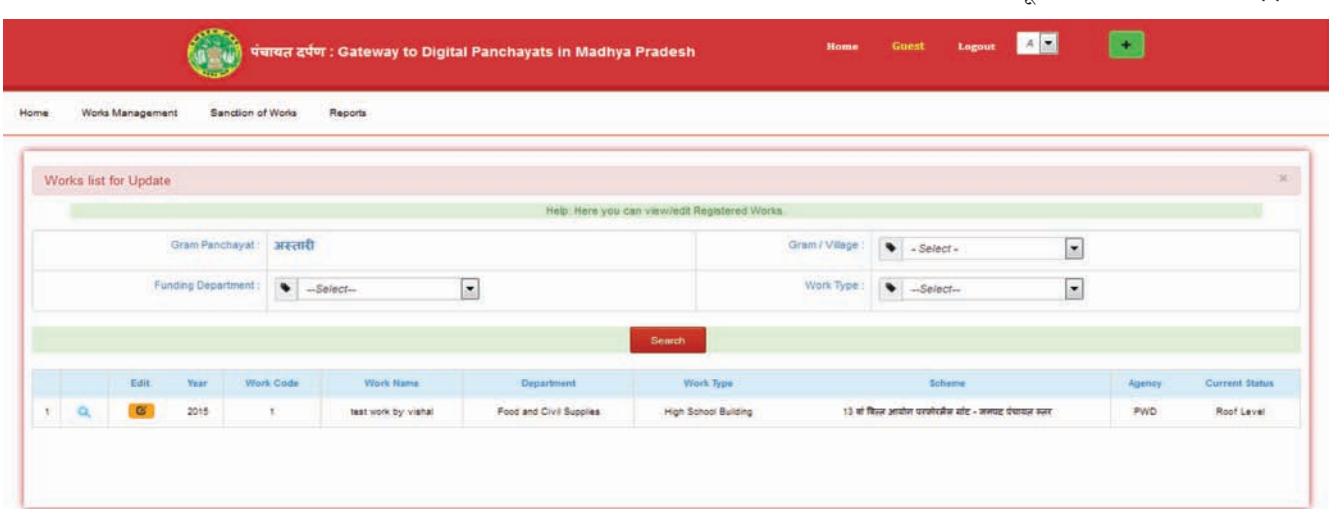

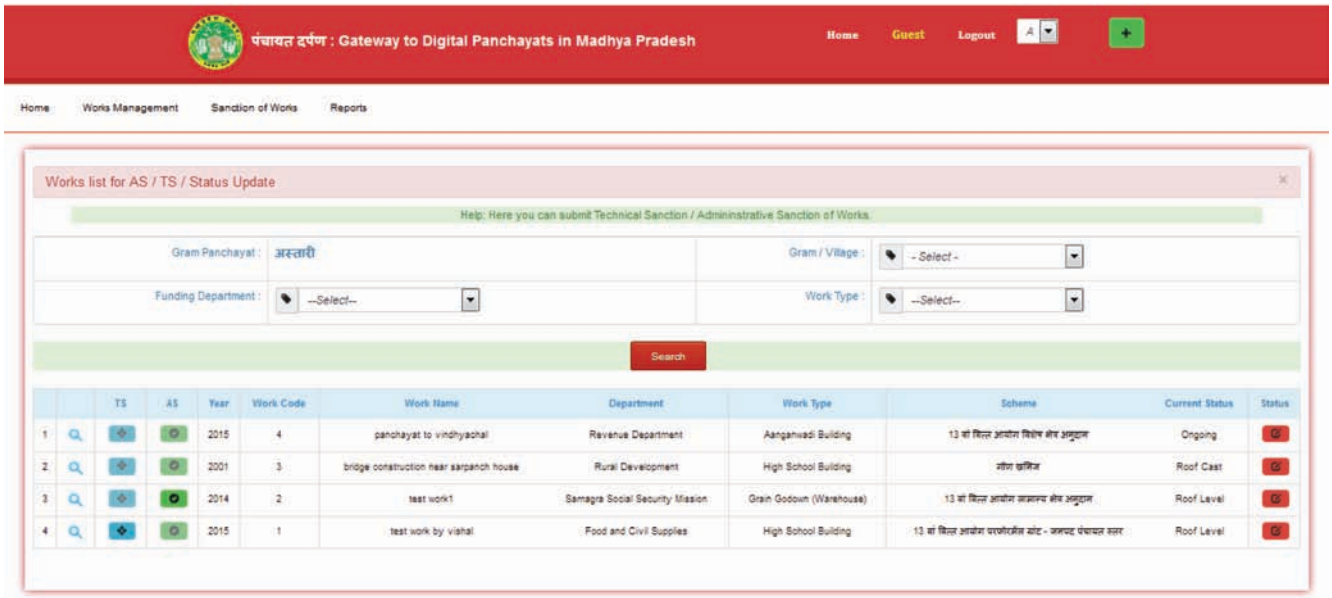

सेक्शन ऑफ वर्क्स मीनू से कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति, जिसमें उसका प्रकार, जारीकर्ता एजेंसी, स्वीकृत राशि एन्ट्री कर रजिस्टर एएस बटन दबाकर सेव करना होता है।

कार्य का स्टेटस - सेव किये गये कार्यों की सूची में दिये गये ऑप्शन स्टेटस से कार्य का स्टेटस, जिसमें कार्य का वर्तमान स्थिति, रिमार्क एन्ट्री कर अपडेट स्टेटस बटन दबाकर सेव करना होता है।

पंचायत दर्पण पोर्टल में उपलब्ध रिपोर्ट 8 प्रकार की होती है।

1. एकाउंट फ्रीजिंग, 2. ओपनिंग बैलेंस फ्रीजिंग, 3. वेंडर रिपोर्ट, 4. क्लस्टर रिपोर्ट, 5. एम्प्लॉई रिपोर्ट, 6. ऑडिट रिपोर्ट, 7. पेमेंट रिसीविंग रिपोर्ट, 8. ईपीओ रिपोर्ट स्टेटस-1. ईपीओ रिपोर्ट स्टेटिस्टिक्स, 2. नॉट जनरेटेड ईपीओ।

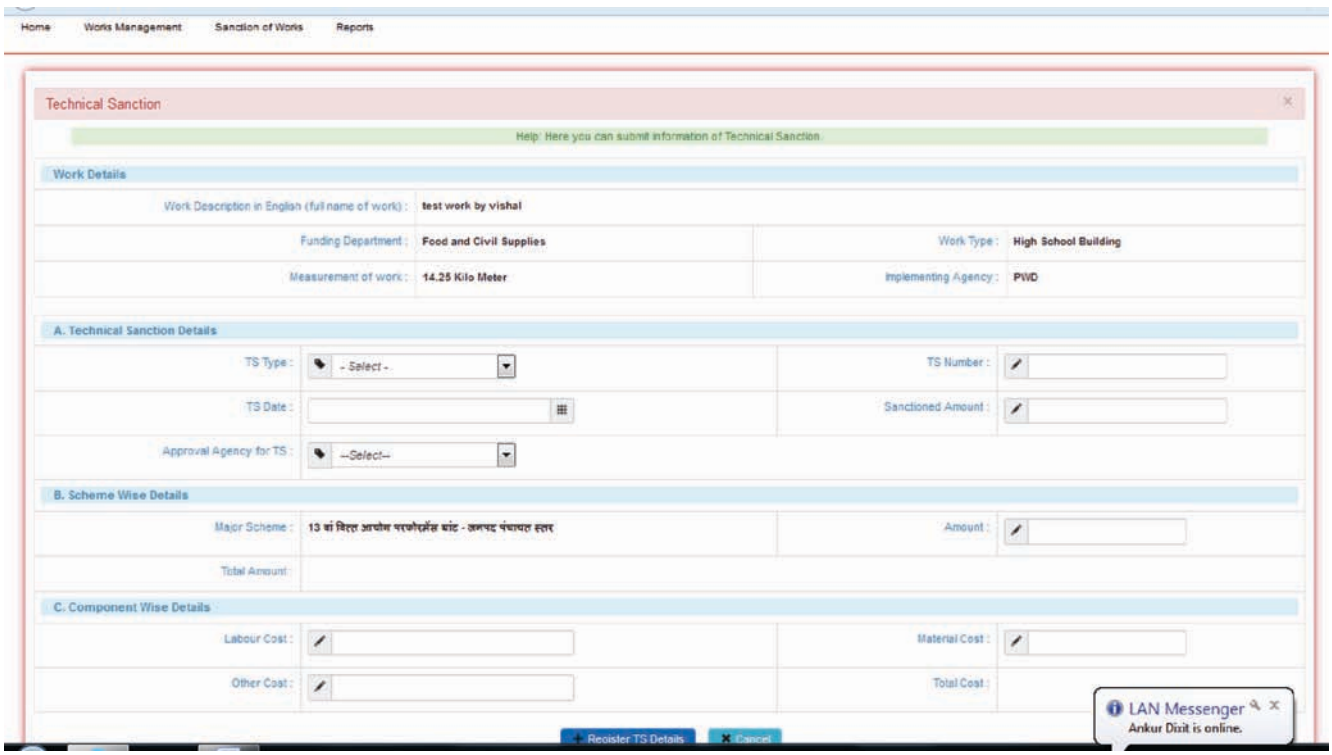

पंचायत दर्पण पोर्टल में एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी होता है, जो कि पांच तरीकों से कन्ट्रोल करके रखता है। 1.अप्रूव बैंक अकाउंट, 2. अनलॉक बैंक अकाउंट - ओपनिंग बैलेंस, 3. अनलॉक वेंडर, 4. रिसेट जीपी पासवर्ड, 5. अप्रूव बैंक आईएफएससी डिटेल्स।

पंचायत दर्पण पोर्टल एक बहुउपयोगी वेब पोर्टल है। इसके माध्यम से पंचायत फण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम को और कारगर बनाया जा सका है। यह एक त्रिस्तरीय फायनेन्शियल मॉनीटरिंग सिस्टम है जिसमें जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा अपनाया जाता है। इस सिस्टम में पंचायतों द्वारा जरूरी और बुनियादी आंकड़ों की एन्ट्री की जाती है। इस व्यवस्था में निम्न बिन्दुओं की मॉनीटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है। इनमें आवंटित कोष, कुल व्यय, पंचायतों द्वारा कराये जा रहे कार्यों की स्थिति, विभिन्न प्रारूपों में कस्टमाईज्ड प्रारूप बनाना, योजना की मॉनीटरिंग और वित्तीय प्रगति की महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा प्रस्तावित आठ प्रतिवेदन तैयार करने में, पोर्टल एडमिनिस्ट्रेटर या कार्यालय प्रमुख द्वारा सबसे अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए सभी आने वाली घटनाओं और अद्यतन जानकारी देना आदि है।

पंचायत फण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम का व्यापक उद्देश्य आदर्श वित्तीय ई-गवर्नेंस की स्थिति को सम्पूर्ण तथा अद्यतन अभिलेखों की मॉनीटरिंग द्वारा प्राप्त करना है। ग्राम पंचायत स्तर एवं उससे ऊपर के स्तर पर प्रत्येक लेन-देन की मॉनीटरिंग होगी। यही नहीं, आसानी से डाटा एन्ट्री करना अर्थात् न्यूनतम प्रयास से न्यूनतम समय में वांछित डाटा एन्ट्री करना, प्रयत्नों का दोहराव न हो अर्थात् वो डाटा जो दूसरे सॉफ्टवेयर में उपलब्ध हो उसे काफी हद तक इस सॉफ्टवेयर में ही शामिल कर लिया जाये, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय मॉनीटरिंग की रिपोर्ट का यह एकमात्र स्त्रोत हो, पी.एफ.एम.एस. का उद्देश्य विभिन्न स्तर पर आवंटित कोष पर आधारित वित्तीय स्थिति को दर्शाना भी है, सीएजी द्वारा प्रस्तावित अभिलेखों एवं प्रतिवेदनों को तैयार करना और उसको मैन्टेन करना भी सुनिश्चित करना है।

पंचायत फण्ड मॉनीटरिंग सिस्टम में जानकारी प्राप्त करने का तरीका बहुत ही आसान बना दिया गया है। यूजर एक वाउचर की एन्ट्री करता है और वो इच्छानुसार वित्तीय एवं एम.आई.एस. प्रतिवेदन प्राप्त कर सकता है। इस व्यवस्था में बजट अलॉटमेंट, निर्माण कार्य आरम्भ करने की स्थिति, 'वर्क मास्टर' के द्वारा निर्माण कार्य की मौजूदा स्थिति, फायनेंशियल ट्रांजेक्शन बल्क डाटा व इम्पोर्ट वर्क बल्क डाटा इम्पोर्ट, रोजगार की ताजा

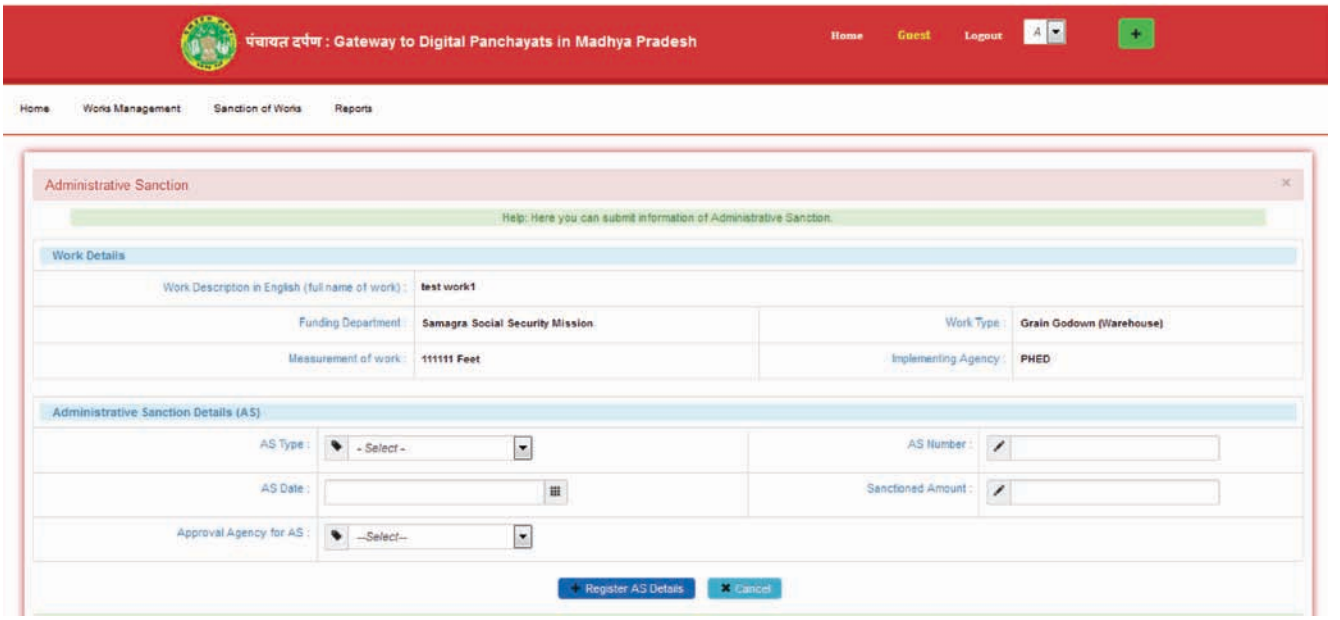

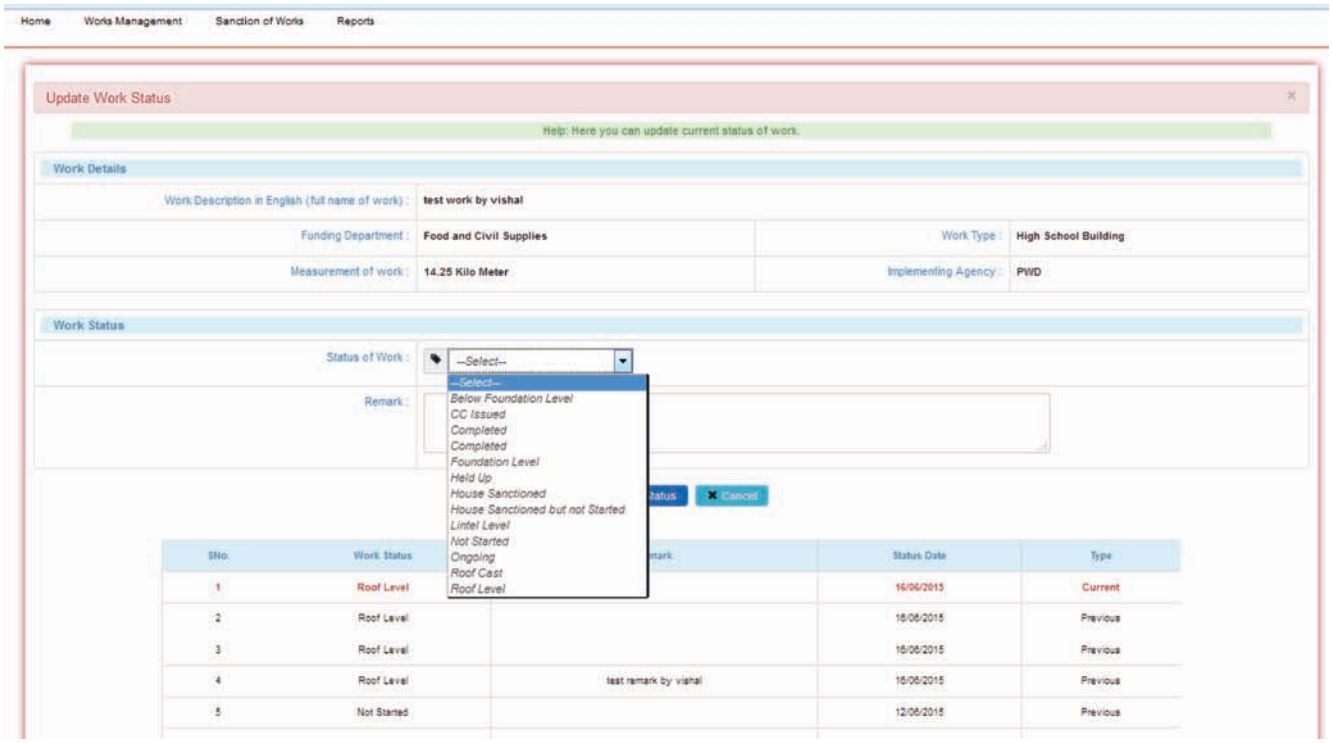

सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम जानकारी होने पर इससे अधिकतम संख्या में सूचनाएं और प्रतिवेदन प्राप्त हो जाते हैं।

पंचायत दर्पण पोर्टल में निम्नलिखित जानकारियां मिलती हैं :-

1. पंचायत पदाधिकारियों की स्केन फोटो के साथ व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध रहती है।

2. पंचायत की भौगोलिक जानकारी- क्षेत्रफल, जनसंख्या, पंचायत भवन की स्थिति उसके स्केन फोटो इत्यादि की जानकारी भी रहती है।

3. कार्य मास्टर - विभिन्न योजना के अंतर्गत कराये गये कार्य के तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति के विवरण, स्केन फोटो, स्केन माप पुस्तिका, स्केन बिल व वाऊचर के साथ उपलब्ध रहती है।

4. सरल एन्ट्री - विभिन्न योजना एवं पंचायत निधि के अंतर्गत आय एवं व्यय विवरण (सामग्री क्रय, दुकान का किराया इत्यादि)।

5. इस सॉफ्टवेयर में प्रदेश की सभी 23,006 ग्राम पंचायतों का डाटा लिया गया है।

6. पंचायत स्तर पर केवल दो प्रविष्टियों यानी रोकड़ बही रजिस्टर और कार्य रजिस्टर तैयार करने पर, खातों और वित्तीय रखरखाव के लिए महालेखा परीक्षक की सांविधिक रिपोर्ट एवं सभी वैधानिक योजनावार ब्यौरा इस सॉफ्टवेयर के द्वारा स्वतः ही प्राप्त किया जा सकता है।

7. योजनाएं - 13वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टाम्प ड्यूटी, स्वकराधान, परफॉर्मेंस ग्रांट, पंचायत निधि, सांसद व विधायक निधि और पंच-परमेश्वर, मनरेगा कन्वर्जेंस इत्यादि। यह वेब पोर्टल कई गतिविधियों को अंजाम देता है। इस वेब पोर्टल में निविदा दस्तावेज फाइल जिसे एक नम्बर से जोड़ा जाकर टेण्डर भी खोले जा सकते हैं। इस वेब पोर्टल में सूचना-पत्र, परिपत्र और उनके अद्यतन संस्करण भी डाले जाते हैं। इस वेब पोर्टल पर समाचार और मीटिंग व सेमीनार जैसी गतिविधियां, उपलब्धियां और प्रशिक्षण के शेड्यूल भी अपलोड किये जाते हैं।

पंच-परमेश्वर योजना, बैकवर्ड रीजन ग्राण्ट योजना, स्व कराधान योजना, परफॉर्मेंस ग्राण्ट और अन्य योजनाएं भी इस वेब पोर्टल पर उपलब्ध है।

प्रदेश में इस वर्ष 12.66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद

प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर धान की 12 लाख 66 हजार मीट्रिक टन खरीदी की गयी है। मध्यप्रदेश में खरीदी का कार्य 2 नवम्बर, 2015 से शुरू हुआ था, जो 25 जनवरी, 2016 तक चला। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 883 केन्द्रों पर खरीदी का कार्य किया गया। राज्य में धान बेचने के लिए इस वर्ष 5 लाख 65 हजार किसानों ने पंजीयन करवाया था। किसानों को अपनी फसल बेचने में दिक्कत न हो, इसके लिए उनको किस तारीख तक मंडी पहुँचना है, इसकी जानकारी भी एस.एम.एस. के जरिये दिये जाने की व्यवस्था की गई थी।

पिछले साल प्रदेश में 12 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गयी थी। इस वर्ष किसानों से कामन किस्म 1410 रुपये और ग्रेड-'ए' धान 1450 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीदा गया।

मोटे अनाज की हुई 27 हजार मीट्रिक टन खरीदी : प्रदेश में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज की 27 हजार 910 मीट्रिक टन खरीदी की गयी। मोटे अनाज की खरीदी का कार्य प्रदेश में 26 अक्टूबर, 2015 से शुरू हुआ था, जो 25 जनवरी, 2016 तक चला। मोटे अनाज की खरीदी 223 केन्द्रों पर की गयी। समर्थन मूल्य पर मोटे अनाज की बिक्री के लिये 92 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करवाया था।

प्रदेश में हाईब्रिड ज्वार 1570 रुपये, मालडण्डी 1590 रुपये, बाजरा एफएक्यू 1275 और मक्का एफएक्यू 1325 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर किसानों से खरीदा गया। किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर करने के लिये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये गये थे। धान खरीदी में ई-उपार्जन सॉफ्टवेयर के आँकड़ों के आधार पर उपार्जन समितियों के बैंक खातों में प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गई थी। समितियों द्वारा उपार्जित धान एवं मोटा अनाज उपार्जन एजेन्सियों द्वारा सुरक्षित रूप से गोदाम में पहुँचाया जा रहा है।

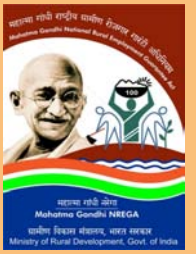

मनरेगा से प्रदेश में 6000 से अधिक खेल मैदान निर्मित

बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिये खेल-कूद को अभिन्न हिस्सा मानते हुए मनरेगा से प्रदेश में 6000 से अधिक खेल मैदान तैयार करवाये गये। इन खेल मैदानों पर ग्रामीण बच्चे अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे। पायका योजना में एक लाख तक की राशि खेल सामग्री के लिये दी जा रही है। प्रदेश में बनाये जा रहे इन खेल मैदानों के निर्माण से ग्रामीण परिवार को एक लाख से अधिक दिन का रोजगार भी मुहैया करवाया जा रहा है। प्रदेश में 5500 से अधिक खेल मैदान का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सीहोर जिले की खडहाट पंचायत में विकसित किये गये मैदान पर अभ्यास कर युवा हर वर्ष सेना में भर्ती हो रहे हैं। इस खेल मैदान पर दौड़, लम्बी कूद, कबड्डी, खो-खो, व्हालीबाल, फुटबाल और क्रिकेट जैसे खेल खेले जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण युवा प्रतिभाएँ प्रतिस्पर्धा के लिये तैयार हो रही हैं।

● हरीश बाबू

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना से लाभांवित होंगे प्रदेश के दो सौ ग्राम

- आधारभूत संरचना
- स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता
- मानव विकास और सामाजिक समरसता
- आजीविका

भारत के गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई योजनाओं को शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से गांवों को आदर्श ग्राम बनाने में ज्यादा मदद मिलेगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पीएमएजीवाय यानी कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से उन ग्रामों का चयन किया गया है, जिसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति बाहुल्य के लोग निवास करते हैं। इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश के लगभग 200 ग्रामों में यह योजना संचालित होगी। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। यह एक सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड पायलट स्कीम के तहत लागू की गई है। पीएमएजीवाय योजना के अंतर्गत विकास कार्य योजना निम्नलिखित बिन्दुओं पर केन्द्रित रहेगी- 1. फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, 2. सेनिटेशन एंड एनवायरमेंट, 3. सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्यूमन डवलपमेंट एंड सोशल हारमनी और 4. लाइवलीहुड। इन बिन्दुओं पर विस्तार से कार्य कर एक आदर्श ग्राम की परिकल्पना की जा सकेगी। इसके लिए सर्वप्रथम गाइडलाइन्स के अनुसार जिलों में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित प्रत्येक ग्राम का बेसलाइन सर्वे कराया जाएगा। इस बेसलाइन सर्वे के बारे में आवश्यक प्रपत्र और गाइडलाइन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जारी किये हैं। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम के लिए अलग-अलग डवलपमेंट प्लान होगा, जिसकी गाइडलाइन और निर्धारित दिशा-निर्देश भारत सरकार द्वारा जारी किये गये हैं। यदि जिले के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का चयन क्लस्टर के रूप में किया जाता है, तो इन ग्रामों के लिये एक समेकित ग्राम विकास योजना सरलता से तैयार की जा सकती है। इसलिए ग्रामों का चयन करते समय इन बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए कि ये ग्राम आपस में सटे हुए हों और अनुसूचित जाति बाहुल्य वाला ग्राम हो, उन ग्रामों को ही इस योजना के अंतर्गत चयनित करना है।

आधारभूत संरचना पर रहेगा जोर - 1. चयनित ग्रामों की सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ना, 2. चयनित सभी ग्रामों में स्वच्छ पीने योग्य पानी की व्यवस्था करना, 3. इन ग्रामों में प्रर्याप्त बिजली सप्लाई की व्यवस्था करना, 4. सभी चयनित ग्रामों के अंदर सड़कें व बिजली की व्यवस्था करवाना, 5. चयनित ग्रामों को संचार सुविधायुक्त बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस, टेलिफोन और संभव हो सके तो यहां इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवाना।

इन्हें यह सुविधा भारत निर्माण कॉमन सर्विस सेंटर जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से उपलब्ध कराई जाएगी, 6. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि चयनित ग्रामों में बैंकों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए, जिससे व्यक्तिगत व व्यापार को बढ़ाने में गति प्रदान की जा सके, 7. चयनित ग्रामों में रहने वाले सभी परिवारों को घर भी उपलब्ध हो, ऐसा न हो कि वहां कोई भी परिवार बिना घर के जीवनयापन कर रहा हो।

स्वच्छता और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जागरूकता - चयनित ग्रामों में सर्वप्रथम यह समझाइश दी जाएगी कि वे पर्यावरण के प्रति भी जवाबदेही समझें। इसलिए उन्हें खुले में शौच न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सभी परिवारों के घरों में शौचालय बनवाकर दिए जाएंगे और उन्हें खुले में शौच करने के दुष्परिणामों के बारे में भी बतलाया जाएगा। यही नहीं, जो ग्राम पूर्णतः स्वच्छता की श्रेणी में आएगा उसे निर्मल ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। सभी ग्राम प्रकृति प्रेमी बनें इस ओर भी प्रयास किया जाएगा। पेड़ लगाने, पानी के प्राकृतिक व मानव निर्मित स्त्रोतों को बनाये रखने के लिए उन्हें समय-समय पर विशेषज्ञों द्वारा उपयुक्त सलाह भी दी जाएगी। उन्हें प्राकृतिक ऊर्जा स्त्रोतों के उपयोग के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित किया जाएगा। जैसे बायोगैस, सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा आदि। यही नहीं, उन्हें धुआंरहित चूल्हों के फायदों के बारे में बताया जाएगा और उन्हें इसके उपयोग के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।

सामाजिक आधारभूत संरचना के माध्यम से मानव विकास और सामाजिक समसरता लाने का प्रयास - चयनित ग्रामों में सामाजिक समरसता कायम रहे इसके लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जाएंगे। इसकी शुरुआत बच्चों को आंगनवाड़ी व स्कूल स्तर पर ही उन्हें सामाजिक समरसता के पाठ पढ़ाए जाएंगे। इन ग्रामों में आकर्षक व पर्याप्त भवनों का निर्माण कराया जाएगा जैसे- आंगनवाड़ी आजीविका के सभी साधनों पर प्रयास किए जाएंगे, ताकि उन्हें पर्याप्त रोजगार मिल सके। उन्हें स्किल डवलपमेंट कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे स्वयं का

- **ग्रामों की सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ना।**
- **स्वच्छ पीने योग्य पानी की व्यवस्था।**
- **पर्याप्त बिजली सप्लाई की व्यवस्था।**
- **ग्रामों के अंदर सड़कें व बिजली की व्यवस्था।**
- **संचार सुविधायुक्त बनाने के लिए पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, इंटरनेट की सुविधा मुहैया करवाना।**
- **बैंकों की सुविधा।**
- **सभी परिवारों को घर की उपलब्धता।**
- **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता।**

रोजगार भी कर सकें।

उन्हें आर्थिक गतिविधियों को सीखने के लिए नई-नई टेक्नोलॉजी से भी अवगत कराया जाएगा ताकि वे उसका उपयोग आर्थिक उपार्जन जैसे खेती, पशुपालन व मछलीपालन में कर सकें। उनके द्वारा तैयार की गई फसलों व अन्य उत्पादों का उचित मूल्य मिले इसके लिए भी हर संभव प्रयास किया जाएगा।

इन चयनित ग्रामों में निर्धारित किये गए कार्य पूर्णतः फलीभूत हों इसके लिए राज्य सरकार के कई विभागों की जवाबदेही तय की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास व सामाजिक न्याय विभाग, योजना आयोग, पंचायत राज, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल संसाधन विभाग, गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विकास तथा किसान कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग व अन्य संबंधित विभागों को शामिल किया गया है जो ग्रामीण विकास के लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

इस योजना के लिए जिलों से प्राप्त चयनित ग्रामों के सम्पूर्ण विकास हेतु प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत भारत सरकार से पहली किस्त के रूप में प्रत्येक ग्राम के लिए दस लाख रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। यह राशि संबंधित ग्राम पंचायत के बैंक खाते में रुपये दस लाख राज्य स्तर से सीधे इन्टरनल ट्रांजेक्शन कर सिस्टम द्वारा जमा कराये जा रहे हैं।

पीएमएजीवाय की मार्गदर्शिका में दिए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर ग्राम विकास की कार्य योजना जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन के बाद ही राशि का उपयोग अनुमोदित ग्राम विकास की कार्ययोजना के अनुसार ही किया जाएगा।

निश्चित ही इस योजना से उन 50 प्रतिशत से ज्यादा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को फायदा होगा जो अभी तक विकास से अनछुए थे। वे भी विकास की मुख्यधारा से जुड़कर देश के विकास में अपनी भागीदारी तय करेंगे।

● वंदना तिरपुड़े

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्राम

क्र.सं.	ग्रामों के नाम	जिला	राज्य	रिमार्क
1.	दमदम, ग्राम पंचायत, पानपुर	मंदसौर	मध्यप्रदेश	श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, विधायक, म.प्र. विधानसभा
2.	भूखी, ग्राम पंचायत, ढिकोला	मंदसौर	मध्यप्रदेश	-
3.	मजेसरी, ग्राम पंचायत मजेसरा	मंदसौर	मध्यप्रदेश	-
4.	टोलखेड़ी	मंदसौर	मध्यप्रदेश	-
5.	आघारी उर्फ निरघारी	मंदसौर	मध्यप्रदेश	-
6.	गनपतपुरा	ग्वालियर	मध्यप्रदेश	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय इस्पात एवं खान मंत्री, भारत सरकार
7.	अडूपुरा	ग्वालियर	मध्यप्रदेश	-
8.	भवनपुरा	ग्वालियर	मध्यप्रदेश	-
9.	जिनावली	ग्वालियर	मध्यप्रदेश	-
10.	दुबही	ग्वालियर	मध्यप्रदेश	-
11.	वीरपुर	शिवपुरी	मध्यप्रदेश	-
12.	रहरगाँव	शिवपुरी	मध्यप्रदेश	-
13.	कलोथरा	शिवपुरी	मध्यप्रदेश	-
14.	सरवानी	शिवपुरी	मध्यप्रदेश	-
15.	मावखेड़ी	शिवपुरी	मध्यप्रदेश	-
16.	तरावली कलां	भोपाल	मध्यप्रदेश	श्री आलोक संजर, माननीय सांसद, लोक सभा
17.	रमाहा	भोपाल	मध्यप्रदेश	-
18.	धतुरिया	भोपाल	मध्यप्रदेश	-
19.	प्रेमपुरा	भोपाल	मध्यप्रदेश	-
20.	खेड़ी	भोपाल	मध्यप्रदेश	-
21.	बंदी खेड़ी	भोपाल	मध्यप्रदेश	-
22.	बिलखिरिया खुर्द	भोपाल	मध्यप्रदेश	-
23.	अहूखाना	बुरहानपुर	मध्यप्रदेश	श्री नन्दकुमार सिंह चौहान, माननीय सांसद, लोकसभा
24.	दहीहंडी	बुरहानपुर	मध्यप्रदेश	-
25.	सिरसोदा	बुरहनपुर	मध्यप्रदेश	-
26.	धनौरा	खंडवा	मध्यप्रदेश	-
27.	राजपुरा	खंडवा	मध्यप्रदेश	-
28.	सेगवाल	खंडवा	मध्यप्रदेश	-
29.	गौलजोशी	खंडवा	मध्यप्रदेश	-
30.	ब्रजगाँव	खंडवा	मध्यप्रदेश	-
31.	खंदाखेड़ी	इन्दौर	मध्यप्रदेश	श्रीमती सुमित्रा महाजन, माननीय लोक सभा अध्यक्ष
32.	रावड	इन्दौर	मध्यप्रदेश	-
33.	करवासा	इन्दौर	मध्यप्रदेश	-
34.	चितौड़ा	इन्दौर	मध्यप्रदेश	-
35.	रालामंडल	इन्दौर	मध्यप्रदेश	-
36.	भंगिया	इन्दौर	मध्यप्रदेश	-
37.	मचला	इन्दौर	मध्यप्रदेश	-
38.	बदरखा	इन्दौर	मध्यप्रदेश	-

क्र.सं.	ग्रामों के नाम	जिला	राज्य	रिमार्क
39.	छयान	उज्जैन	मध्यप्रदेश	श्री मोहन यादव, विधायक, उज्जैन
40.	रतनखेड़ी	उज्जैन	मध्यप्रदेश	-
41.	चंदमुख	उज्जैन	मध्यप्रदेश	-
42.	खेमसा	उज्जैन	मध्यप्रदेश	-
43.	पलखेड़ी	उज्जैन	मध्यप्रदेश	-
44.	मनपुरा	उज्जैन	मध्यप्रदेश	-
45.	खामरिया	उज्जैन	मध्यप्रदेश	श्री दिलीप सिंह शेखावत, विधायक, मध्यप्रदेश विधानसभा
46.	गिन्दवानिया	उज्जैन	मध्यप्रदेश	-
47.	पालना	उज्जैन	मध्यप्रदेश	-
48.	उमरना	उज्जैन	मध्यप्रदेश	-
49.	खण्डवा	उज्जैन	मध्यप्रदेश	-
50.	खोयारा (सोनकच्छ)	देवास	मध्यप्रदेश	-
51.	फतेपुर (टोकखुर्द)	देवास	मध्यप्रदेश	-
52.	अवराजसानी	देवास	मध्यप्रदेश	-
53.	छयान (सोनकच्छ)	देवास	मध्यप्रदेश	-
54.	ओढ़ (सोनकच्छ)	देवास	मध्यप्रदेश	-
55.	लखेसरा ग्राम पंचायत	बड़नगर	मध्यप्रदेश	श्री मुकेश पाण्डया जी, विधायक, मध्यप्रदेश विधानसभा
56.	झुमकील ग्राम पंचायत	बड़नगर	मध्यप्रदेश	-
57.	दौलतपुर ग्राम पंचायत	बड़नगर	मध्यप्रदेश	-
58.	दगवाड़ा ग्राम पंचायत	बड़नगर	मध्यप्रदेश	-
59.	मानपुरा	घट्टिया	मध्यप्रदेश	श्री सतीश चन्द्र मालवीय, विधायक, मध्यप्रदेश विधानसभा
60.	सिलारखेड़ी	घट्टिया	मध्यप्रदेश	-
61.	पालखण्डा	घट्टिया	मध्यप्रदेश	-
62.	भीमपुरा	घट्टिया	मध्यप्रदेश	-
63.	डाबला रहवारी	घट्टिया	मध्यप्रदेश	-
64.	सिसला खेड़ी	बड़ावदा (रतलाम)	मध्यप्रदेश	श्री जितेन्द्र थावरचंद्र गेहलोत विधायक, मध्यप्रदेश विधानसभा
65.	खोकरा	बड़ावदा (रतलाम)	मध्यप्रदेश	-
66.	मोहम्मद नगर	बड़ावदा (रतलाम)	मध्यप्रदेश	-
67.	बोरखेड़ी	बड़ावदा (रतलाम)	मध्यप्रदेश	-
68.	कजाखेड़ी	रतलाम	मध्यप्रदेश	-
69.	देवगढ़	रतलाम	मध्यप्रदेश	-
70.	बड़ोदिया	रतलाम	मध्यप्रदेश	-
71.	खजूरी सोलंकी	रतलाम	मध्यप्रदेश	-
72.	बोरखेड़ी	रतलाम	मध्यप्रदेश	-
73.	बिसलखेड़ा	ताल	मध्यप्रदेश	-
74.	इफितरखार	ताल	मध्यप्रदेश	-
75.	फतेहपुर	ताल	मध्यप्रदेश	-
76.	मरमिया खेड़ी	ताल	मध्यप्रदेश	-
77.	पीपलखेड़ी	ताल	मध्यप्रदेश	-

● मोहन सिंह पाल

ग्रामीण सड़कों के ई-प्रबंध में

मध्यप्रदेश सबसे आगे

मध्यप्रदेश प्रगति का कीर्तिमान रच रहा है। वह देश के प्रगतिशील प्रांतों में सबसे आगे है। मध्यप्रदेश में लागू की गई कोई 16 योजनाओं का अनुसरण अन्य प्रांतों ने किया है। लगातार चार वर्षों तक कृषि कर्मण अवार्ड जीतने का कीर्तिमान भी मध्यप्रदेश ने बनाया है। और अब नीति-सिद्धांत एवं योजनाओं की रचना से एक कदम आगे आधुनिकता की दौड़ में भी मध्यप्रदेश दूसरे प्रांतों की तुलना में आगे हो रहा है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने ग्रामीण क्षेत्रों में भी सड़कों के रख-रखाव की पूरी व्यवस्था कम्प्यूटराइज कर ली है। अब सड़कों के मामलों में एक ऐसा ई-सिस्टम विकसित कर लिया गया है कि यदि किसी ने ग्रामीण क्षेत्र की सड़क का सुधार के लिए एस.एम.एस. डाला तो इस एस.एम.एस. के आधार पर सड़क का सुधार शुरू हो जायेगा। ऐसी व्यवस्था विकसित करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला प्रांत है। अन्य प्रांतों ने मध्यप्रदेश से इस व्यवस्था का पूरा विवरण लिया है ताकि वे अपने यहां भी लागू कर सकें।

निःसंदेह यह मध्यप्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान की प्रगतिशील सोच, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव के मार्गदर्शन और विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सक्रियता तथा क्रियाशीलता का परिणाम है कि वह प्रदेश जो कभी अति पिछड़ा माना जाता था, जिसके माथे पर कभी बीमारू राज्य होने का कलंक लगा था वह अब तरक्की के कीर्तिमान बना रहा है। सड़क सुधार की यह ई-व्यवस्था लागू करने का काम म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने किया है। और यह व्यवस्था अभी उन्हीं सड़कों तक लागू है जो सड़कें प्राधिकरण के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा संधारित की जाती हैं। लेकिन यह तलाशने के लिए कि यह सड़क किसने बनाई है और इसका संधारण कौन करता है कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ग्रामीणजनों और प्रदेश के नागरिकों की सुविधा के लिए इसके बोर्ड सड़कों के आरंभ और समापन

पर लगा दिए गए हैं। अब यह दायित्व पंचायतों का भी है कि वे स्वयं भी इस बात की चिंता करें कि यह बोर्ड सलामत रहे। सामान्यतया पूरे देश में ऐसे बोर्डों के साथ छेड़छाड़ की प्रवृत्ति है। कुछ लोग बोर्ड को खुरच देते हैं, अथवा कुछ लोग पोस्टर चिपकाकर उसे ढंक देते हैं। यदि बोर्ड साफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो इससे उन लोगों को असुविधा नहीं होगी जो लोग इन बोर्डों से निकलते हैं और जरूरत पड़ने पर इन्हें देखकर एस.एम.एस. द्वारा सरकार को और म.प्र. ग्रामीण सड़क प्राधिकरण को सुझाव देना उपयोगी समझते हैं।

मध्यप्रदेश में ग्रामीण सड़कों की कुल लम्बाई 117000 किलोमीटर है। देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का नेटवर्क बनाने की योजना वर्ष 2000 में लागू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रदेश के गांवों को नगरों एवं मुख्य मार्गों से बारहमासी सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 62 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। आंकड़े बताते हैं कि मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण का जितना काम इस योजना के लागू होने के बाद हुआ उतना इससे पहले कभी नहीं। जितनी सड़कें वर्ष 2000 के बाद बनीं उतनी सड़कें मध्यप्रदेश के निर्माण से इस योजना की आरंभिक तिथि 25 दिसम्बर 2000 तक नहीं बनी थीं।

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने इन सड़कों के निर्माण, उनकी गुणवत्ता, और उनका रख-रखाव अच्छा बनाए रखने के लिए एक नियम बनाया है। यह नियम भुगतान का भी है और सड़कों के सुधार का भी। जो ठेकेदार सड़कें बनायेगा, उसके द्वारा बनाई गई सड़क अच्छी रहे, पांच वर्षों तक उस सड़क के रख-रखाव की जिम्मेदारी उसी ठेकेदार की है। सड़क की मजबूती, निर्माण का स्तर और गुणवत्ता आंकने के लिए एक अंक प्रणाली बनाई गई है। इसके अंतर्गत ठेकेदार के काम को देखकर उसके द्वारा बनाई गई सड़क पर अंक दिए जाते हैं। यदि किसी सड़क के निर्माण पर 80 अंकों से कम मिले हैं तो उस सड़क बनाने वाले ठेकेदार को भुगतान नहीं होगा। उसे पूरा भुगतान तभी होगा जब उसका काम गुणवत्ता की दृष्टि से पूरे सौ अंकों का होगा। इन पांच आरंभिक वर्षों के बाद अगले पांच साल के लिए रख-रखाव का भी ठेका दिया जायेगा। इस बीच यदि कहीं सड़क खराब होती है, कोई टूट-फूट होती है तो उसके लिए केवल एक एस.एम.एस. से सूचना देना पर्याप्त होगा। एस.एम.एस. की यह व्यवस्था कुछ इस प्रकार की गई है कि यह एक साथ कई स्थानों पर जायेगा। शासन को भी, प्राधिकरण को भी, ठेकेदार को भी और उस सड़क के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार यूनिट को भी। एस.एम.एस. के इस सिस्टम में बात यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि निर्धारित समय-सीमा के बाद रिपोर्ट पूछी जायेगी। सड़क का सुधार कार्य पूरा होने के बाद एस.एम.एस. करने वाले व्यक्ति को भी सूचना जायेगी कि सड़क सुधर चुकी। ताकि यदि रिपोर्ट गलत है तो उसका सत्यापन हो सके। अतः सड़कों के सुधार कार्यों के निरंतर बढ़ते कार्यभार के कारण संधारण कार्य की मानिटरिंग हेतु प्राधिकरण द्वारा NIC के सहयोग से एक Software (ई-मार्ग) विकसित किया गया है जिससे यह सब संभव हुआ है। प्रदेश में योजनान्तर्गत निर्मित एवं निर्माणाधीन मार्गों का संपूर्ण डाटाबेस ई-मार्ग पोर्टल में संधारित किया जा रहा है। इस पोर्टल के माध्यम से मार्गों की जानकारी के साथ-साथ ठेकेदारों को संधारण कार्यों का भुगतान भी किया जा रहा है।

ठेकेदारों को बिल अपलोड करने की सुविधा - प्राधिकरण से संबंधित लगभग 900 ठेकेदारों का विवरण डाटाबेस में संधारित है। ठेकेदारों को पोर्टल में लॉगइन करने की सुविधा प्रदान की गई है। ठेकेदार अपने लॉगइन तथा पासवर्ड द्वारा पोर्टल में संधारण हेतु बिल online प्रस्तुत करते हैं। जो कि परियोजना क्रियान्वयन इकाई अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन निराकृत किया जाता है। ठेकेदार अपने बिलों की अद्यतन स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। परियोजना क्रियान्वयन इकाई के सभी अधिकारियों को पृथक लॉगइन सुविधा प्रदत्त है जिसके द्वारा वे मार्गों के निरीक्षण के समय लिये जियोकोडेड फोटोग्राफ्स तथा निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड करते हैं। मार्गों में संधारण कार्यों का परफारमेंस आधारित मूल्यांकन भी अपलोड किया जाता है। महाप्रबंधक, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये देयकों का, अपलोड किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स तथा परफारमेंस इन्डेक्स के आधार पर, आनलाइन निराकरण करते हैं।

महाप्रबंधक द्वारा अनुमोदित भुगतान

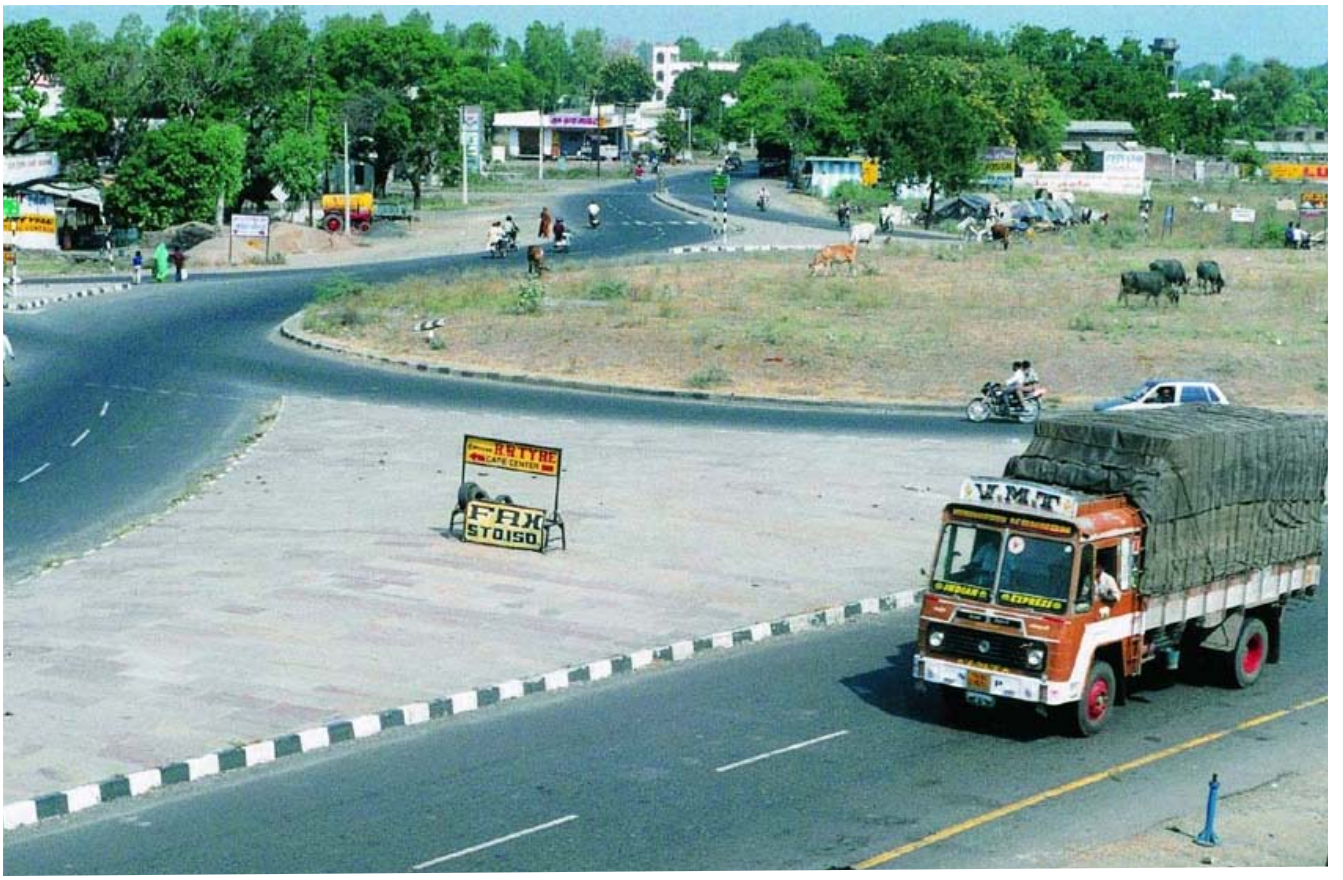

प्राधिकरण के बैंक को ऑनलाइन प्राप्त होता है जिसे बैंक ठेकेदार के खाते में ट्रान्सफर करता है। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी किसी भी समय मार्गों की संधारण स्थिति एवं भुगतान का विवरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आम जनता के लिये मार्गों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने का भी प्रावधान है। इसके लिये उन्हें संबंधित मार्ग का जी.पी.एस. के साथ फोटोग्राफ लेना होगा। यह फोटो वे अपने स्मार्ट फोन से ले। शिकायतकर्ता को वेबसाइट https://gismp.nic.in/eMarg में पब्लिक ग्रीवांस के अंतर्गत पोर्टल पर फोटो अपलोड कर शिकायत का संक्षिप्त विवरण आवश्यक रूप से अंकित करना होगा। प्रक्रिया पूरी करने पर शिकायतकर्ता के मोबाइल पर विशिष्ट शिकायत क्रमांक एस.एम.एस. से प्राप्त होगा। साथ ही प्राधिकरण के संबंधित महाप्रबंधक को भी एस.एम.एस. से सूचना प्राप्त होगी। महाप्रबंधक द्वारा शिकायत का निराकरण कर पोर्टल पर प्रविष्टि की जा सकती है। शिकायतकर्ता पोर्टल पर शिकायत क्रमांक अंकित कर निराकरण की स्थिति ज्ञात कर सकेंगे।

भारी यातायात से प्रभावित मार्गों का उन्नयन - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा प्रदेश में ग्रामीण संपर्क सुविधा विकसित करने से जहां एक ओर ग्रामीण आबादी को आवागमन की सुविधा प्राप्त हुई है वहीं सुदूर स्थित विभिन्न खदानों से खनिज पदार्थों का परिवहन भी सुगम हो सका है। खदान अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा खनिज पदार्थों के परिवहन के लिए भारी वाहनों का उपयोग किया जाता है। ग्रामीण मार्ग, ग्रामीण यातायात के अनुसार 08 टन एक्सल लोड के लिये डिजाइन किये जाते हैं जबकि खनिज पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोग हो रहे भारी वाहन इससे कई गुना अधिक एक्सल लोड के होते हैं परिणामतः मार्गों को क्षतिग्रस्त करते हैं। प्रदेश में 2000 किलोमीटर से अधिक लंबाई के मार्ग भारी वाहनों से प्रभावित हैं। राज्य सरकार ने इन मार्गों पर विशेष संधारण के लिए क्रस्ट उन्नयन कार्य हेतु धनराशि प्रदान की है।

अब तक प्रदेश में 274 मार्ग जिनकी कुल लंबाई 1851 किलोमीटर है, में रुपये 680 करोड़ लागत से क्रस्ट उन्नयन कार्यों को स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें से 617 किलोमीटर लंबाई के 100 मार्गों पर उन्नयन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इससे ग्रामीण याचायात के साथ विकास गतिविधियों के लिए निर्बाध खनिज परिवहन भी सुनिश्चित हो सका है। कुछ स्थानों पर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा भारी औद्योगिक गतिविधियों के कारण भी अप्रत्याशित भारी यातायात देखा गया है। इन क्षेत्रों में प्रभावित ग्रामीण मार्गों को संबंधित औद्योगिक इकाई को उन्नयन एवं संधारण हेतु हस्तांतरित किया गया है। हस्तांतरण के समय मार्ग का स्वामित्व एवं ग्रामीणों द्वारा मार्ग के उपयोग को संरक्षित रखा गया है।

● **सपना दुबे**

आदर्श ग्राम के लिये आवश्यक
जलवायु परिवर्तन चेतना

जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेन्ज का मुद्दा आज कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं रह गया है। मौसम की विषमता के कारण अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भीषण गर्मी, भयंकर शीत, भूकम्प, दावाग्नि, अकाल, महामारी आदि की शक्ल में जिन प्राकृतिक प्रकोपों को झेलने के लिये हम अभिशप्त हैं उनके पीछे यही जलवायु परिवर्तन की समस्या ही तो है। मध्यप्रदेश में चिंतन का बुनियादी आधार संभवतः यह रहा है कि 'सोचिये भले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किंतु शुभारंभ करिये स्थानीय स्तर से'। यही कारण है कि पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन यानी एप्को ने जलवायु-परिवर्तन के संकट से निपटने के लिये जो अग्रिम योजना बनाई है उसकी चेतना गांव-गांव में जगाना है। यद्यपि हमारी व्यवस्था पंचायत स्तर तक पहले से ही पर्यावरण-मित्र है किन्तु एप्को ने एक ज्ञान प्रबंध केन्द्र बना कर सुनियोजित मार्गदर्शन ग्रासरूट तक देने का प्रयास किया है।

एक अंग्रेज पर्यावरणविद् ने तत्कालीन सेन्ट्रल प्राविन्स यानी वर्तमान मध्यप्रदेश को देश की 'गार्जियन स्टेट' कहा था। उनका आशय था कि भारत के हृदय स्थल में स्थिति के कारण मध्यप्रदेश समूचे देश के लिये समान रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसका कारण यह बताया था कि या तो देश की महत्वपूर्ण नदियों के या फिर उनकी सहायक नदियों के उद्गम अथवा जलभराव क्षेत्र मध्यप्रदेश में हैं अतः यहां के पर्यावरण का सुरक्षित रहना राष्ट्रीय महत्व का है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रामचरितमानस में एक ऐसी अर्धाली लिख दी जिसमें समग्र पर्यावरण संदर्भ है :

सजल-मूल जिन सरितन नाहीं।
बरखि गये पुनि तबहिं सुखाहीं।।

इसका साफ अर्थ है कि नदियों के उद्गम स्थल वृक्षाच्छादित रहने चाहिये। वरना उनमें वर्षा में बाढ़ आ जाएगी और बाद में वे सूख जायेंगी। वर्तमान में इसका मॉडल सिंहस्थ-प्रसंग में देखा जा सकता है जहां सरकार ने क्षिप्रा में नर्मदा-जल डाल कर उसे ग्रीष्म में भी प्रवाहित रखने का दृढ़ संकल्प कर लिया है। सिंध और चम्बल नदियों के जलभरण क्षेत्र वृक्षाच्छादित न होने के कारण इन्होंने ग्वालियर और चम्बल संभाग में भूमि कटाव करके बीहड़ और भरके बना दिये हैं जो उत्पादक भू-उपयोग में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिये प्रत्येक ग्राम में जल और भूमि संरक्षण के लिये वृक्षारोपण और वनसंरक्षण का संदेश अनिवार्य रूप से पहुँचना चहिये।

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि-प्रधान है। हम मुख्यतः अपने प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करते हैं। भूमि और जल हमारे सबसे बड़े प्राकृतिक साधन हैं। वर्तमान में कृषि के मामले में हम राष्ट्रीय स्तर पर हैं। चार बार लगातार कृषि कर्मण अवॉर्ड जीता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन विषयक प्राकृतिक विषमताओं के कारण हमारे कृषि, वन तथा अन्य नैसर्गिक साधनों पर जो कुप्रभाव पड़ता है उसके कारण सामाजिक विकास और गरीबी-उन्मूलन जैसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बाधा आती है। हमारी नदियां वर्षा जल पर निर्भर हैं। कृषि, वानिकी, उद्यानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन और दैनिक विस्तार के लिये हमें पानी चाहिये। सूखे की स्थिति जनता की जीविका के साधनों पर बुरा असर डालती है।

हमारे लगभग 7.26 करोड़ की आबादी में से करीब 5.25 करोड़ लोग गांवों में रहते हैं और अपनी जीविका कमाने के लिये प्राकृतिक साधनों पर ही निर्भर करते हैं। वनों पर कुप्रभाव होगा तो जलाऊ लकड़ी और

चारा नहीं मिलेगा। नदियों का प्रवाह प्रभावित होगा या जलाशय सूखेंगे तो सिंचाई के साथ-साथ मत्स्य-पालन भी नहीं हो पायेगा। अतः वृक्षारोपण और जल-संचय जरूरी है। पानी रोकने की बहुत-सी योजनायें हैं। एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन से तो सभी पंचायतें परिचित हैं। इसलिये प्रत्येक पंचायत को प्रकृति-संरक्षण के मामले में सर्वाधिक जागरूक रहने की जरूरत है। समावेशी वृद्धि और स्वपोषित विकास के लिये भी यह बेहद जरूरी है। इसी नीति पर चलकर पंचायत स्तर तक लोक सेवाओं की अदायगी भली-भांति हो पायेगी जो आदर्श ग्राम की अवधारणा की पहली शर्त है। इन सभी मुद्दों पर न केवल ग्राम-चेतना जरूरी है बल्कि ग्रामीणों में क्षमता-वृद्धि तथा कौशल-विकास भी आवश्यक है। हमें शुष्क-भूमि कृषि और उद्यानिकी को बढ़ावा देना चाहिये। हमारी मूल रणनीतियां हैं प्रत्येक जलवायु क्षेत्र में उपयुक्त फसल, कृषि-अवशेष प्रबंधन, जैविक खाद, भूमि-जल संरक्षण प्रौद्योगिकी, यंत्रीकरण, बाज़ार-हाट तक पहुंच, जीविकोपार्जन के विस्तार हेतु ग्रामीण व्यवसायिक केन्द्रों की स्थापना।

जलवायु-परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ना और नमी की विषमता स्वाभाविक है। इससे उत्पन्न रोग महामारी का रूप ले लेते हैं। मलेरिया, हैजा, डेंगू, पीलिया, चिकनगुनिया आदि रोग इसी का परिणाम हैं। इनसे लोक स्वास्थ्य खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों का, विशेष रूप से प्रभावित होता है। अधिकांश बीमारियां तो जल और वायु-प्रदूषण के कारण होती हैं। मध्यप्रदेश भारत के छह मलेरिया-ग्रस्त राज्यों में से है जहां मलेरिया का 65 प्रतिशत प्रभाव है। हमारे 30 जिलों में बाल-मृत्यु का अनुपात चिंतनीय है यद्यपि वर्तमान में स्थिति सुधरी है। इसलिये प्रत्येक पंचायत में मलेरिया निरोधक किट तथा औषधि वितरण की सक्षम व्यवस्था होना जरूरी है। स्वच्छता-अभियान को जन-आंदोलन बनाना है।

हमें घरेलू उपभोग तथा उद्योगों के लिये ऊर्जा चाहिये। आदर्श ग्राम को ऊर्जावान बनाना अपेक्षित है। पानी और कोयले से बनने वाली ऊर्जा की तो सीमा है लेकिन सूर्य-ऊर्जा तो असीम है जो गांव-गांव में सहज उपलब्ध है। क्लीन तथा ग्रीन ऊर्जा हर ग्राम में उपलब्ध कराना होगी। ऊर्जा-उत्पादन को अधिक सक्षम बनाना है। ऊर्जा का किफायती और बेहतर उपभोग भी सुनिश्चित करना होगा। परम्परागत ईंधन का इस्तेमाल एक दम तो नहीं रोका जा सकता है लेकिन उसी के साथ नई-नई प्रौद्योगिकियों की खोज और विकास तो हम कर ही सकते हैं। छोटे-मझोले उद्योगों के लिये यह ऊर्जा वरदान सिद्ध हो सकती है, प्रदेश में लगभग 800 छोटे-मझोले उद्योग हैं जिनसे दो लाख से अधिक लोगों को स्थानीय स्तर पर ही रोज़गार मिल जाता है।

ग्राम विकास हेतु जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कुछ मूल रणनीतियां बनाई गई हैं। ये हैं :

- जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में ग्राम विकास की वर्तमान नीतियों का पुनरावलोकन।
- भूमि तथा जल-संरक्षण एवं स्वयं-पोषित फसलें लेने हेतु ग्रामीण जन समुदाय की क्षमता-निर्माण।
- पंचायतों की वार्षिक योजना में जलवायु परिवर्तन का मुद्दा अनिवार्य करना।
- जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट कम करने के लिये बीमा, ऋण, राहत आदि की व्यवस्था। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना का विस्तार। गांवों को कार्बन मुक्त करने के प्रयास।

चूंकि जलवायु परिवर्तन का मुद्दा कृषि, वन, जल, उद्योग, पशुपालन, उद्यानिकी, मछली-पालन, स्वास्थ्य आदि सभी मानवीय गतिविधियों से जुड़ा है जो कि रोज़ी-रोज़गार के मूल स्रोत भी हैं, अतः इन सभी की योजनाओं में इस मुद्दे को व्यापक रूप से रखना है।

सबसे बड़ी बात यह है कि गांव-गांव में जलवायु परिवर्तन की समस्या के प्रति जागृति हो तथा इससे उत्पन्न संकटों से निपटने की क्षमता और सामर्थ्य का निर्माण किया जाये। यथार्थतः हमारे ग्रामीण जीवन में स्थानीय प्रतिभा और ठेठ ज्ञान की कमी नहीं है। हमें उसका उपयोग करना चाहिये जो किसी भी प्रौद्योगिकी से बढ़कर है और सहज उपलब्ध है। इस समूचे प्रकल्प का ग्रामीण स्तर पर ग्रामीणों द्वारा ही निरंतर आकलन, निरीक्षण करते रहना भी अपेक्षित है। हमारी पंचायतें कम्प्यूटर समर्थ हैं। वे अपने अनुभवों को एक-दूसरे से बांट सकती हैं। हमें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थितियों के साथ तालमेल बैठाने के साधन भी जुटाने होंगे। पर्यावरण अनुकूल बहुत से साधन तो स्थानीय रूप से उपलब्ध हैं।

● **घनश्याम सक्सेना**

जिले की पंचायतें हाई टेक हो रही हैं, अब कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग के माध्यम से ग्रामीणों को समय पर योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ-साथ अन्य आवश्यक कार्यों में अपेक्षित सहयोग भी कर रही हैं। सीधी जिले की 400 ग्राम पंचायतों, ई-पंचायत भवनों में कम्प्यूटर डेस्टॉप, प्रिन्टर, स्केनर, इनवर्टर तथा एल.सी.डी. टी.व्ही. के साथ-साथ लेपटॉप भी शासन द्वारा उपलब्ध कराये गए हैं। कम्प्यूटर कार्य में दक्षता के लिए समय-समय पर ग्राम पंचायत अमले को प्रशिक्षित भी किया जाता है ताकि पंचायतों से योजनाओं का प्रभावी व समयबद्ध क्रियान्वयन किया जा सके। आधुनिक होतीं ग्राम पंचायतें तथा डिजिटल इडिण्या के साथ कदम से कदम मिलाते जिले के गाँव विकास के रास्ते पर अग्रसर हैं। जिले की हाईटेक पंचायतों में शुमार जनपद सीधी की ग्राम पंचायत भगोहर के सरपंच श्री जमुना प्रसाद प्रजापति से शिवप्रसाद सोनी ने ग्राम पंचायत के कार्यों एवं व्यवस्थाओं पर चर्चा की। इस चर्चा को हम प्रकाशित कर रहे हैं :

हाईटेक हुईं ग्राम पंचायतें

प्रश्न- बिना कम्प्यूटर के ग्राम पंचायत कार्यालय का कार्य संचालन और अब कम्प्यूटर हार्डवेयर से लैस पंचायत के कार्य में क्या परिवर्तन आया है?

उत्तर- बिना कम्प्यूटर के ग्राम पंचायत के कार्यों की कल्पना करने में भी असुविधा का बोध होता है। हर काम के लिए जनपद कार्यालय या शहर जाना पड़ता था ताकि योजनाओं के कार्य कराये जा सकें। ग्रामीणजनों को भी आवश्यक जानकारी देने के लिए रजिस्टरों को खंगालना पड़ता था, जिसमें काफी समय निकल जाता था। अब कम्प्यूटर युग से जुड़कर हर काम ग्राम पंचायत कार्यालय में ही हो जाता है। किसी को जानकारी चाहिए तो कम्प्यूटर में संधारित जानकारी से तत्काल देखकर संबंधित को अवगत करा दिया जाता है, समय और श्रम दोनों ही कम लगता है।

प्रश्न- ग्राम पंचायत कार्यालय से कौन-कौन से कार्य कम्प्यूटर दक्षता से कराये जा रहे हैं?

उत्तर- महात्मा गाँधी नरेगा योजना में श्रमिकों के रोजगार की माँग दर्ज करना, वर्ककोड जनरेट कराना, मस्टर की फीडिंग-वेजलिस्ट जनरेट करना आदि, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन अंतर्गत फीडिंग कार्य तथा योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाने के लिए फीडिंग कार्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न पर्ची जनरेट करना, पंचायत पोर्टल में इन्ट्री तथा भुगतान संबंधी कार्य, योजनाओं की जानकारियों का आवश्यक संधारण, ग्राम पंचायत के कार्यों में पत्र व्यवहार, आदि समस्त योजनाओं के उचित क्रियान्वयन के आवश्यक कार्य किये जा रहे हैं।

प्रश्न- योजनाओं के काम के अतिरिक्त और कौन-सी सुविधा हाईटेक पंचायत उपलब्ध करा रही है?

उत्तर- युवाओं को रोजगार के लिए निकलने वाली भर्तियों की जानकारी तथा फार्म भरवाने का कार्य ग्रामीण युवा कर रहे हैं। यात्रा के लिए ट्रेन के टिकट बुक करने तथा यात्रा की आवश्यक जानकारी देने में भी सहयोग किया जाता है। इन्टरनेट सुविधा से जुड़कर ई-मेल से जानकारियां सहजता के साथ अन्तरित की जा रही हैं।

प्रश्न- टेलीवीजन का उपयोग ग्राम पंचायत में किस प्रकार किया जा रहा है?

उत्तर- संचार का सबसे प्रभावी माध्यम टेलीविजन है। ग्रामीणों को जागरूकता फिल्में दिखाना, शासन के प्रायोजित कार्यक्रमों, अन्य खेती-किसानी तथा जानकारी भरे कार्यक्रमों को ग्राम पंचायत कार्यालय

में देखने के लिए ग्रामीणजन निरन्तर आते हैं। स्वच्छ भारत अभियान और टेलीविजन के प्रसारणों में उत्प्रेरित जागरूकता कार्यक्रमों से जुड़ाव होकर योजनाओं का जागरूकता से लाभ ले रहे हैं।

प्रश्न- गाँव के विकास को गति प्रदान करने के लिए क्या योजना है?

उत्तर- विकास से जुड़कर ही विकास किया जा सकता है। नवीन तकनीकों से कार्यों को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ ग्रामीण परिवेश को हाईटेक किया जा रहा है। लोगों को हर सुविधा गाँव में ही मिले तथा गाँव का विकास हो। हमारे गाँव के बच्चे भी नवीन तकनीक से जुड़कर विकास करें। इसके लिए कम्प्युटर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल उन्नयन कराने के लिए महात्मा गांधी नरेगा के तहत आईपीपीई-2 का सर्वे कार्य किया गया है। जॉबकार्डधारी परिवारों का कौशल उन्नयन कर सुनिश्चित आजीविका से जोड़ने का प्रयास है।

प्रश्न- आगामी समय में गाँव को आप कहां पाते हैं?

उत्तर- गाँव, विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। डिजिटल युग में योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन तथा सुविधाओं की ग्रामीणों तक पहुंच से विकास को गति मिलेगी। ग्रामीण युवा प्रतिस्पर्द्धा से जुड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित तथा उत्तीर्ण होकर परिवार और गाँव का नाम रोशन कर सकेंगे। ग्रामीण विकास का स्वप्न अब साकार होकर गाँवों को भी सुविधाओं से लैस कर अभाव के प्रभाव को खत्म करते हुए विकास का उजियारा बिखराने लगा है। गाँवों के बच्चे शिक्षा व्यवस्था से जुड़कर अग्रसर हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था गाँव में ही रोजगार की सुनिश्चित उपलब्धता तथा समय पर बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी भुगतान के साथ-साथ परिसम्पत्ति के निर्माण से प्रगति और आजीविका सुदृढ़ीकरण के अवसर उपलब्ध करा रही है। कहना न होगा कि आगे आने वाले समय में गाँव और अधिक सुव्यवस्थित तथा सुविधा सम्पन्न होंगे।

हाईटेक पंचायतों की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से योजनाओं के निर्देश तथा जानकारी सीधी भेजी जा रही है। योजनाओं का समयबद्ध सफलतम क्रियान्वयन और ग्रामीणजनों को आवश्यक सुविधायें समय पर प्राप्त हो रही हैं। अब ग्रामीणों की शहरों की निर्भरता भी कम हो रही है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
मध्यप्रदेश के इकत्तीस जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण

मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शेष 31 जिलों में लागू करने की घोषणा के बाद इन जिलों के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिये 29 जनवरी को भोपाल में कार्यशाला हुई। कार्यशाला का शुभारंभ प्रमुख सचिव किसान-कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. राजेश राजौरा और समापन अपर मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त श्री पी.सी. मीना ने किया।

प्रमुख सचिव किसान-कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. राजेश राजौरा ने कार्यशाला के शुभारंभ पर कहा कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जरूरी है कि संबंधित अधिकारी इसे आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि पहले इस योजना में भारत सरकार ने 20 जिलों का चयन किया था। मुख्यमंत्री श्री चौहान के आग्रह के बाद सभी 51 जिलों में इस योजना को लागू करने की सहमति भारत सरकार ने दी है।

कार्यशाला में भारतीय मृदा एवं जल प्रबंधन संस्थान, देहरादून के विभागाध्यक्ष डॉ. प्रभात आर. ओजस्वी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जल प्रबंधन तकनीक के उपयोग के संबंध में जानकारी दी। कृषि महाविद्यालय, इंदौर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. डी.एच. रानाडे ने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, भारतीय मृदा एवं जल प्रबंधन संस्थान, देहरादून के वैज्ञानिक डॉ. अमरीश कुमार ने वर्षा आधारित क्षेत्रों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के लिये मृदा एवं जल संरक्षण कर भू-जल वृद्धि करने एवं जल संग्रहण संरक्षण तकनीक, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री चन्द्रमोहन ने जिला सिंचाई आयोजना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के डॉ. आर.के. नेमा ने उपलब्ध जल का अपव्यय रोकने तथा सिंचाई में वृद्धि कर खेत में जल उपयोग की दक्षता में सुधार, वरिष्ठ वैज्ञानिक जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर डॉ. एस.के. पयासी ने रन ऑफ वॉटर मैनेजमेंट की तकनीक तथा राजमाता सिंधिया विश्वविद्यालय ग्वालियर के वैज्ञानिक डॉ. वाय.पी.सी. सिंह ने विभिन्न फसलों में सिंचाई के निर्धारण एवं फसलवार आवश्यकता के बारे में जानकारी दी।

पंचायतें और स्वयं सेवी संगठनों के कार्य करने के अपने-अपने तरीके हैं, कहीं समानताएं, कहीं असमानताएं तो कहीं समपूरक भागीदारी। शासन के निष्पादन के, पंचायतों की प्रभावशीलता के मापदंड हैं। इस बीच स्वयंसेवी संगठन बौद्धिक संपदा प्रदान करने में, नवाचार प्रचारक के रूप में, वकील के रूप में, पंचायतों के पूरक के रूप में, नेटवर्किंग करने में, पंचायत के लक्ष्य और उद्देश्य को पूर्ण करने में तथा पंचायतों को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदाय करने में किस तरह अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। इस पक्ष को प्रस्तुत कर रही हैं- मुक्ति श्रीवास्तव।

पंचायती राज और स्वयंसेवी संगठन

क्या अशासकीय संगठन अपने उस रोमांटिक विश्वविद्यालयीन स्वप्नलोक से बाहर आएंगे जहां सरकार के खिलाफ उसी तरह की भावना रहती है जैसी औपनिवेशिक दिनों में विदेशी शासन के प्रति क्रान्तिकारियों के मन में थी। चूंकि शासन के निष्पादन के मापदंड हैं, पंचायतों की प्रभावशीलता के मापदंड हैं, लेकिन अशासकीय संगठन स्वयं को रेडिकल बताते हुए कब तक सारे मापदंडों से छूट मांगते रहेंगे?

पंचायतों और अशासकीय संगठनों के बीच सम्पर्क के कई तौर तरीके हो सकते हैं :-

एक, बौद्धिक संपदा प्रदान करने में : भारत में ही 'प्रदान' (प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन) नामक संस्था ने शासकीय तकनीकों और प्राविधिकियों को आम जनता के सामने सुस्पष्ट (डिमिस्टिफाई) करके बताने का काम कर दिखाया। तकनीकें वर्ग-निरपेक्ष नहीं होतीं। कई बार वे बहुत महंगी, जोखिम भरी और जटिल होती हैं। तब ग्रामीण गरीबों की आकांक्षाओं और क्षमताओं के मद्दे नजर उन्हें अनुकूलित करना जरूरी हो जाता है।

दो, नवाचार प्रचारक के रूप में : प्रायः अशासकीय संगठनों के नवाचार के मूल किसी 'समस्या' या 'मुद्दे' के स्थानीय संदर्भ में होते हैं। उनकी यह मूलता (रूटिंग) निर्धन ग्रामीणों द्वारा चिन्हित सीमाओं और संभावनाओं की अनुक्रिया में लक्षित होती है। चूंकि एक चुनिंदा भौगोलिक सीमा में क्षेत्र विशिष्ट तरीके से उन्हें नवाचार करना है, यह पंचायतों को उन शासकीय तौर-तरीकों से अधिक अपना लग सकता है।

तीन, वकील के रूप में : मध्यप्रदेश में पश्चिमी अंचल के कई अशासकीय संगठनों का केन्द्रीय कार्य यहीं नजर आता है। लेकिन यह बिना उस रचनात्मक प्लेटफार्म के किया जा रहा है जो उदाहरण के लिए प्रोशिका ने बांग्लादेश में संयुक्त वन प्रबंधन के लिये किया। प्रोशिका बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा अशासकीय संगठन है जो 23252 अनौपचारिक समूहों के साथ बांग्लादेश के 26 किलोमीटर के 3415 गांवों में 20 व्यक्तियों की औसत सदस्यता और 11637 महिला समूहों के साथ काम कर रहा है। प्रोशिका ने स्थानीय अभिजातों और वन विभाग के अधिकारियों के बीच घनिष्ठ माफिया संबंधों के विरुद्ध रचनात्मक लड़ाई का उदाहरण प्रस्तुत किया। क्या अशासकीय संगठन पंचायती ग्राम सभा में सर्वहारा की वकालत में खड़े हो सकते हैं?

चार, पंचायतों के पूरक के रूप में : आज अनेक जिलों में जलग्रहण विकास समितियों ने पंचायतों के समानान्तर अपना एक बहु-उपयोगी अस्तित्व सिद्ध किया है। यहां तक कि उन्हें नॉनी पंचायत (छोटी पंचायत) तक कहा जाने लगा है। कभी भारत के कुछ हिस्सों में रामकृष्ण मिशन द्वारा स्थापित युवा क्लबों ने यही काम किया था।

पांच, नेटवर्किंग करने में : अशासकीय संगठनों की स्वयं की नेट वर्किंग तो तगड़ी रहती है। फिलीपीन्स में CODE-NGO (The Concerns of Development NGO Networks) और FPDHRRA (फिलिपीन पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन रूरल एरियाज) जैसे प्रसिद्ध नेटवर्क हैं। लेकिन पंचायतें कई बार अपने को बड़ा अकेला और असहाय भी महसूस करती हैं। क्या अशासकीय संगठन पंचायतों को अपनी इस विशेषज्ञता का लाभ दिलवा सकते हैं?

छः, पंचायती लक्ष्यों में शामिल होकर: क्या पंचायतें इतनी खुलेपन का परिचय देंगी कि अशासकीय संगठनों के साथ तादात्म्य स्थापित कर संयुक्त परियोजना क्रियान्वयन (ज्वाइंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन) करें। मसलन ग्रामीण स्वास्थ्य चिन्ता में या बंजरभूमि के पुनर्भरण और पुनर्वास में या बजट बनाने का प्रशिक्षण देने में या जैविक कीटनाशकों के पंचायत क्षेत्र में प्रचार-प्रसार में या शासकीय सिंचाई प्रणालियों को बेहतर बनाने में। इंडोनेशिया में 'इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकॉनामिक रिसर्च, एजूकेशन एंड इन्फार्मेशन' ने जलस्त्रोतों के साथ स्थानीय

औपचारिक उपभोक्ता समूह बना दिए थे। स्वयं दक्षिण भारत में 'उपासी' (द यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया) संस्था ने तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की पंचायतों से भारी सहयोग प्राप्त कर चाय की औसत पैदावार 800 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर से 1575 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर कर दिया। 1979 से 1990 में उन्होंने पंचायतों के 15999 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया। कर्नाटक का PIDOW (पार्टिसिपेटरी एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड) भी एक ऐसा ही प्रयत्न है।

सात, पंचायतों को आर्थिक सुदृढ़ता देने में : आज अशासकीय संगठनों को 9 बिलियन रुपए के करीब वार्षिक आय विदेशी स्त्रोतों से होती है जो सरकारी सहायता प्रवाह (आफिशियल एड फ्लोज) का 25 प्रतिशत है। इसके अलावा रुपये 500 मिलियन - 700 मिलियन शासन द्वारा दिए जाते हैं। इसमें व्यक्तिगत और निगमित दोनों को मिला लें तो सालाना अशासकीय संगठनों की आय 10 बिलियन रुपए होती है। ये आंकड़े शासन के वार्षिक निर्धनता उन्मूलन व्यय का 10 प्रतिशत होते हैं। याद रहे कि विदेशी सहायता 80 के दशक के मध्य के दिनों की तुलना में आज दुगुनी हो गई है, इन अशासकीय संगठनों को।

पंचायती राज संस्थाओं और अशासकीय संस्थाओं की ग्रह-कक्षा लगभग एक ही है और मिट्टी भी एक ही है। एक दूसरे से टकराने पर उनके सितारे टूटेंगे भी, सितारे बदलेंगे भी। शासन की निस्संगता के कारण उसके विपक्ष में सक्रिय होने के लिए काफी बड़ा अवकाश अशासकीय संस्थाएं अपहृत कर सकी हैं, लेकिन पंचायतें एक दूसरे ही पिच पर खड़ी हैं।

वे निस्संग नहीं हैं, जमीनी हैं। इनसे टकराने पर अशासकीय संगठन अपने को वाटरलू में खड़ा पाएंगे। कभी ऐसा भी होगा कि कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र में किसी छद्मश्री के अशासकीय संगठन के परिसमापन का प्रस्ताव पारित कर दे। अशासकीय संगठन सिद्धान्ततः तय कर लें कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना है? ग्राम पंचायतें तो एक सांविधानिक निकाय हैं। इन ग्राम सभाओं की स्वायत्तता के हामी उन्हें यह अधिकार तो देना चाहते हैं कि उनके

क्षेत्र में कोई उद्योग या परियोजना उन्हीं की अनुज्ञा से आए लेकिन कोई अशासकीय संगठन भी उनके क्षेत्र में उन्हीं की अनुज्ञा से आए, यह प्रबंध उन्हें थोड़ा कष्टकर लगता है।

क्या शासन का ग्राम में लगने वाला पैसा जितना पारदर्शी और समावेशी होता जा रहा है, वैसे ही अशासकीय संगठनों का पैसा भी संबंधित ग्राम सभाओं के सामने प्रयोजन की पूरी पारदर्शिता के साथ व्याख्यायित और अनुमोदित नहीं हो सकता? क्या पंच प्रतिनिधियों का समावेश जिस तरह से शासन अपने अन्य निर्णय-निकायों में प्रतिनिधि के तौर पर करता है, वैसे ही ग्राम पंचायत अथवा ग्राम सभा द्वारा अधिकृत और सशक्त कोई व्यक्ति इन अशासकीय संस्थाओं के शासी निकायों में नहीं होना चाहिए? कहीं तो लौह आवरण में कोई रंध्र में मिले। इनके अन्तर्संबंधों को बढ़ाने के लिए सुझाव यह भी है कि जिस तरह से मुसोलिनी ने इटली में विधायिका में तृतीय सदन का एक प्रयोग किया था, जिसमें प्रख्यात बुद्धिजीवी, कलाकार, वैज्ञानिक, समाजसेवी आदि सदस्य होते थे, वैसे ही पंचायतों में अशासकीय संगठनों आदि सहित एक 'बौद्धिक नीड' भी जोड़ दिया जाए।

मुझे यह भी बड़ा सांघातिक लगता है कि आज राज्य सरकारों तक को यह सुविधा नहीं है कि वे अपने कितने ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए विदेशी सरकारों से सीधे सहायता ले सकें लेकिन अशासकीय संगठनों को यह विशेषाधिकार उपलब्ध है। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष द्वारा 1996 से यह व्यवस्था भी लागू की गई है कि बहुराष्ट्रीय अभिकरण भी अशासकीय संगठनों को सीधे मदद कर सकेंगे। तीसरी दुनिया में कई देश अशासकीय संगठनों के पीछे 'जासूसी के जाल' के विरुद्ध कदम उठा रहे हैं। छोटे से तंजानिया में इस सुविधा का लाभ उठाकर 80,000 स्वयंसेवी संस्थाएं जब पनप गईं तो वहां की सरकार ने सबके नाम-पते प्रकाशित करने का सीधा-सादा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया। रवांडा ने 30 अशासकीय संगठनों को देश के बाहर खदेड़ दिया।

अब एक आखिरी बात रह जाती है कि सभी अशासकीय संगठन एक से नहीं होते। लेकिन इस तर्क का लाभ उन लोगों को क्यों उठाने दिया जाए जो स्वयं एक व्यापक सामान्यीकरण शासन के और उसके अधिकारियों के बारे में करते हैं, जिनके लिए हर फारेस्ट गार्ड भ्रष्ट है, व्यवस्था में बैठे सब लोग भ्रष्ट हैं। जो समस्त दोष-दृषणों से रहित अपने वर्ग का एक उदाहरण - दूध से धुला हुआ - पेश नहीं कर सकते, उन्हें दूसरों की प्रत्येक त्रुटि को मैग्नीफाई करने का 'सिटीजन्स चार्टर' किसने उपलब्ध करा दिया है? उनकी दिक्कत यह है कि जब तक सामान्यीकरण नहीं होगा तब तक जनता को व्यवस्था मात्र के विरुद्ध भड़काया कैसे जा सकेगा? मोहभंग की सामाजिक राजनीति करने वालों को जब दोषारोपित करने के लिए सामान्यीकरण चाहिए तो फिर उन्हें आत्मरक्षा के लिए विशिष्टता के तर्क का इस्तेमाल क्यों करने दिया जाए? हम और एन.जी.ओ. जैसे नहीं हैं, हममें उनमें बहुत फर्क है। लेकिन अपने फर्क के डिटेल्स बताने वाले लोग दूसरों के मामले में किन्हीं बारीकियों में नहीं उतरना चाहते।

समुचित मृदा प्रबंधन क्यूँ आवश्यक है?

जब भी खेती-किसानी की बात होती है अनायास ही खेत और उस पर लहलहाती फसलों की तस्वीर याद आने लग जाती है। खेती-बाड़ी शब्द ही खेत से बना हुआ है और कृषि की सम्पूर्ण व्यवस्था ही खेतों के इर्द-गिर्द टिकी हुई है। खेत अर्थात भूमि का एक विशेष भूभाग जिसकी सीमा रेखा निर्धारित कर दी गई हो और उस प्रक्षेत्र में फसल का उत्पादन लिया जा सकता हो। खेत की मिट्टी का लगभग 30 से.मी. गहराई तक का ऊपरी भाग मृदा कहलाता है। इस मृदा के मुख्य अवयव खनिज पदार्थ, जैव अंश, मृदा जल और मृदा वायु होते हैं। किसी भी खेती योग्य भूमि की उत्पादक क्षमता उस खेत की मृदा के गुणों पर निर्भर करती है। मृदा स्वस्थ होने पर ही वह समुचित उत्पादन देने में सक्षम होती है। अगर मिट्टी में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो इसका असर फसल उत्पादन पर पड़ता है। क्षेत्रीय विभिन्नता के कारण हमारे देश के अलग-अलग भूभाग पर मृदा के कई प्रकार पाए जाते हैं और उसी अनुरूप मृदा किसी विशेष फसल के लिए उपयुक्त होती है।

फसल उत्पादन में मृदा के महत्त्व को देखते हुए ही भारत सरकार ने 5 दिसम्बर को मृदा दिवस के रूप में मनाने के साथ ही इसी दिन से मृदा स्वास्थ्य कार्ड के नाम से एक नई योजना का शुभारम्भ भी किया। इस योजना का उद्देश्य किसानों को मृदा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना, मिट्टी स्वास्थ्य की जाँच करना, और उसी के अनुसार फसलों की अनुशंसा करना है। किसी भी फसल के समुचित उत्पादन के लिए खेत की मिट्टी उस फसल के लिए उपयुक्त होनी चाहिए ताकि फसल को सभी पोषक तत्व सुलभता से उपलब्ध हो पायें। इस प्रकार से उत्पादित फसल भी स्वस्थ होगी तथा उस पर कीटों और रोगों का प्रकोप भी कम से कम होगा। अतः कृषक समुदाय को मृदा प्रबंधन के बारे में जानकारी होना आवश्यक हो जाता है।

हरित क्रांति के दौर में अधिक फसल उत्पादन के लिए खेतों में संश्लेषित रासायनिक खादों के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। खादों की कम कीमत ने किसानों को भी इस सरलतम समाधान को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। हरित क्रांति के कई दशक बीत जाने के बाद आज उसके दुष्परिणाम भी दिखाई देने लग गए हैं। प्रारंभ में तो यूरिया, डीएपी या अन्य खादों के उपयोग से उत्पादन तो बढ़ा परन्तु कालांतर में अधिक उत्पादन के लिए और अधिक मात्रा में खाद डालने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। आज का किसान तो और भी विकट स्थिति का सामना कर रहा है। देश के कई हिस्सों में तो खेत पूरी तरह बंजर हो चुके हैं। अब रासायनिक खादें डालने के बाद भी उत्पादन नहीं मिल रहा है। किसान की दुविधा ये है कि खेतों में खाद डालो तो भी उत्पादन नहीं मिलता और न डालो तब भी उत्पादन नहीं मिल रहा।

यह स्थिति कृषि में बिना दूरगामी परिणाम सोचे आधुनिकीकरण के कारण निर्मित हुई है। कृषि के आधुनिकीकरण का एक दुष्परिणाम हमारी पुरातन कृषि पद्धतियों की अवहेलना भी है। पहले जहाँ फसल उत्पादन के साथ-साथ मृदा के समुचित प्रबंधन का भी ध्यान रखा जाता था। जैवांश की पूर्ति के लिए पालतू पशु पाले जाते थे। उनका गोबर और मूत्र खाद बनाकर खेतों में डाला जाता था। फसल चक्र अपनाया जाता था। क्षेत्र विशेष के वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर चुके देशी बीजों का उपयोग किया जाता था। परन्तु आधुनिक कृषि में येन-केन-प्रकारेण फसल का अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। आधुनिक कृषि अभ्यास क्रियाओं में पुरातन रूप से स्थापित नैसर्गिक भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों की पूर्णरूप से अवहेलना की जा रही है परिणामस्वरूप बाह्य रूप में कृषि आदानों की पूर्ति करना आवश्यक हो गया है।

आज जिस तरह से खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग किया जा रहा है उससे लाभ कम और नुकसान अधिक हो रहा है। आज जिस तरह से हम रासायनिक खादें उपयोग में ला रहे हैं उससे जमीन की उत्पादन क्षमता धीरे-धीरे कम होती जा रही है।

रासायनिक खादों के प्रयोग ने संश्लेषित कीटनाशकों के प्रयोग को भी प्रोत्साहित किया। रासायनिक खादों के प्रयोग से पौधों की वृद्धि तो तेज हो जाती है परन्तु उनमें आवश्यक प्रतिरोधक क्षमता नहीं विकसित हो पाती है। ऐसी फसल बहुत आसानी से रोगग्रस्त हो जाती है या फिर कीटों का प्रकोप हो जाता है। फसलों को रोगों या कीटों से बचाने के लिए रासायनिक फफूंदनाशकों एवं कीटनाशकों आदि का उपयोग करना आवश्यक हो जाता है। ये कीटनाशक एवं फफूंदनाशक भी जहरीले रासायनिक पदार्थ ही होते हैं। इनकी छिड़काव की गई मात्रा का अधिकांश हिस्सा उपयोग में ही नहीं आता है। यह मात्रा खेतों में अवशिष्ट रूप में पड़ी रह जाती है जो कि धीरे-धीरे मृदा में मिलती रहती है और मृदा प्रदूषित होती जाती है। ये कीटनाशक पानी के साथ रिसकर भूमिगत जलस्रोतों में भी मिल जाते हैं जिससे भूमिगत जल भी प्रदूषित होता है। सतही जलस्रोतों के भी प्रदूषित होने का एक प्रमुख कारक खेती में प्रयुक्त रसायन हैं। वर्षा का जल खेत से बहकर नहर नालों द्वारा नदियों में मिलता है जो कि अपने साथ खेतों से जहरीले रसायन भी बहाकर ले आता है। इस तरह से यह जहरीले रसायन मृदा और जल स्रोतों दोनों को ही प्रदूषित कर रहे हैं।

कोई भी रासायनिक खाद दो कारणों से दुष्प्रभाव डालती है। पहला कारक खाद में उपलब्ध पोषक तत्व की प्रतिशत मात्रा है। खाद में पोषक तत्व की प्रतिशतता निश्चित होती है जैसे कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46 होता है अर्थात 100 किलोग्राम यूरिया में केवल 46 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलता है। इसका बाकि 54 प्रतिशत भाग क्षार या लवण होता है जोकि जमीन में ही बचा रह जाता है। यह अनुपयोगी यूरिया जमीन की क्षारीयता को बढ़ा देता है। जमीन की क्षारीयता बढ़ने से उत्पादकता धीरे-धीरे कम होती जाती है। जमीन की क्षारीयता बढ़ने से

जमीन भी धीरे-धीरे कठोर होने लग जाती है। जमीन की कठोरता बढ़ने से पौधों की जड़ों का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता है और पौधे अविकसित रह जाते हैं। जमीन की कठोरता बढ़ने का एक और नुकसान जमीन की जलधारण क्षमता में कमी के रूप में दिखाई देता है। जमीन कठोर होने से जल जमीन में नीचे न जाकर खेत से बाहर बह जाता है।

रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव का दूसरा कारक पौधों के उपयोग के बाद भूमि में बची हुई खादों की अवशिष्ट मात्रा है। खेतों में डाली गई खादों की सम्पूर्ण मात्रा को पेड़-पौधे उपयोग में नहीं लेते हैं। खादों में उपलब्ध पोषक तत्व का कुछ अंश ही पेड़-पौधे उपयोग में लेते हैं शेष हिस्सा भूमि में ही बचा रह जाता है। यह अवशिष्ट मात्रा भी मृदा में पोषक तत्वों के प्राकृतिक संतुलन को प्रभावित करती है परिणामस्वरूप भूमि की पोषण क्षमता कम होती जाती है। रासायनिक खादों के प्रयोग से भूमि की जल धारण क्षमता भी प्रभावित होती है। मृदा कठोर हो जाने से उसकी जल को रोकने की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए एक बार सिंचाई कर देने के बाद खेत में नमी ज्यादा समय तक नहीं बनी रह पाती है और जल्दी-जल्दी सिंचाई की जरूरत होती है। फसल में जल की मांग अधिक होने लगती है जिससे अवांछित खरपतवार को उगने के लिए उचित वातावरण मिल जाता है। बार-बार सिंचाई की जरूरत होने से भूमि में बीच-बीच में पानी की अधिकता से नमीजनित और फफूंदजनित रोग आदि होने की सम्भावना बढ़ जाती है। बार-बार सिंचाई करने से श्रम और ऊर्जा का भी अपव्यय होता है।

रासायनिक खादों का सबसे बड़ा दुष्परिणाम भूमि में पाए जाने वाले लाभकारी कीटों जैसे केंचुआ और अन्य मित्र कीटों की संख्या का धीरे-धीरे कम होकर नगण्य हो जानी है। रसायनों और कीटनाशकों से शत्रु कीटों के साथ-साथ मित्र कीट भी मारे जाते हैं। खेतों में इन मित्र कीटों की उपस्थिति नैसर्गिक मृदा प्रबंधन के लिए बहुत ही आवश्यक है। केंचुआ अपने जीवन काल में निरंतर जमीन की मिट्टी को खोद-खोद कर ऊपर-नीचे करता रहता है। इसके साथ ही केंचुआ और दीमक जैसे जीव जैव पदार्थों को खाकर उसे लाभकारी जैविक खाद में परिवर्तित करते हैं। केंचुआ, दीमक जैसे जीव यूरिया और कीटनाशकों की उपस्थिति में जीवित नहीं रह पाते। जमीन में रहने वाले अन्य सूक्ष्म जीव जो कि मिट्टी का अपघटन करके पौधों को उपलब्ध करवाते हैं वो भी जहरीले रसायनों के प्रभाव से जीवित नहीं रह पाते हैं। इस प्रकार मिट्टी को मुफ्त में उपजाऊ बनाने वाली व्यवस्था खादों और कीटनाशकों के कारण चौपट हो जाती है और खेत बंजर होने लगते हैं। आधुनिक कृषि व्यवस्था का एक बड़ा दोष एकल फसल का उत्पादन और फसल चक्र का न होना है। बार-बार एक ही फसल का निरंतर उत्पादन लेने से उस फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्त्व धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। NPK की पूर्ति तो बाहर से खाद डालकर कर दी जाती है परन्तु अन्य सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म तत्त्व पौधों को संतुलित रूप से नहीं मिल पाते हैं। फलस्वरूप फसल का उत्पादन आने वाले वर्षों में धीरे-धीरे कम होता जाता है। इसी प्रकार फसल चक्र न होने

से एक फसल में किसी विशेष खरपतवार के होने की सम्भावना बढ़ जाती है। यह खरपतवार फसल के साथ खाद पानी आदि हेतु प्रतिस्पर्धा करता है। जब रासायनिक खाद डाली जाती है तो खरपतवार को भी पोषण सहज रूप में मिल जाता है और उनका फसल की तुलना में और तेजी से विकास होने लगता है। इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए रासायनिक खरपतवारनाशी डालना पड़ता है जिसके अवशेष जमीन, पानी, हवा और खाद्य पदार्थ में भी आ जाते हैं। इसी प्रकार एक ही फसल को बार-बार बोने से उस फसल में रोग होने की सम्भावना बढ़ जाती है।

कई क्षेत्रों में फसल काटने के बाद फसल अवशेष जलाने की परंपरा है। फसल अवशेष में बहुत सारे सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म पोषक तत्त्व संरक्षित रहते हैं। किसान को इन फसल अवशेषों को एकत्र कर भूमि आच्छादन के लिए उपयोग में लेना चाहिए। इन फसल अवशेषों से जैविक खाद का निर्माण एवं उपयोग करके भी मृदा की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। फसल अवशेष को जला देने से उसमें उपस्थित सभी पोषक तत्त्व वाष्प के साथ उड़कर खेत की बजाय वातावरण में चले जाते हैं। धीरे-धीरे मृदा में इन पोषक तत्वों की कमी होती जाती है। इस कमी का सीधा असर आने वाले वर्षों में फसल के उत्पादन में कमी के रूप में देखा जाता है। अगर ये अवशेष पुनः मृदा में मिला दिए जाएँ तो फसलों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाये परन्तु जला देने से ये अवशेष वातावरण में जाकर प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। फसल अवशेष जलाने का एक और नुकसान जमीन की ऊपरी सतह में उपस्थित जैवभार की हानि के रूप में भी होता है। जमीन की ऊपरी सतह पर उपस्थित यह जैवभार भी फसल अवशेष के साथ जलकर या गरमी पाकर वाष्पित हो जाता है। इस प्रकार मृदा में ह्यूमस की भी कमी होती जाती है। सिर्फ यही नहीं, फसल अवशेष को खेतों के ऊपर जलाने का एक बड़ा नुकसान मृदा में स्थापित सूक्ष्म जैव-तंत्र का नष्ट होना भी है। पौधों के लिए लाभदायी अधिकांश सूक्ष्मजीव और लाभदायक कीटों के अंडे जलकर नष्ट हो जाते हैं। जलने से जमीन की ऊपरी सतह रूखी हो जाती है तथा धीरे-धीरे तेज हवा द्वारा भी इसका क्षरण होने लगता है।

समुचित मृदा प्रबंधन कैसे ?

स्वस्थ फसलों के उत्पादन के लिए मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। अगर मिट्टी में किसी प्रकार की कोई कमी है, तो बोई जाने वाली फसल का उत्पादन तो प्रभावित होगा ही, साथ ही साथ पूरे फसल चक्र में व्याधियों या बीमारियों के फैलने की सम्भावना भी बनी रहेगी। मृदा स्वास्थ्य के कुछ मानक हैं जिनके आधार पर मृदा के स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। इसके बाद ही उसमें बोई जाने वाली फसल के बारे में अनुशंसा की जाती है। भूमि के ये मानक भौतिक, रासायनिक और जैविक आधार पर वर्गीकृत किये जाते हैं। समुचित मृदा प्रबंधन के तरीके को अपनाकर मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को संतुलित किया जाता है। इस प्रकार मृदा को स्वस्थ रखते हुए दीर्घकाल तक भरपूर उत्पादन लिया जा सकता है।

मृदा प्रबंधन का पहला सिद्धांत है कि खेत की मिट्टी और खेत का पानी बहकर खेत के बाहर न जाये। बारिश के पानी का संचय भी खेत के अन्दर होना चाहिए। किसी भी तरह से बारिश का पानी या सिंचाई के समय खेत से पानी बहकर खेत के बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर खेत का पानी बहकर खेत के बाहर जाता है तो वह अपने साथ पोषक तत्वों को भी बहा ले जाता है। इसी प्रकार किसी और के खेत से पानी बहकर आने में दूसरे खेत से मृदाजनित रोगों के जीवाणु आने की सम्भावना रहती है। अपने खेतों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक खेत से दूसरे खेत में पानी बहकर न जाने पाए। इससे एक खेत के रोगवाहक जीवाणु और खरपतवार दूसरे खेत में नहीं जाने पाएंगे और फसल प्रबन्धन में बीमारियों और खरपतवार नियंत्रण के लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ेगा। अतः खेत के चारों ओर ऊँची मेड़ बना देना चाहिए।

इसी प्रकार तेज आंधी और हवाओं से भी खेत की मिट्टी उड़कर खेत के बाहर जाती है। इससे बचने के लिए खेत की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर मेड़ में ऊँचे पेड़ लगाने चाहिए। ये पेड़ तेज हवाओं से खेत की मिट्टी का क्षरण रोकते हैं। ये पेड़ शीत ऋतु में ठंडी हवाओं और ग्रीष्म में गरम हवा और लू से भी फसल का बचाव करते हैं। खेत की मेड़ पर पेड़ लगाने के अन्य कई लाभ भी हैं जैसे ये पेड़-पौधे पक्षियों के आश्रय स्थल होते हैं। ये पक्षी हानिकारक कीटों को खाकर कीट नियंत्रण और फसल सुरक्षा का कार्य करते हैं। इन पक्षियों की विष्ठा नाइट्रोजन से भरपूर होती है जो कि खेतों को प्राप्त होती रहती है। पेड़ जमीन की उर्वरक क्षमता और मृदा की ऊपरी सतह में आवश्यक सूक्ष्म खनिज तत्वों को बढ़ाने में भी सहयोग करते हैं। ऊँचे बढ़ने वाले पेड़ की जड़ें जमीन में गहराई तक जाकर पेड़ों के लिए खनिज तत्व उपलब्ध करवाती हैं। ये खनिज तत्व पेड़ की पत्तियों और फूलों में संग्रहीत होते रहते हैं। पत्तियों और फूलों के सूखकर जमीन में गिरने से उनमे संचित खनिज तत्व जमीन में मिल जाते हैं और फसल की सूक्ष्म पोषक तत्वों मांग की पूर्ति होती रहती है।

● डॉ. जितेन्द्र सिंह

आदर्श गाँव की कल्पना में सड़क, बिजली, पानी और घर की मूलभूत सुविधाओं के अलावा रोजगार, साफ-सफाई, हरियाली और विवादमुक्त गाँव की तस्वीर उभरती है। इस कल्पना को साकार किया है मध्यप्रदेश के देवास जिले के खातेगाँव जनपद के गाँव बछकाल ने। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के सुचारु क्रियान्वयन और ग्रामीणों ने मिलजुलकर यहाँ एक आदर्श गाँव की मिसाल कायम की है। यह सपना साकार हुआ है। पूर्व सरपंच लक्ष्मीनारायण गोरा के आधारभूत प्रयासों और वर्तमान सरपंच के निरन्तर क्रियान्वयन से। विकास योजनाओं के बेहतर तालमेल, सरपंच के जज्बे और ग्रामीणों के सहयोग ने बछखाल को एक ऐसा गाँव बना दिया जिसके सामने शहरी व्यवस्था भी फीकी पड़ जाये। स्वच्छ, समृद्ध, सम्पन्न गाँव का अनुकरणीय उदाहरण बने बछखाल की सरपंच श्रीमती गीता लक्ष्मीनारायण गोरा से हमने मध्यप्रदेश पंचायिका के लिए बातचीत की प्रस्तुत हैं इसके अंश :

आदर्श गाँव की मिसाल बछकाल

प्रश्न - आपने बछकाल गाँव की कायाकल्प कर दी है। स्वच्छ, सुंदर, मनोरम इस गाँव के सामने शहर की चमक फीकी पड़ जाती है। आपने यह सब कैसे किया?

उत्तर - देखिए इसकी शुरुआत यहाँ के पूर्व सरपंच श्री लक्ष्मीनारायण गोरा ने की थी जिसे मैंने आगे बढ़ाया है। मन में एक इच्छा जागी कि हमारे गाँव को रालेगण सिद्धि की तरह आदर्श बनाया जाये। हम गाँव को इतना स्वच्छ और सुंदर बनायें कि भोपाल, इन्दौर जैसे बड़े शहरों के लोग हमारे गाँव को देखने आयें और हमारा गाँव एक आदर्श स्थिति की मिसाल बने।

प्रश्न - बछकाल गाँव की सड़क आते ही एक अलग दृश्य दिखाई देता है जो आकर्षित भी करता है और जिज्ञासा भी उठती है कि इसे किस तरह विकसित किया होगा।

उत्तर - हमारे यहाँ सबसे पहले सड़क बनाने का कार्य किया गया। खातेगाँव आने जाने के लिए मुख्य सड़क से गाँव को जोड़ने के लिए 3 किलोमीटर की सड़क बनाई गई। फिर अपने गाँव को हरियाली से समृद्ध करने के लिए सड़क के दोनों ओर पेड़ लगाए गये। यह पेड़ अब हरे-भरे हो गए हैं और आने वाले हर आगुन्तक का स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ 4 किलोमीटर की खेत सड़क का निर्माण किया गया ताकि किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े।

प्रश्न - स्वच्छता को लेकर बछखाल काफी सजग है साथ ही अब आपका गाँव शौचमुक्त गाँव घोषित हो चुका है, इस लक्ष्य तक पहुँचने में किस तरह की योजना बनाई गयी?

उत्तर - वैसे तो बछखाल में पिछले दस वर्षों से सफाई अभियान चल रहा है। यह अभियान है 'क्लीन विलेज-ग्रीन विलेज' यहाँ हर घर में वृक्ष लगाये गये हैं। आपको पूरे गाँव में कहीं कचरा नहीं दिखेगा। लोगों को प्रेरित किया गया कि हरेक व्यक्ति सुबह सबसे पहले अपने घर के सामने और अपने गली को साफ करेगा। शुरुआत में प्रयास करना पड़ा। आज स्थिति यह है कि कि सुबह-सुबह 10 मिनिट में सभी ग्रामवासी मिलकर पूरा गाँव साफ कर लेते हैं। शौच मुक्त गाँव करने की प्रेरणा हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत अभियान से मिली। सी.ई.ओ. जनपद पंचायत के सहयोग से हमारे गाँव में 15 दिन में 115 शौचालय बनाये गये। शौचालय बनने के बाद इसके उपयोग को लेकर लोगों को प्रेरित करना कठिन काम था, पर संकल्प था गाँव को खुले में शौच मुक्त करना है। इसके लिए हमारे गाँव के चारों रास्तों पर चार लोग निगरानी करते थे, जो भी शौच करने बाहर जाते उसके साथ तैनात व्यक्ति भी चल देता और तब तक साथ चलता जब तक वह

वापस घर आकार शौचालय में शौच के लिए जाने पर मजबूर न हो जाता। इस तरह लगभग दो हफ्ते तक अभियान चला। जन जागृति और लगातार निगरानी से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन आया और सभी ग्रामीण शौचालय का उपयोग करने लगे। नवम्बर 2014 को जिला कलेक्टर द्वारा खुले में शौचमुक्त गाँव घोषित किया गया।

प्रश्न - चूंकि हमारे मध्यप्रदेश में आजीविका का मुख्य स्त्रोत खेती है तो आपके यहाँ सिंचाई की व्यवस्था के लिए क्या काम किये गये?

उत्तर - हमारे गाँव में कपिलधारा कूप निर्माण योजना से 23 कुओं का निर्माण किया गया जो कम जमीन वाले किसानों के लिए वरदान साबित हुआ। जिन किसानों के पास दो से तीन बीघा जमीन है वे पहले मजदूरी कर रहे थे अब अपनी जमीन में शानदार उत्पादन कर रहे हैं। दूसरा यहाँ खेत-तालाब योजना से लगभग 7-8 तालाबों का निर्माण किया गया, इससे जहाँ किसान के खेत में तालाब बना वहीं यहाँ जल स्तर में सुधार हुआ। पीने के पानी की भी हमारे गाँव में सुचारु व्यवस्था की पहल की गयी है। टंकी निर्माण का कार्य तेजी पर है। 26 जनवरी 2016 तक गाँव के घर-घर में नल कनेक्शन हो जायेगा और पीने का पानी घर में मिलेगा।

प्रश्न - आवास को लेकर क्या प्रयास किये गये?

उत्तर - इन्दिरा आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने हमारे गाँव के घरों का नक्शा ही बदल दिया है। छोटे-छोटे भवन के रूप में मकान बन गये हैं। अब मजदूर अपने शानदार घर में बच्चों को छोड़कर मजदूरी पर चल देते हैं। इसके अलावा यहाँ निर्माण कार्य को लेकर विशेष पहल की गयी है। हमारे यहाँ बड़े शहरों की तरह चौराहे बने हैं। इनके नाम सामाजिक समरसता का प्रतीक हैं। शासकीय भवनों को घर की तरह सजाया गया है। यहाँ के स्कूल की दीवार को लाल किले के कंगूरों की तरह बनाने की कोशिश की है।

प्रश्न - गाँव में सुचारु शिक्षा व्यवस्था और बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए क्या कुछ प्रयास हुए हैं?

उत्तर - हमने स्कूल के शिक्षकों से लगातार चर्चा की, प्रायवेट स्कूलों में जाकर चर्चा की गयी और विचार बना कि बच्चों का एक ड्रेस कोड होना चाहिए। इसके लिए विशेष अनुमति लेकर ड्रेस कोड तय किया गया और बच्चों के यूनिफार्म की व्यवस्था की गयी, इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा और अलग दिखने की चाह में शाला प्रवेश में बढ़ोतरी हुई। साथ ही मिड डे मील के पौष्टिक तत्वों की निगरानी की जाती है। स्कूल में बच्चों के शारीरिक-मानसिक विकास के लिए योग और सूर्य नमस्कार करवाये जाते हैं। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ बास्केटबाल, बेडमिंटन, कबड्डी कोर्ट है। हमारे यहाँ की बच्ची पूजा जाट एथलेटिक्स में नेशनल तक पहुँची है। कबड्डी प्रतियोगिता के लिए हमारे गाँव के 3 बच्चे संभाग स्तर पर चयनित हुए हैं। यहाँ की बच्ची पूजा जाट कुश्ती प्रतियोगिता में भी शामिल हुई है।

प्रश्न - रोजगार को लेकर गाँव में क्या स्थिति है?

उत्तर - हमारे यहाँ रोजगार के स्थाई और निरन्तर अवसरों का ही परिणाम है कि यहाँ से पलायन नहीं होता है। मनरेगा से मजूरी की सुचारु व्यवस्था है दुग्ध व्यवसाय से जुड़कर दुग्ध क्रांति की दिशा में अच्छे परिणाम मिले हैं। इससे हर सप्ताह दो-तीन लाख रुपये की आय प्राप्त होती है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से बैंक लोन लेकर लोग स्वरोजगार से जुड़े हैं।

हमारा गाँव एक निर्यातक गाँव बने इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। माटीकला, टेंट फर्नीचर, दलिया इकाई, डेरी उद्योग, पशुपालन पर विशेष ध्यान देकर निर्यातक गाँव बनाने की कल्पना को आकार देने का प्रयास किया जा रहा है।

● **रीमा राय**

सिंहस्थ
कुंभ महापर्व 2016
विक्रम संवत् 2073

कुंभ महापर्व, उज्जैन, मध्यप्रदेश
22 अप्रैल-21 मई, 2016

सिंहस्थ

अध्यात्म, संस्कृति और सामाजिक समरसता की परंपरा

देश के चार स्थानों में कुंभ लगता है। सबकी तिथियां और नक्षत्रों की स्थितियां अलग होती हैं। एक स्थान पर दोबारा कुंभ के आयोजन में बारह वर्ष का समय लगता है। नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद के अतिरिक्त चौथा स्थान मध्यप्रदेश का उज्जैन है। उज्जैन में आयोजित कुंभ को सिंहस्थ नाम से जाना जाता है। जब भी बृहस्पति सिंह राशि में आता है सिंहस्थ का आयोजन होता है।

देश में कुंभ या सिंहस्थ की परंपरा कब से प्रारंभ हुई इस बारे में अलग-अलग धारणाएं और मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे भगवान परशुराम के अवंतिका अभियान से जोड़ते हैं तो कुछ लोग भगवान कृष्ण के अवंतिका आगमन से। कहीं कुछ मान्यताओं में विक्रमादित्य की शकों पर विजय के साथ सिंहस्थ का आयोजन जोड़ा जाता है लेकिन बहुप्रचलित मान्यता पूज्य आदि शंकराचार्य जी द्वारा देश में सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा से चारों कुंभ का आयोजन आरंभ होने की बात मानी जाती है। माना जाता है कि कुंभ की परंपरा प्रारंभ करने के पीछे संपूर्ण भारत वर्ष को एक सूत्र में बांधना, भारतीय जन जीवन और उनकी शैली से एक दूसरे को परिचित कराना तथा समाज के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए धर्माचार्यों, संस्कृतिविदों और विद्वानों द्वारा चिंतन करना इसका एक उद्देश्य रहा है।

इस मान्यता में यह भी कहा जाता है कि अखाड़ों की परंपरा भी पूज्य आदि शंकराचार्य जी के समय से शुरू हुई। तब अखाड़े अलग से कोई सम्प्रदाय या संगठन नहीं हुआ करते थे बल्कि यह धर्म और संस्कृति रक्षा के लिए एक बल की भांति काम करता था। कुंभ की भांति देश में चार पीठों की भी स्थापना की

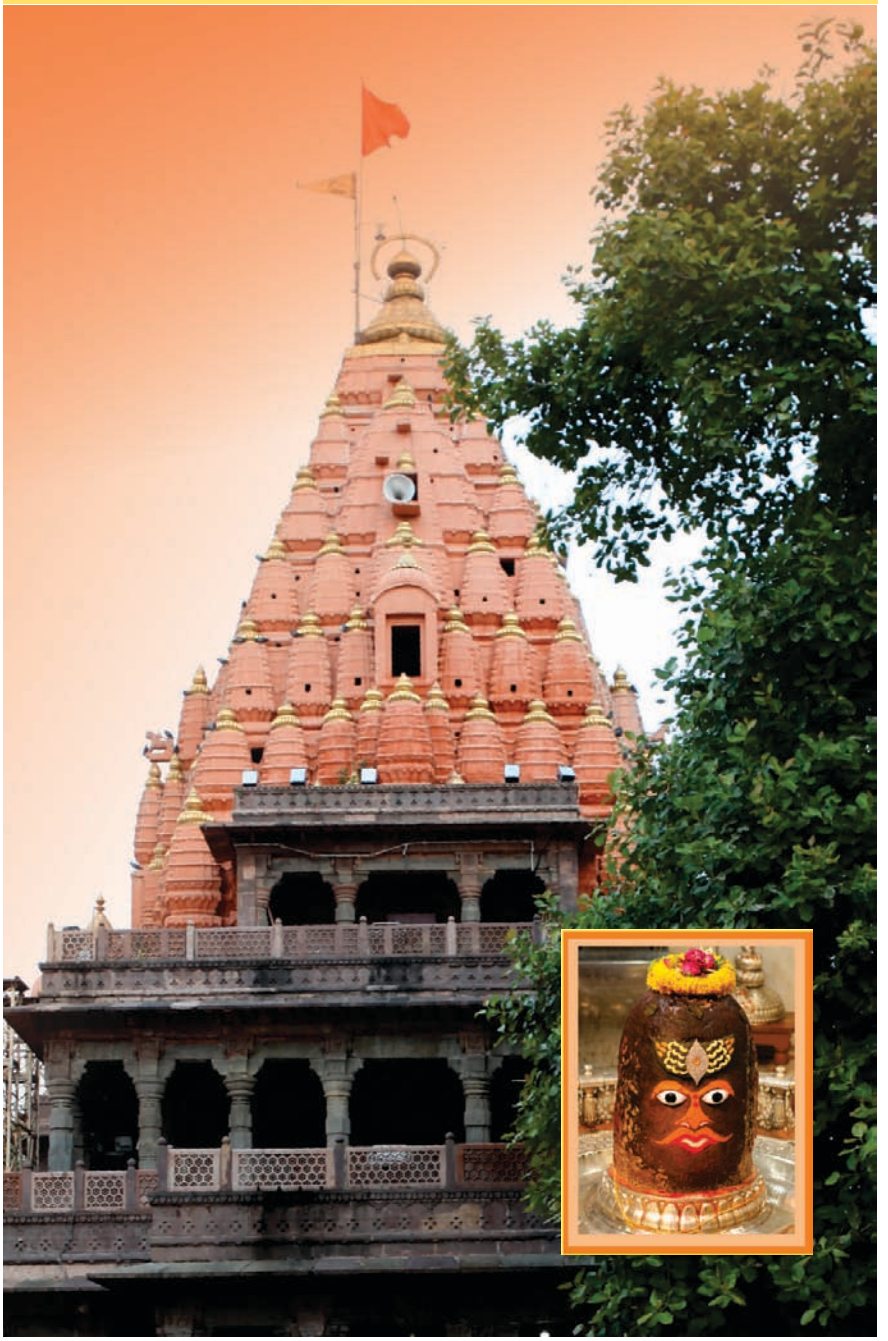

जो धर्म, संस्कृति, संस्कार और सामाजिक समरसता की प्रतीक रही। जगन्नाथ पुरी, द्वारिका, बद्रिका धाम और श्रृंगेरी में पीठाधीश्वर को शंकराचार्य जी के नाम से ही संबोधित किया जाता है।

लेकिन पुराणों में कुंभ परंपरा की कथा अलग है। पुराण कथाओं के अनुसार देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। इस मंथन में 14 अमूल्य रत्न निकले और सबसे अंत में अमृत से भरा कलश। अमृत कलश के लिए ही समुद्र मंथन का आयोजन किया गया था। अमृत कलश पर देव व दानव दोनों की निगाहें थीं। देवताओं ने दानवों को अमृत का लालच तो दिया था लेकिन वे अमृत देना नहीं चाहते थे। दानवों से अमृत बचाने के लिए देवताओं ने इन्द्र के पुत्र जयंत को वह अमृत से भरा कलश देकर रवाना कर दिया। कलश को कुंभ भी कहा जाता है। जयंत वह अमृत घट लेकर भागा, दानवों ने उसका पीछा किया ताकि वे बलपूर्वक अमृत घट छीन सकें। इस भागदौड़ और छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें कलश से छलक गईं। वे बूंदें उज्जैन, प्रयाग, नासिक और हरिद्वार में गिरीं। जिन स्थानों पर अमृत बूंदें गिरीं वहां स्नान करना पुण्यदायक, मोक्षदायक और अमृत्व का आधार माना गया। उज्जैन की एक और विशेषता है सूर्य के ठीक नीचे आने वाला नगर केवल उज्जैन है और उस स्थान पर महाकाल विराजे हैं।

हिन्दुस्तान की हृदय-स्थली उज्जयिनी की भौगोलिक स्थिति अनूठी है। खगोल-शास्त्रियों की मान्यता है कि उज्जैन नगर पृथ्वी और आकाश के मध्य में स्थित है। भूतभावन महाकाल को कालजयी मानकर ही उन्हें काल का देवता माना जाता है। काल-गणना के लिये मध्यवर्ती स्थान होने के कारण इस नगरी का प्राकृतिक, वैज्ञानिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बढ़ जाता है। इन सब कारणों से ही यह नगरी

सदैव काल-गणना और काल-गणना शास्त्र के लिये उपयोगी रही है। इसलिये इसे भारत का ग्रीनविच माना जाता है।

यह प्राचीन ग्रीनविच उज्जैन देश के मानचित्र में 23.9 अंश उत्तर अक्षांश एवं 74.75 अंश पूर्व रेखांश पर समुद्र सतह से लगभग 1658 फीट ऊँचाई पर बसी है। इसलिये इसे काल-गणना का केन्द्र-बिन्दु कहा जाता है। यही कारण है कि प्राचीन-काल से यह नगरी ज्योतिष-शास्त्र का प्रमुख केन्द्र रही है। इसके प्रमाण में राजा जयसिंह द्वारा स्थापित वेधशाला आज भी इस नगरी को काल-गणना के क्षेत्र में अग्रणी सिद्ध करती है। भौगोलिक गणना के अनुसार प्राचीन आचार्यों ने उज्जैन को शून्य रेखांश पर माना है। कर्क रेखा भी यहीं से जाती है। इस प्रकार कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक-दूसरे को उज्जैन में काटती हैं। यह भी माना जाता है कि संभवतः धार्मिक दृष्टि से श्री महाकालेश्वर का स्थान ही भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के मिलन स्थल पर हो, वहीं नाभि-स्थल होने से पृथ्वी के मध्य में स्थित है। इन्हीं विशिष्ट भौगोलिक स्थितियों के कारण काल-गणना, पंचांग का निर्माण और साधना की सिद्धि के लिये उज्जैन नगर को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार, जब उत्तर ध्रुव की स्थिति पर 21 मार्च से प्रायः 6 मास का दिन होने लगता है, तब 6 मास के 3 माह व्यतीत होने पर सूर्य दक्षिण क्षितिज से बहुत दूर हो जाता है। इस समय सूर्य ठीक उज्जैन के मस्तक पर रहता है। उजैन का अक्षांश एवं सूर्य की परम क्रांति दोनों ही 24 अक्षांश पर मानी गयी है। इसलिये सूर्य के ठीक नीचे की स्थिति उज्जयिनी के अलावा विश्व के किसी नगर की नहीं है।

वराह पुराण में उज्जैन नगरी को शरीर का नाभि देश (मणिपूर चक्र) और महाकालेश्वर को इसका अधिष्ठाता कहा गया है। महाकाल की यह कालजयी नगरी

विश्व की नाभि-स्थली है। जिस प्रकार माँ की कोख में नाभि से जुड़ा बच्चा जीवन के तत्वों का पोषण करता है, इसी प्रकार काल, ज्योतिष, धर्म और आध्यात्म के मूल्यों का पोषण भी इसी नाभि-स्थली से होता रहा है।

उज्जयिनी भारत का प्राचीनतम शिक्षा का केन्द्र रहा है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा, उनका संवर्धन एवं उसको अक्षुण्ण बनाये रखने का कार्य यहीं पर हुआ है। सत-युग, त्रेता-युग, द्वापर-युग और कल-युग में इस नगरी का महत्व प्राचीन शास्त्रों में बतलाया गया है।

उजयिनी से काल की सही गणना और ज्ञान प्राप्त किया जाता रहा है। इस नगरी में महाकाल की स्थापना का रहस्य यही है तथा काल-गणना का यही मध्य-बिन्दु है। मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान भी उज्जयिनी को माना गया है। यहाँ पर ऐतिहासिक नव-ग्रह मंदिर और वेधशाला की स्थापना से काल-गणना का मध्य-बिन्दु होने के प्रमाण मिलते हैं। इस संदर्भ में यदि उज्जयिनी में लगातार अनुसंधान, प्रयोग और सर्वेक्षण किये जायें, तो ब्रह्माण्ड के अनेक अनछुए पक्षों को भी जाना जा सकता है।

पुराणों में सिंहस्थ

लगभग प्रत्येक पुराण में सिंहस्थ का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण के अनुसार,

सिंह राशि गते जीवे मेषस्थे च दिवाकरे।
तुला राशि गते चन्द्रे स्वातिनक्षत्र संयुते।।
सिद्धियोगे समायाते पंचात्मा योगकारकः।
एवं योगे समायाते स्नानदानादिका क्रिया।।
द्वादशाब्दे तु भी भद्रेः सकारेण कृतं स्वयम्।

इस श्लोक में उज्जैन कुंभ पर्व के लिए ग्रहों की स्थिति का वर्णन है। अर्थात् जब सिंह राशि में बृहस्पति हो, मेष राशि में सूर्य तथा तुला राशि में चन्द्रमा हो तब स्नान-दान आदि पुण्य दायक है।

पृथिव्यां कुंभपर्वस्य चतुर्थीर्धा भेद उच्यते।
चतुःस्थले नियतनात् सुधाकुम्भस्य भूतले।।
(स्कंध-पुराण)

पद्मिनीनायके मेषे कुंभराशिगते गुरौ।
गंगा द्वारे भवेद् योगः कुम्भनामा तदोक्षमम्।
(विष्णु पुराण)

मेषराशिंगते सूर्य सिंहराश्यां बृहस्पतौ।
अविन्तकायां भवेत्कुंभः
सदामुक्तिप्रदायकः।

उज्जैन में सिंहस्थ तथा कुंभ दोनों पर्व मिलते हैं। यहां जो मुख्य योग होते हैं-1. वैशाख मास, 2. शुक्ल पक्ष, 3. पूर्णिमा, 4. मेष राशि पर सूर्य का होना, 5. सिंह राशि पर बृहस्पति का होना, 6. चन्द्र का तुला राशि पर होना, 7. स्वाति नक्षत्र 8. व्यतिपात योग, 9. सोमवार

माधवे धवले पक्षे सिंह जीवे त्वजे रवौ।
तुलाराशौ क्षयानाथे स्वातिभे
पूर्णिमातिथौ।।
व्यतिपाते तु सम्प्राप्ते चन्द्रवासरसंयुते।
एते दश महायोगाः
स्नानान्मुक्तिफलप्रदाः।।

जिस पवित्र क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ का आयोजन होता है। उस क्षिप्रा की पवित्रता और उसमें स्नान की महत्ता का वर्णन भी पुराणों में है। क्षिप्रा के उद्गम की दो कथाएं

श्रद्धालुओं की सेवा करना सौभाग्य है : मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उज्जैन के सिंहस्थ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं और सहस्त्रों साधु संतों की सेवा करना सौभाग्य की बात है। जो समाजसेवी संगठन, शासन के कर्मचारी, मठ-मंदिरों के ट्रस्टी तथा अन्य सहयोगी इस काम में लगे हैं। यह वाकई बहुत पुण्य का काम है।

श्री चौहान ने एक से अधिक बार उज्जैन सिंहस्थ की व्यवस्था पर अधिकारियों की बैठक ली, मौके पर काम की प्रगति का जायजा लिया तथा व्यक्तिगत रुचि लेकर विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी ली। शिवराज जी ने कुंभ के मौके पर उन चार विश्व स्तरीय संगोष्ठी के निष्कर्षों के प्रस्तुतिकरण का आयोजन भी किया है जो चार विभिन्न विषयों पर पिछले एक साल में आयोजित की गई थीं। श्री चौहान ने निर्देश दिए हैं कि काम स्थाई स्वरूप के हों ताकि पवित्र क्षिप्रा का जल उसी स्वच्छता, पवित्रता के साथ कल-कल करता हुआ प्रवाहित हो जैसा पुराणों में वर्णित है।

हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव बैकुंठ में भगवान नारायण से मिलने गए। उन्होंने किसी प्रसंग में उन्हें उंगली दिखा दी, नारायण ने सुदर्शन से उंगली पर प्रहार किया। रक्त की धारा बही, धरती पर आकर वही क्षिप्रा बनी। दूसरी कथा के अनुसार, महर्षि अत्रि ने तीन हजार वर्ष तक तप किया। तप के बाद उन्होंने नेत्र खोले। उनके नेत्रों से दो धाराएं निकलीं। एक आकाश की ओर गई, दूसरी धरती पर। जो धारा धरती पर आई, उसे शिप्रा कहा गया लेकिन कथा के बारे में अनेक विद्वान सहमत नहीं होते। क्षिप्रा के उद्गम को शिव-विष्णु संवाद को ही महत्व देते हैं। इसका कारण यह भी है कि सिंहस्थ या कुंभ के अतिरिक्त भी यदि सोमवार को क्षिप्रा में स्नान किया जाए तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, और मुक्ति प्रदान करते हैं। इस बारे में स्कंध पुराण में एक श्लोक है:-

सर्वत्र च दुर्लभा क्षिप्रा सोमस्सोम ग्रहस्तया।
सोमेश्वरः सोमवारः सकाराः पंच दुर्लभा।।

भारत के इतिहास के जितने पन्ने पलटें, उन सबमें उज्जैन के सिंहस्थ अथवा उज्जैन में

● रमेश शर्मा

सिंहस्थ
कुंभ महापर्व 2016
विक्रम संवत् 2073

सिंहस्थ में श्रद्धालुओं को मिलेंगी सभी जन-सुविधाएँ

उज्जैन में 22 अप्रैल से 21 मई के दौरान होने वाले सिंहस्थ के लिये व्यापक तैयारियाँ की जा रही हैं। उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिये सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सिंहस्थ के दौरान करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुँचने का अनुमान है।

- **हेल्प-सेंटर-** सिंहस्थ मेला क्षेत्र में 106 हेल्प-सेंटर रहेंगे। हेल्प-सेंटरों से श्रद्धालुओं को सभी आवश्यक सूचना मिलेंगी। हेल्प-सेंटरों में श्रद्धालु पानी, बिजली, दूध आदि की आपूर्ति के संबंध में अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकेंगे।
- **कॉल-सेंटर-** मेला क्षेत्र में कॉल-सेंटर शुरू हो चुका है। श्रद्धालु फोन नम्बर-1100 पर कॉल कर सिंहस्थ संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल-सेंटर में 25 लाइन एक साथ कार्य करेंगी। सिंहस्थ मेला क्षेत्र में 51 खोया-पाया केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं। यहाँ गुमशुदा व्यक्तियों, विशेषकर बच्चों को मदद दी जायेगी।
- **मेडिकल सुविधा-** सिंहस्थ के दौरान सुसज्जित चिकित्सालयों की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। पूरे क्षेत्र में 6 अस्पतालों में 20-20 बिस्तर की सुविधा और 23 अस्पतालों में 6-6

बिस्तर की सुविधा होगी। सिंहस्थ क्षेत्र में 5 मोबाइल स्वास्थ इकाई भी काम करेंगी। हर घाट पर दो-दो व्यक्तियों का एक-एक दल भी तैनात रहेगा। मेला क्षेत्र के चिन्हित स्थानों पर एम्बुलेंस तैनात रहेगी, जिसमें तत्काल हृदय उपचार संबंधी सुविधा रहेगी।

- **शीतल जल के लिये प्याऊ-** श्रद्धालुओं को सिंहस्थ के दौरान शुद्ध एवं शीतल जल उपलब्ध करवाने के लिये 1000 प्याऊ की व्यवस्था रहेगी। इन प्याऊ में रोगाणु-रहित जल उपलब्ध रहेगा।
- **ट्रांसपोर्ट सुविधा-** मेला क्षेत्र में यात्रियों की सुविधा के लिये पर्याप्त ट्रांसपोर्ट सुविधा रहेगी। आंतरिक यातायात के लिये 1050 टाटा मैजिक, 377 सिटी-बस उपलब्ध रहेंगी। सिंहस्थ के लिये 28 मार्ग चिन्हित किये गये हैं।
- **बैंकिंग सुविधाएँ-** सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिये बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। बैंक यात्रियों के लिये विशेष सिंहस्थ-कार्ड जारी करेंगे। यात्री इस व्यवस्था के जरिये केश-लेस होकर सिंहस्थ क्षेत्र में घूम सकेंगे। मेला क्षेत्र में 50 एटीएम लगाये जाने की योजना है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को उनकी जरूरत के मुताबिक सिक्के उपलब्ध हों, इसके लिये क्वाइन डिस्पेंसर की सुविधा भी होगी। मेला क्षेत्र के बाजार में 10 हजार स्वीप मशीनों की व्यवस्था रहेगी। सिंहस्थ आने वाले श्रद्धालुओं को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के उद्देश्य से बीमे की व्यवस्था रहेगी। श्रद्धालुओं के उज्जैन पहुँचने पर उनका स्वतः 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा हो जायेगा।

उज्जैन सिंहस्थ में होग

उज्जैन में इस वर्ष अप्रैल-मई में होने वाले सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके, इस उद्देश्य से सिंहस्थ मेला क्षेत्र में इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी (आई.टी.) का उपयोग किया जायेगा। आई.टी. के जरिये उज्जैन आने वाले यात्रियों को उनके उपयोग की जानकारी सुविधाजनक तरीके से दिये जाने के प्रयास होंगे। उन्हें जानकारी के लिये अनावश्यक नहीं भटकना पड़ेगा।

सिंहस्थ मोबाइल एप- श्रद्धालुओं के लिये मोबाइल एप सुविधा का कार्य करेगा। इस एप पर सम्पूर्ण मेला क्षेत्र की प्रतिदिन, प्रति सप्ताह और पूरे माह की गतिविधियाँ दर्शायी जायेंगी। इस सुविधा से श्रद्धालु अपने मनचाहे स्थान पर जाकर प्रवचनों और अन्य धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे।

वेबसाइट- सिंहस्थ के लिये तैयार की गयी वेबसाइट www.simhasthaujjain.in किसी भी श्रद्धालु के लिये सिंहस्थ संबंधी जानकारी प्राप्त करने का अच्छा जरिया होगी। वेबसाइट पर शासकीय विभागों द्वारा सिंहस्थ में किये जा रहे कार्य और तैनात अमले की जानकारी जोन एवं सेक्टरवार मिल सकेगी। वेबसाइट को निरंतर अपडेट किया जा रहा है।

वाई-फाई सुविधा- विभिन्न मोबाइल नेटवर्क देने वाली कम्पनियों द्वारा श्रद्धालुओं को वाई-फाई की सुविधा दी जायेगी। इसके लिये मेला क्षेत्र में 150 हॉट-स्पॉट तैयार किये जा रहे हैं। वाई-फाई द्वारा 3जी एवं 4जी दोनों प्रकार की सुविधा दी जायेगी। रिलायंस कम्पनी ने तो सिंहस्थ क्षेत्र में 40 स्थानों पर निःशुल्क वाई-फाई सुविधा दिये जाने का प्रस्ताव दिया है।

गाइड- सिंहस्थ मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को जानकारी देने के लिये स्थान-स्थान पर गाइड की सेवा रहेगी। इसके लिये एनएसएस, एनसीसी और स्काउट के विद्यार्थियों को

ा आई.टी. का उपयोग

प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ अशासकीय संस्थाओं ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गाइड की सेवा दिये जाने का प्रस्ताव मेला कार्यालय को दिया है। रेलवे पूछताछ केन्द्र- सिंहस्थ मेला क्षेत्र में रेलवे द्वारा पूछताछ केन्द्र बनाये जायेंगे। रेलवे द्वारा महाकाल जोन, दत्त अखाड़ा और मंगलनाथ क्षेत्र में एक-एक पूछताछ केन्द्र बनाया जा रह है।

साँची पार्लर : सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध दूध उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से लिये पूरे मेला क्षेत्र में 106 पार्लर स्थापित किये जायेंगे। इसके अलावा 4 मोबाइल यूनिट के जरिये भी श्रद्धालुओं के बीच दूध और उससे बने उत्पाद की आपूर्ति की जायेगी। दत्त अखाड़ा क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में 35 मिल्क पार्लर होंगे। मंगलनाथ में 33 और महाकाल क्षेत्र में 19 साँची पार्लर होंगे। सिंहस्थ के दौरान जरूरत के मुताबिक मेला क्षेत्र में दूध की आपूर्ति होती रहे इसके लिए जिला कलेक्टर ने उन किसानों और व्यक्तियों को चिन्हित किये जाने के लिये कहा है, जिनके पास दुधारू पशु हैं। इस दौरान फूलों की भी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को कार्य-योजना तैयार किये जाने के लिये कहा गया है। कलेक्टर ने सिंहस्थ मेला क्षेत्र और इससे जुड़े स्थानों के समस्त शासकीय और अशासकीय मंदिरों के पुजारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों, मंदिर के बाहर फूल एवं प्रसाद बेचने वाले व्यापारियों के नाम, उनके पते और मोबाइल नम्बर की सूची जल्द बनाये जाने के लिये कहा है। इस सूची के आधार पर उन्हें प्रशिक्षण दिये जायेंगे। चिन्हित व्यक्ति जो प्रशिक्षण नहीं लेगा उनके विरुद्ध बेदखली की कार्रवाई की जायेगी। सिंहस्थ के दौरान मंदिरों में लगने वाली भीड़ को व्यवस्थित करते हुए व्यवस्था बनाये रखने के लिये कोटवारों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके लिये नोडल

उज्जैन में भी होंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक के ऑपरेशन थियेटर

उज्जैन में 22 अप्रैल से 21 मई तक होने वाले सिंहस्थ के लिये बहुत से कार्य स्थायी प्रकृति के हैं, जिनका लाभ उज्जैनवासियों को सिंहस्थ के समापन के बाद भी मिलता रहेगा। उज्जैन शहर में 450 बिस्तरीय अस्पताल का निर्माण हो रहा है। अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय मानक के ऑपरेशन थियेटर तैयार किये जा रहे हैं। अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर के निर्माण कार्य से जुड़े विशेषज्ञ श्री राजीव मुंशी बताते हैं कि इस अस्पताल जैसे आधुनिक ऑपरेशन थियेटर प्रदेश में और कहीं नहीं हैं। उनका कहना है कि वे देश के 300 अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर का निर्माण करवा चुके हैं, लेकिन इस अस्पताल की तरह कोई भी ऑपरेशन थियेटर आज तक देश में नहीं बना है। अस्पताल में गॉयनिक ओ.टी., ऑब्सटेट्रिक ओ.टी., टी.टी.एम.टी.टी. ओ.टी., सेप्टिक ओ.टी. और एक माइनर ओ.टी. है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय-स्तर के ऑपरेशन थियेटर हैं। ऑपरेशन थियेटर में एलईडी की विभिन्न प्रकार की फ्लड लाइट का उपयोग किया जायेगा। ऑपरेशन थियेटर में तापमान और आर्द्रता बनाये रखने के लिये आधुनिक पैनल लगे होंगे। सर्जरी के लिये 2 प्रकार के पैनल बने होंगे, जो बाहर और अंदर दोनों ही ओर कार्य करने में सक्षम होंगे। पेंडेंट ऑपरेशन के लिये भी एनीस्थीसिया सहित सर्जिकल पेंडेंट भी मौजूद रहेंगे। इन सबके अलावा ऑपरेशन थियेटर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला मेडिकल गैस अलार्म पेनल भी होगा। ऑपरेशन थियेटर से ही अस्पताल के किसी भी हिस्से में टेलीफोन पर बात करने के लिये व्यवस्था रखी गयी है। अस्पताल के ऑपरेशन थियेटरों में उपयोग में आने वाली सामग्री विश्व-स्तरीय गुणवत्ता की है।

सिंहस्थ मेला क्षेत्र में होगा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

शाही स्नान दिवस पर 2500 मीट्रिक टन कचरा उठाने की रहेगी व्यवस्था

उज्जैन में अप्रैल-मई में होने वाले सिंहस्थ के दौरान मेला क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन होगा। रोजाना 1000 से 1200 मीट्रिक टन कचरा उठाने की व्यवस्था रहेगी। शाही स्नान के दिनों में कचरे उठाने की यह मात्रा बढ़कर 2000 से 2500 मीट्रिक टन हो जायेगी। प्रतिदिन कचरा उठाव के बाद इसके सुरक्षित निपटान के लिये कचरे को अस्थायी ट्रेंचिंग ग्राउण्ड और फिर ग्राम गोंदिया के स्थायी ट्रेंचिंग ग्राउण्ड पर पहुँचाया जायेगा।

सिंहस्थ अवधि के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का खाका तैयार कर लिया गया है। मेला क्षेत्र में 5000 सफाईकर्मी तैनात रहेंगे। सिंहस्थ के दौरान दिन में कम से कम 3 बार सफाई की व्यवस्था रहेगी। सफाई में मशीनों की भी मदद ली जायेगी। श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सफाई कार्य पर पैनी नजर रखी जायेगी।

सफाई कार्य की मॉनीटरिंग के लिये प्रबंधक, सह प्रबंधक और सुपरवाइजर की भी नियुक्ति की जा रही है। इनके बीच बेहतर समन्वय और संवाद के लिये सफाई कार्य में लगे कार्मिकों को वॉकी-टॉकी और जीपीएस सिस्टम से लेस किया जायेगा। क्षिप्रा नदी में बहते कचरे के संग्रहण के लिये पर्याप्त संख्या में बोट की व्यवस्था भी की जा रही है। नदी के विभिन्न हिस्सों में नेट के जरिये कचरा संग्रहीत किया जायेगा।

हाई प्रेशर वॉटर जेट का उपयोग

क्षिप्रा नदी के घाटों की सफाई के लिये हाई प्रेशर वॉटर जेट मशीन का उपयोग भी किया जायेगा। ऐसा करने पर घाट पूरी तरह से धूलरहित रहेंगे। सफाई में उच्च गुणवत्ता वाले केमिकल के उपयोग किये जाने की भी योजना है। केमिकल के सुरक्षित भण्डारण के लिये जगह-जगह पर स्टोर बनाये जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में सफाई कार्य में लगे कर्मियों को यूनीफार्म और परिचय-पत्र दिया जायेगा। यूनीफार्म पर उज्जैन नगर निगम का 'लोगो' भी रहेगा।

सिंहस्थ मेला क्षेत्र में सफाई करने वाली एजेंसी कंट्रोल-रूम भी बनायेगी। सफाई संबंधी किसी भी शिकायत के लिये टोल-फ्री नम्बर की व्यवस्था भी होगी। मेला अवधि में कंट्रोल-रूम 24x7 की तर्ज पर काम करेगा। मेला क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में बड़ी संख्या में वाहनों का इस्तेमाल होगा। व्यवस्था में 400 हाथ-ठेले, 500 व्हील बेरो, 55 छोटे वाहन, 33 डम्पर प्लेसर ट्रक, 6 काम्पेक्टर, 24 बड़े डम्पर प्लेसर ट्रक, 20 बेक हो लोडर तथा 40 टीपर वाहन रहेंगे। मेला क्षेत्र में कचरे के प्राथमिक संग्रहण के लिये 700 कंटेनर हेड कार्ट तथा 800 विभिन्न आकार-प्रकार के कंटेनर का उपयोग किया जायेगा। मेला क्षेत्र में एक निश्चित दूरी पर डस्टबिन रखे जाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्रद्धालुओं को सफाई के प्रति जागरूक रखने के लिये अभियान चलाकर प्रेरित किये जाने की भी व्यवस्था रहेगी।